SECOND

REPORT

ON

IMPLEMENTATION OF THE RTI ACT, 2005

{APRIL 1, 2006 TO MARCH 31, 2007}

STATE INFORMATION COMMISSION
HIMACHAL PRADESH

Room No. 222,
Armsdale Building,
H.P. Secretariat, Shimla-171002.

Telephone: 0177-2621904
Telefax: 0177-2621529
E-mail: scic-hp@nic.in

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com

Index

Chapter No.	Subject	Page No.
	Statistics In Brief	i-iv
	CHAPTERS	
1.	Introduction	1-3
2.	Salient Features Of The Right To Information ACT, 2005 And The Rules Made Under It	4-9
3.	Role And Responsibilities Of The State Information Commission, Himachal Pradesh	10-14
4.	Implementation Of The Act (Disposal Of Applications By Public Authorities)	15-21
5.	Implementation Of The Act (Disposal Of Appeals And Complaints By The Commission)	22-26
6.	Training And Education Programme	27-28
7.	Observations And Recommendations	29-36
	ANNEXURES	
	Annexure 'A' : Status Of Appeals Received In The State Information Commission	37-40
	Annexure 'B' : Status Of Complaints Received In The State Information Commission	41-46
	Annexure 'C' : Status Of Implementation Of Recommendations Made By The State Information Commission in The First Report	47-54

H.P. State Information Commission

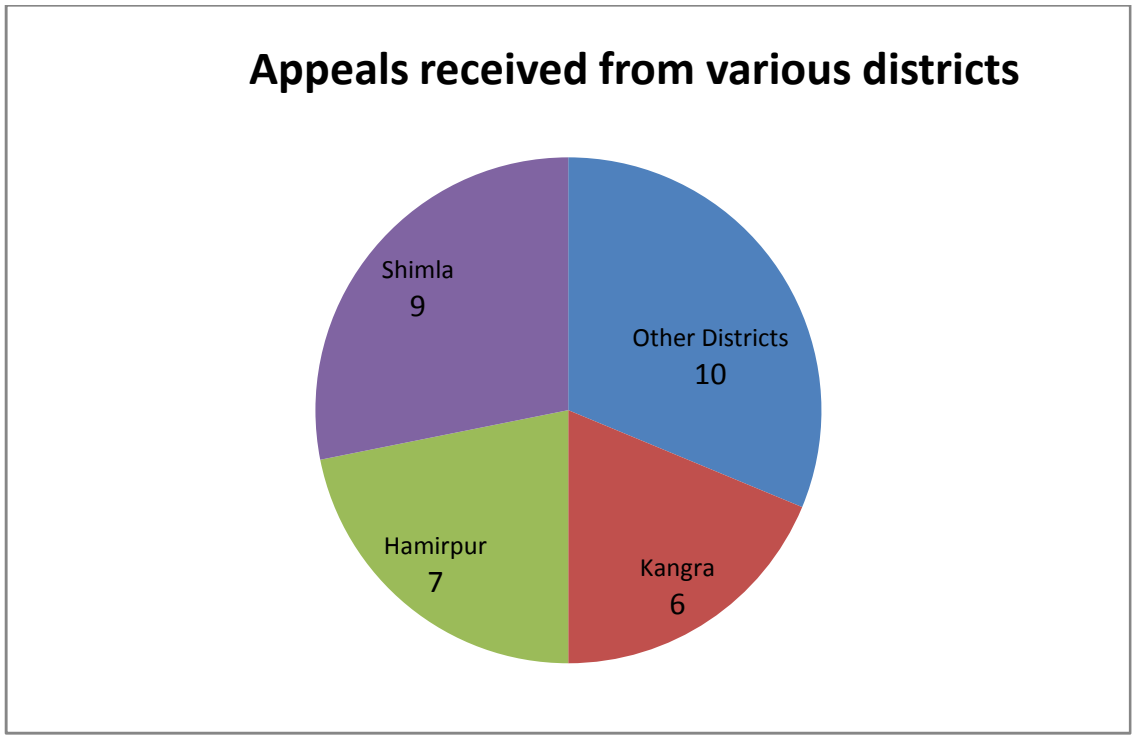
Annual Report Statistics in Brief

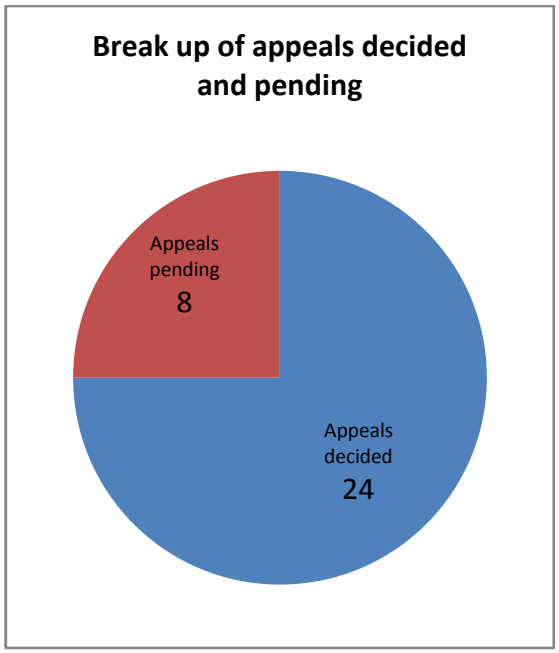
(1.4.2006 to 31.3.2007)

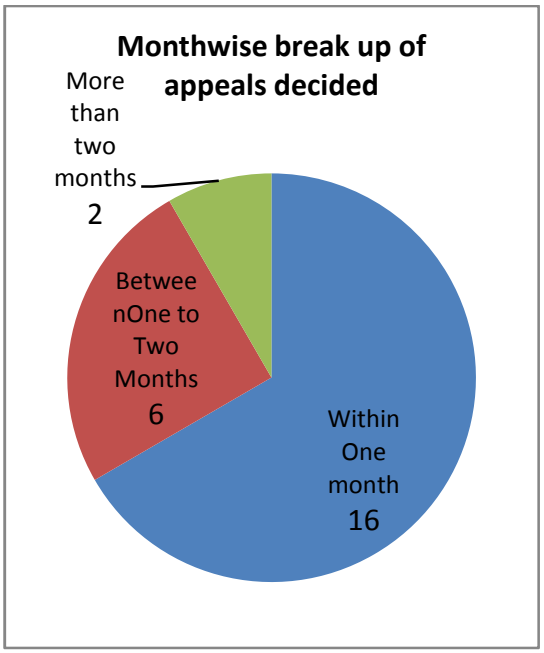
a)	Number of public authorities who submitted Annual Return to the State Information Commission, Himachal Pradesh	:	110
b)	Number of applications filed with various public authorities under the RTI Act, 2005 up to 31.3.2007	:	2654
c)	Number of applications rejected by the Public Information Officers(PIOs) of these public authorities	:	119
d)	Total amount of fee and additional fee collected by PIOs	:	Rs.2,34,281
e)	Number of first appeals filed under section 19 of the RTI Act, 2005 during the year	:	127
f)	Number of second appeals received under section 19 of the RTI Act, 2005 in the State Information Commission up to 31.3.2007	:	32
g)	Number of second appeals decided by the State Information Commission during the year	:	24
h)	Number of complaints received under section 18 of the RTI Act, 2005 in the State Information Commission up to 31.3.2007	:	52
i)	Number of complaints decided by the State Information Commission during the year	:	47
j)	Number of cases in which compensation was awarded to the appellants/complainants by the Commission.	:	4

(ii)

Break up of appeals received, decided and pending in the State Information Commission

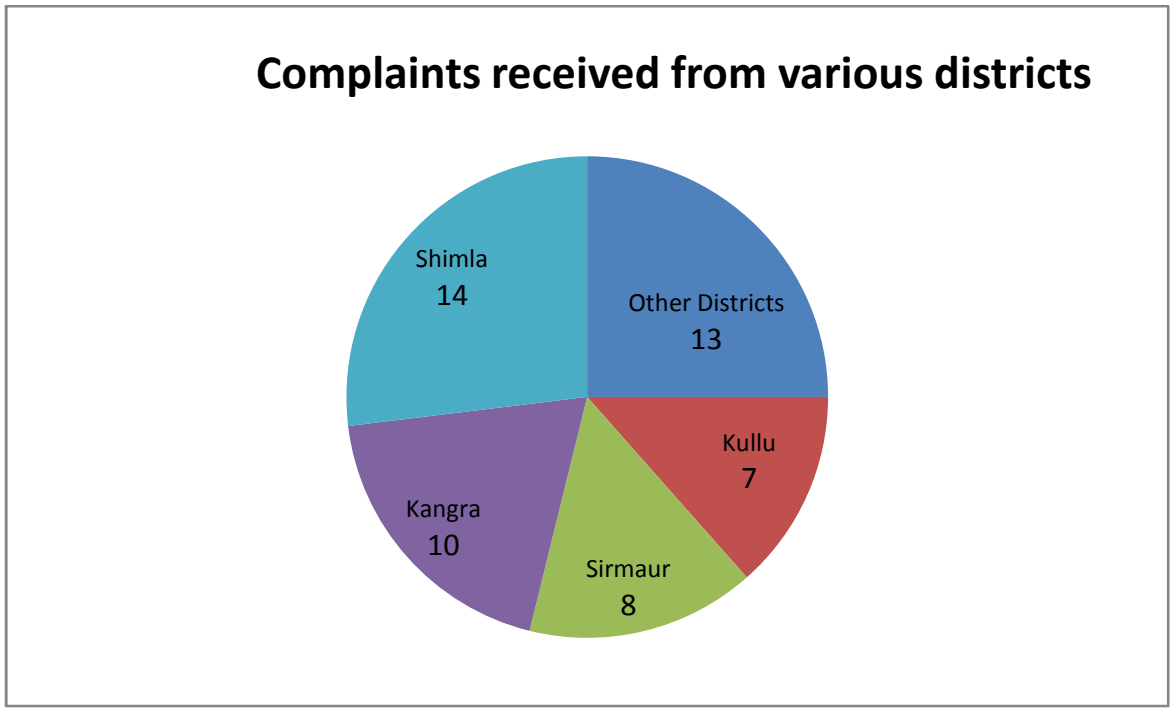


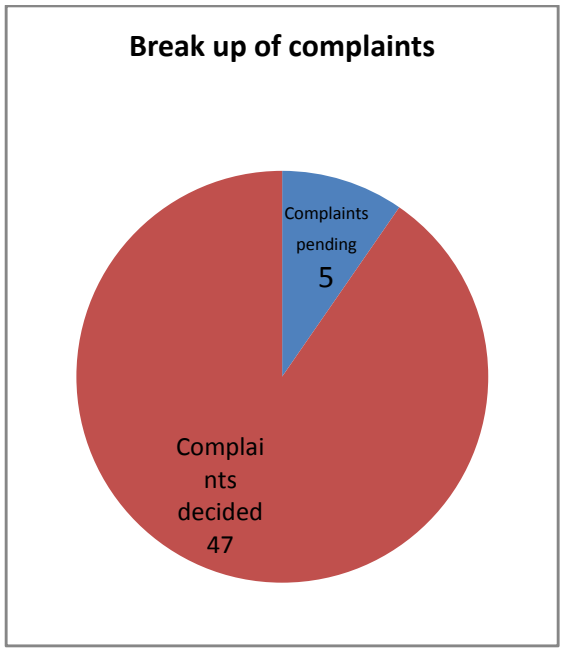


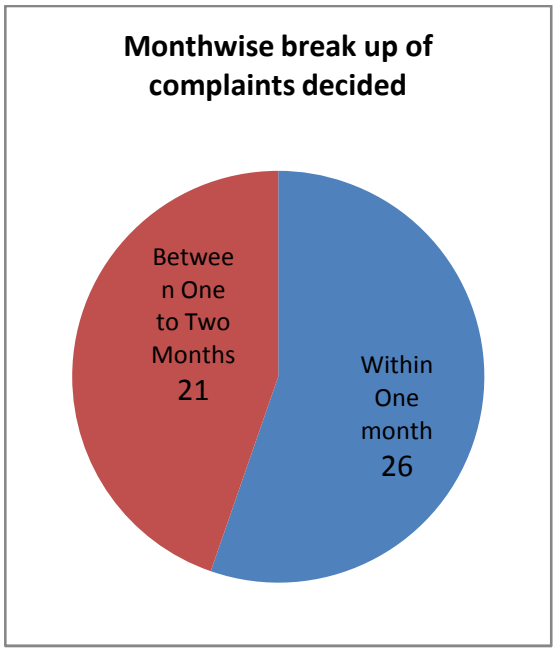


(iii)

Break up of complaints received, decided and pending in the State Information Commission

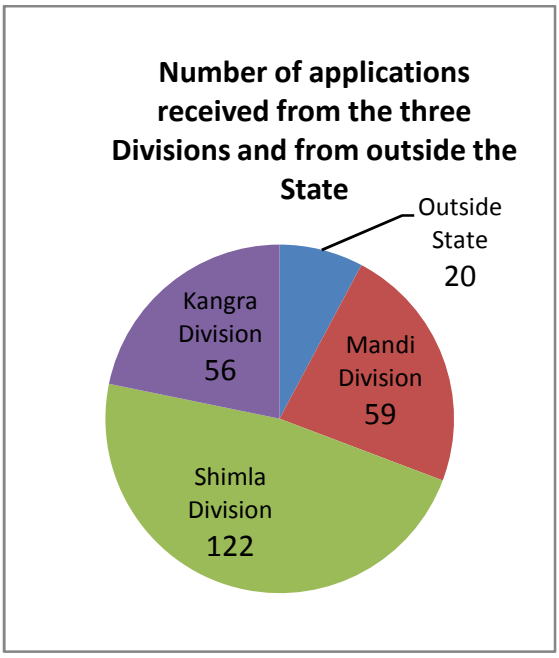


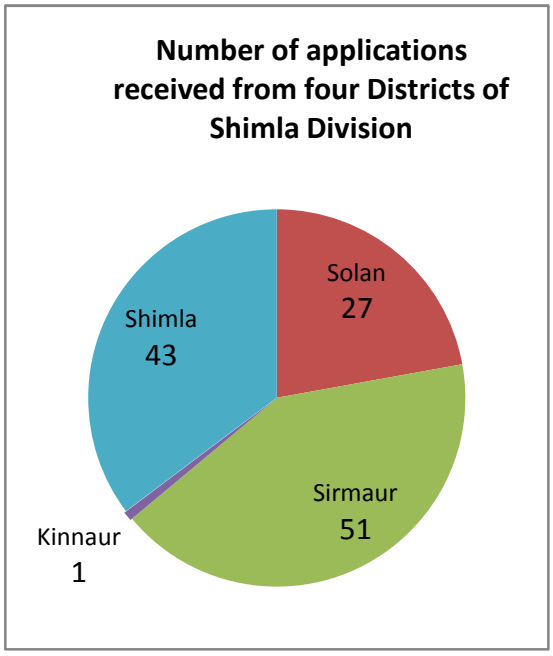


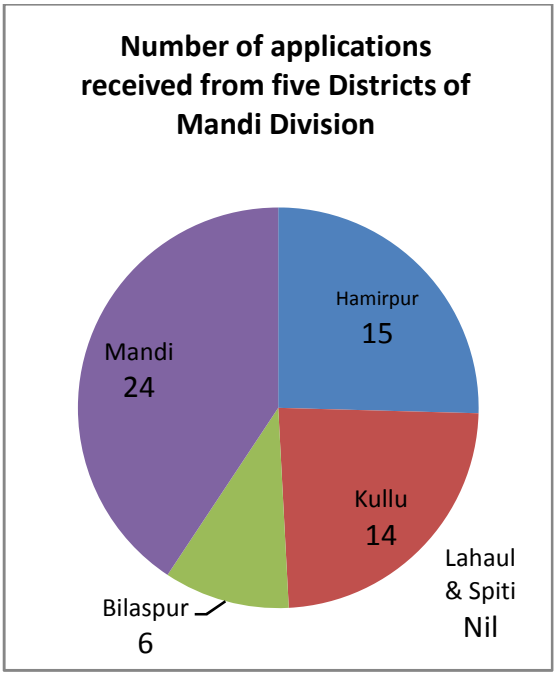


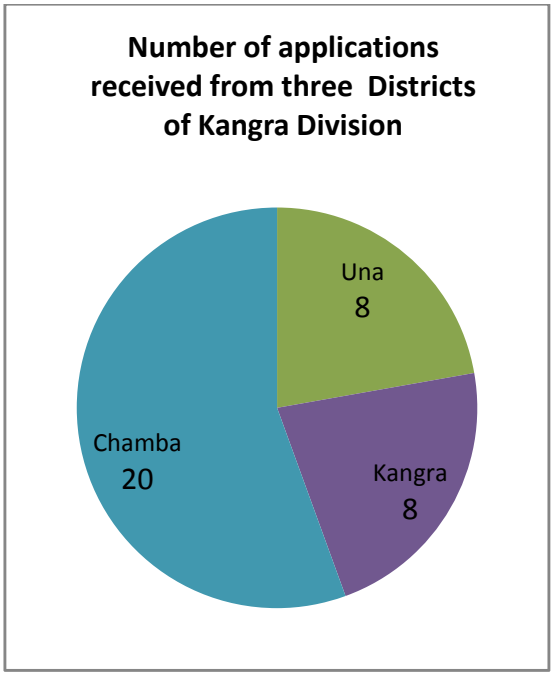
(iv)

Break up of applications/representations received in the State Information Commission









CHAPTER-1

INTRODUCTION

It is generally believed that the Right to Information and Open Government are two most important attributes of Democracies in the world. Further, the importance of role played by the Right to Information in the governance system of a nation has been recognised, in recent times, by all stake holders namely governments, civil society and common masses. Accepting that information is a powerful instrument in the hands of general public for strengthing democracy and good governance in the Country, the Indian Parliament enacted the Right to Information Act, 2005 in June, 2005. Thereby India joined more than 60 other nations for ensuring that access to information is provided to the general public by all government agencies.

2. The enactment of the Right to Information Act, 2005 introduced a new era of open governance in India and provided an opportunity to all the citizens of the country to interact more effectively with the officials and institutions, who are supposed to promote their welfare. This Act imposes a positive duty on governmental agencies to disseminate information to the people and gives every citizen the right to seek and receive information held by these agencies. The Act also seeks to promote transparency and accountability in the working of every public authority in the country. Experts are of the view that access to information can empower the general public to demand and receive information about the formulation and implementation of policies by the government agencies.

3. The Right to Information Act, 2005 came into force on 12th October, 2005 (120th day of its enactment on 15th June, 2005). But some of the provisions of the Act namely obligations of public authorities, designating Public Information Officers/ Assistant Public Information Officers, constitution of Central Information Commission and State Information Commissions and power to make rules came into force with immediate

effect *i.e.* from 15th June, 2005. This Act has a comprehensive reach and covers a wide spectrum of bodies like the Departments and Undertakings of the Central Government and State Governments, Panchayati Raj Institutions, Urban Local Bodies, other Bodies established, constituted, owned, controlled or substantially financed by governments including non-governmental organizations. Access to information under this Act is extensive with minimum exemptions which are also subject to strict safeguards.

4. The Himachal Pradesh State Information Commission was constituted on 4th February, 2006 and started functioning from 1st March, 2006 with headquarters at Shimla (Room No. 222, Armsdale Building, HP Secretariat). The Commission functioned as a single member body for the entire period under report.The Himachal Pradesh Secretariat provided secretarial staff and other support to the Commission during the year. However, some accommodation was hired for the newly recruited staff of the Commission against posts sanctioned by the State Government.

5. The RTI Act, 2005 has empowered the Central Information Commission and the State Information Commissions to

(i) receive and inquire into complaints pertaining to denial of information by public authorities

(ii) impose penalties on the erring Public Information Officers and recommend displinary action against them;

(iii) deal with and dispose of appeals against decisions of the first appellate authority;

(vi) make appropriate recommendations to public authorities not conforming with the letter and spirit of the Act specifying the steps to be taken by them for promoting such conformity.

6. The Act also empowers the State Information Commission to prepare a report on the implementation of the provisions of the Act during each year and forward the same to the State Government for laying it before the State Legislative Assembly. Consequently this Second Report has been prepared on the implementation of the Right to Information Act, 2005 in the State of Himachal Pradesh during the year 2006-07.

CHAPTER–2

Salient Features Of The Right to Information ACT, 2005 And The Rules Made Under It

The Right to Information Act, 2005 mandates a legal-institutional framework for setting out a practical regime of right to information to every citizen for securing access to information under the control of public authorities. It seeks to empower the people of the Country and promote transparency and accountability in the working of all public authorities under the Central Government and State Governments. The Act prescribes mandatory disclosure of information on the working of public authorities and designation of adequate number of Public Information Officers (PIOs)/Assistant Public Information Officers (APIOs) by all public authorities to process requests for information within stipulated time limits. A Central Information Commission (CIC) and State Information Commissions (SICs) have been constituted to inquire into complaints, hear second appeals, and guide implementation of the Act by public authorities under the Central Government and State Governments.

2. The main features of the RTI Act, 2005 can be summarised as under:-

(i) Any Indian citizen can seek any information from any public authority without specifying any reason.

(ii) Reqisite information has to be furnished by the Public Information Officers within specified time limits which can be denied only under exemptions provided in the Act itself.

(iii) The Act applies to all Government Departments, Corporations/Boards, Urban Local Bodies, Panchayati Raj Institution and Bodies established, constituted, owned,

controlled or substantially financed by government including non-governmental organizations.

(iv) Voluntary disclosure of information by public authorities on various aspects of their functioning which is required to be updated each year.

(v) The public authorities are required to designate adequate number of Public Information Officers to provide information and Assistant Public Information Officers at sub-divisional or sub-district level to receive applications and forward them to the Public Information Officers. The public authorities are also required to designate Appellate Authorities under section 19 of the Act.

(vi) The Public Information Officers have to issue reasoned communications while providing desired information or rejecting requests of applicants. Similarly, the Appellate Authorities are also required to pass well reasoned and speaking orders.

(vii) The Commissions both at the Central and State Level are empowered to impose penalty @ Rs.250/- per day subject to a maximum of Rs.25,000/- on erring PIOs in cases where the PIO has, without any reasonable cause:—

- refused to receive an application for information or
- has not furnished information within the time specified or
- malafidely denied the request for information or
- knowingly given incorrect, incomplete or misleading information or
- destroyed information which was the subject of the request or

- obstructed in any manner in furnishing the information.

In certain cases, the Commission can recommend disciplinary action against an erring Public Information Officer.

(viii) The Act provides that its provisions shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the Official Secrets Act, 1923, and any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

(ix) Section 23 of the Act envisages that no court shall entertain any suit, application or other proceeding in respect of any order made under this Act and no such order shall be called in question otherwise than by way of an appeal under this Act.

3. The RTI Act, 2005 empowers appropriate governments and other competent authorities to make rules for carrying out smooth and effective implementation of the provisions of the Act. Consequently the Government of Himachal Pradesh and other Competent Authorities namely The Himachal Pradesh Vidhan Sabha and The Hight Court of Himachal Pradesh have notified the Rules under the Act. The **"Himachal Vidhan Sabha Secretariat Right to Information (Regulation of Fee & Cost) Rules, 2006"** were notified on 15th June, 2006 and "**The High Court of Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2005"** were notified on 30th November, 2005. **The Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2006** were notified by the State Government on 21st January, 2006. These Rules came into force on the date of their publication in the official Gazette.

4. The Rules made by the State Government and other Competent Authorities have prescribed uniform rates of application fee and additional fee for furnishing the requisite information.The salient features of these Rules are as under:-

(i) Any person seeking information or seeking to inspect the record is required to make an application on prescribed format to the Public Information Officer/Assistant Public Information Officer of the public authority concerned, accompanied by the proof of payment of prescribed fee.

(ii) Persons belonging to Below Poverty Line (BPL) category are not required to pay any fee for seeking the desired information or for inspection of any record.

(iii) A separate application is required to be filed for seeking information in respect of each subject and in respect of each year.

(iv) Every page of information supplied to the applicant shall be duly authenticated giving the name of the applicant and shall bear the dated signatures and seal of the Public Information Officer.

(v) The rate of fee to be charged for furnishing the documents and for inspection of documents is given below:—

Sr. No	Description of information	Price/Fee in rupees.
1	Fee alongwith application.	Rs.10 per application.
2	Where the information is available in the form of a priced publication.	On printed price.

3	For other than priced publication.	(i) Rs.10 per page of A-4 size or smaller (ii) Actual cost subject to minimum of Rs.20 per page in case of larger size.
4	Where information is available in electronic form and is to be supplied in electronics form e.g. Floppy, CD etc.	Rupees 50 per floppy and Rs.100 per CD.
5	Fee for inspection of Record/document.	Rs.10 per 15 minutes or fraction thereof.

(vi) The prescribed fee is required to be paid through Demand Draft or Indian Postal Order payable to the public authorities concerned or can be deposited in a government treasury under the head of account **"0070-OAS, 60-OS, 800-OR, 11 – Receipt head under Right to Information Act, 2005"**.

5. The Rules framed under the Act also lay down the procedure for filing appeal before the designated Appellate Authority as well as before the State Information Commission. As per provisions of these Rules, the memorandum of appeal should contain name and address of the appellant as well as that of the Public Information Officer against whose decision the appeal is preferred along with particulars of the Order against which the appeal is preferred. It should also contain brief facts leading to the appeal. In cases of deemed refusal, the particulars of the application, including number and date, name and address of the Public Information Officer to whom the application was made is required to be indicated by the appellant in the memorandum of appeal. The appellant should also specify prayer or

relief sought, and grounds for the prayer or relief in the memorandum of appeal.

6. The Rules also provide that the designated Appellate Authority or the State Information Commission may decide an appeal ex-parte on merit in case the appellant is not present in person on the date of hearing. The appellant shall not urge nor be heard in support of any ground or objection which has not been set forth in the memorandum of appeal filed before the Appellate Authority/Commission. However, the designated Appellate Authority/Commission need not confine itself to the grounds set forth in the memorandum while deciding the appeal. The State Information Commission has also been empowered to frame Regulations in respect of its day-to-day proceedings by the Rules.

CHAPTER – 3

Role and Responsibilities of the State Information Commission, Himachal Pradesh

The RTI Act, 2005 provides for the constitution of a Central Information Commission and State Information Commissions for ensuring effective implementation of the right to information regime in the country in order to promote transparency and accountability in government affairs. The setting up of these Commissions is one of the most important features of this Act. The Himachal Pradesh State Information Commission was constituted by the State Government on 4th February, 2006. It started functioning with effect from 1st March, 2006 with headquarters at Shimla (Room No. 222, Armsdale Building, H.P. Secretariat) after Shri P.S. Rana assumed the office of State Chief Information Commissioner, Himachal Pradesh. The Commission was provided office space in the Armsdale Building of the State Secretariat and was provided all the necessary facilities during the year by the Secretariat Administration of the State Government. During the year under report, the Commission functioned as a single member body. However the strength of the Commission was increased by creating one position of State Information Commissioner during 2007-08 and Shri S.S. Parmar, IAS (HP-1971), the then Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh, was appointed as State Information Commissioner on 29.6.2007. Shri Parmar assumed the office of the State Information Commissioner on 2.7.2007.

2. The Act empowers the State Information Commission to receive and inquire into complaints relating to access to information under the control of public authorities under the State Government and also to impose, penalties on the erring Public Information Officers and to recommend disciplinary action against them. The Commission is also empowered to deal

with and dispose of appeals against decisions of the designated Appellate Authorities. It can make recommendations to public authorities not conforming with the letter and spirit of the provisions of the Act specifying the steps to be taken by them for promoting such conformity. Further, the Commission is required to prepare an annual report on the implementation of the provisions of the Act in the State and forward a copy thereof to the State Government for laying the same before the State Legislative Assembly.

3. During the year the State Government created 23 posts for smooth functioning of the Himachal Pradesh State Information Commission. The details of these posts are as under:-

Sr. No	Designation of the posts	Pay scale of the post	No. of the posts created
1.	Chief Information Commissioner	30,000/- plus allowances.	1
2.	Secretary (HAS/IAS) to the Commission	in their own pay scale	1
3.	System Analyst	7880-11660	1
4.	Reader-cum-Ahalmad	7220-11660	1
5.	Section Officer	7220-11660	1
6.	Senior Assistant	5800-9200	2
7.	Clerk-cum-Computer Operator	3120-5160 with initial start of Rs. 3220/-	2
8.	Private Secretary	7220-11660	1
9.	Personal Assistant	6400-10640	2
10.	Junior Scale Steno grapher	4400-7000	2
11.	Driver	3330-6200	2
12.	Process Server	2720-4260	1
13.	Chowkidar	2520-4140 with initial start of Rs. 2620/-	1
14.	Peons	2520-4140 with initial start of Rs. 2620/-	3
15.	Frash-cum-Mali	2520-4140 with initial start of Rs.2640/-	1
16.	Sweeper	2,520-4,140 with initial start of Rs. 2620/-	1
		Total	23

4. Powers and duties of officers and employees of the State Information Commission are as under:-

Sr.No.	Designation	Power and duties
i	State Chief Information Commissioner	General superintendence, direction and management of affairs of the State Information Commission. Disposal of appeals and complaints
ii	Secretary-cum-Registrar	Administration and financial control in the Commission and to provide assistance to the State CIC.
iii	Private Secretary to the State CIC	Secretarial assistance and work assigned by State CIC
iv	Reader-cum-Alhmad	Processing of appeals and complaints received in the Commission and carry out work assigned by the State CIC.
v	Section Officer-cum-Assistant Registrar	Assisting the Secretary-cum-Registrar in the administrative, financial and other matters of the Commission.
vi	The support staff	Providing assistance to the officers and carry out work assigned by supervisory officers of the Commission.

5. The Commission receives complaints under Section 18 of the RTI Act, 2005. On receipt of the same, the State CIC may order an inquiry or such other action as he deems fit. He may seek comments of the public authority and/or the PIO against whom the complaint is made and take a suitable decision as per the provisions of the Act after giving an opportunity to the PIO and complainant. The Commission also receives appeals under Section 19 of the Act. The State CIC disposes of the same after getting comments of the Public Information Officer and hearing him on the issues raised in the appeal. The applicant is generally given an opportunity to

present his/her case before the Commission takes final decision on any appeal. Although there is no time limit fixed in the Act for disposal of appeals and complaints received in the Commission, yet the Commission has been disposing off such appeals and complaints expeditiously. It is the endeavour of the Commission that such matters are finalized within a maximum period of 3 months of their receipt in the Commission. The appellant or complainant is generally given an opportunity to present his/her case in person or through any person authorised in this regard before the Commission takes a final decision.

6. The State Information Commission, Himachal Pradesh performs its functions as per provisions made in the RTI Act, 2005 read with the Himachal Pradesh RTI Rules, 2006/Himachal Vidhan Sabha Secretariat Right to Information (Regulation of Fee & Cost) Rules, 2006/ The High Court of Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2005. The Commission carrys out its administration, procures goods and services as per provisions of the RTI Act, 2005 and relevant rules and regulations of the State Government as adopted by it.

7. The Government of Himachal Pradesh made a provision of Rs. 59,61,000/- in the Annual Budget of the State for the financial year 2006-07 for meeting the administrative and other requirements of the State Information Commission. The details of budget sanctioned and expenditure incurred (headwise) for the year is as under:-

SR. NO.	SUB HEAD	SANCTIONED BUDGET	EXPENDITURE INCURRED
1.	SALARY	40,00,000	11,67,092
2.	WAGES	20,000	--
3.	TRAVEL EXPENSES	1,10,000	74,551

4.	OFFICE EXPENSES	5,16,000	4,75,525
5.	MEDICAL REIMBURSEMENT	60,000	28,195
6.	RENT RATE & TAXES	1,10,000	97,931
7.	HOSPITALITY	20,000	4,160
8.	MAINTENANCE	25,000	--
9.	MOTOR VEHICLE	9,00,000	--
10.	FURNISHING	2,00,000	1,99,500
	TOTAL	**59,61,000**	**20,46,954**

8. Savings in expenditure under sub head 'Salary' was on account of the fact that all the sanctioned posts were not filled up during the financial year. Further Secretarial assistance to the State CIC was provided by the Himachal Pradesh Secretariat. The savings under sub head 'Motor Vehicle' was due to the fact that a vehicle with a driver was provided to the State Chief Information Commissioner by the General Administration Department of the State Government and no new vehicle was purchased. Moreover the Commission observed utmost economy in incurring expenditure and ensured savings under other sub-heades of sanctioned budget as well.

_____

CHAPTER-4
IMPLEMENTATION OF THE ACT
(Disposal of applications by public authorities)

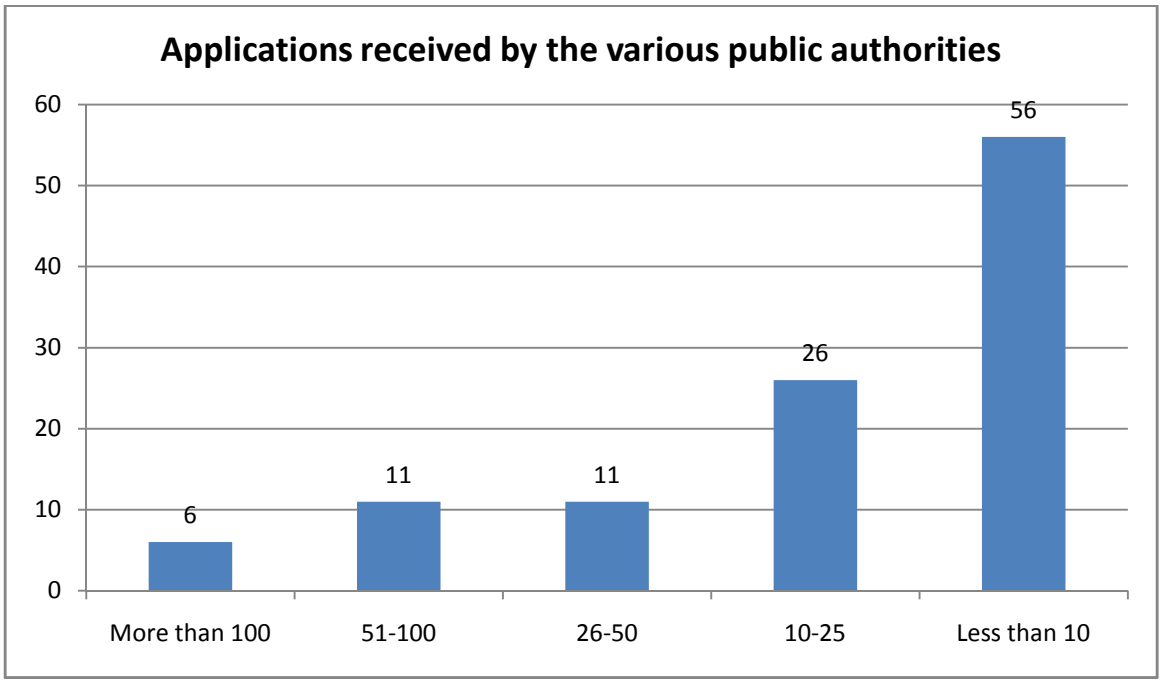
The Right to Information Act, 2005 envisages promotion of transparency in the working of all public authorities under the Central Government and State Governments and make them accountable to the common man. The Act is designed to prevent abuse of discretionary power of governmental agencies by requiring them to publish under section 4(1)(b) of the Act certain information about their working and update the same from time to time. Last year, only a few public authorities under the State Government had published the information prescribed under this section, During the current financial year, the implementation of provisions of section 4(1)(b) has been quite satisfactory. 158 Public authorities have published the prescribed information.

2. The public authorities are required to make available the information held by them to the general public on demand in a time bound manner through the Public Information Officers designated for the purpose. During the year 2006-2007, one hundred and ten public authorities of the State Government received 2654 applications seeking information under the Act. Other public authorities did not receive any application. Out of these, six public authorities received more than 100 applications each and eleven public authorities received 51 to 100 applications each. The remaining public authorities received less than 50 applications each during the period. It has been observed that a total of 1592 applications out of 2654 applications were received by 17 public authorities which amounts to sixty percent of the total applications filed in the State. A fee of Rs.2,34,281/- was collected by various public authorities during the same period.

3. Following table gives the break up of applications received by one hundred ten public authorities:

Applications received by the various public authorities

1.	Number of public authorities which received more than 100 RTI applicaions	6
2.	Number of public authorities which received 51 to 100 RTI applicaions	11
3.	Number of public authorities which received 26 to 50 RTI applicaions	11
4.	Number of public authorities which received 10 to 25 RTI applicaions	26
5.	Number of public authorities which received less than 10 RTI applicaions	56
6.	Total number of public authorities which received any application	110



4. The details of applications received, applications rejected, appeals filed, fee collected etc. by various public authorities are as under:—

Sr. No.	Name of Public Authority	Number of applications received	Number of cases where applications were rejected by the PIOs	Number of Appeals filed before the First Appellate Authorities	Number of Appeals filed before the State Information Commission	Number of cases where compensation was awarded by the Commission	Amount of fee collected Rs.
1	Governor's Sectt.	2					140
2	R.C.Office New Delhi	1					10
3	Vidhan Sabha Sectt.	7					130
4	Public Service Commission	84	9	1			2620
5	Lokayukta Office	2					870
6	State Commission for Women	7	2				346
7	Div. Commr. Shimla	11					800
8	Div. Commr. Kangra	13					315
9	HP High Court and Subordinate Courts	9	1	1			152
	H.P. Secretariat						
10	Administrative Reforms	2					510
11	Agriculture	1					65
12	Animal Husbandry	4		4			350
13	Forests	2					20
14	General Administration	32					3155
15	Health & Family Welfare	62					4343
16	Horticulture	1					30
17	Home	5	2				1120
18	Irrigation & Public Health	15			2	1	3342
19	Personnel	25	9	3			2820

20	Revenue	21			1		1450
21	Secretariat Administration	4	1	2	2		380
22	Town & Country Planning	2					250
23	Tourism	15	2				3440
24	Transport	2					790
	Administrative Departments						0
25	Agriculture	10	1	1			1990
26	Animal Husbandary	9					300
27	Ayurveda	4					150
28	Home Guards and Civil Defence	2					90
29	Police	140	17	3	1		9070
30	Co-operative	52		2	1		3842
31	Elementary Education	89	2	2	2		5309
32	Election	8					924
33	Estate Office	1					30
34	Excise & Taxation	6	1	1			350
35	Fisheries	3					720
36	Food & Civil Supplies	34	8				1673
37	Science & Technology	1					160
38	Forest Farming & Conservation	30					840
39	Health and Family Welfare	62			1	1	4343
40	Dental Health Services	2	1				290
41	Horticulture	10				1	410
42	Medical Education	20					300
43	Industries	65					12540
44	Science & Technology	1					160
45	Irrigation & Public Health	55		14			10943
46	Labour & Employment	8					1170
47	Consolidation of Holdings	2					1190
48	Printing & Stationary	6					280
49	Information and Public Relations	2					835
50	Rural Development	84	10	17			1929
51	Panchayati Raj	169	2	24	3		11481
52	Rajya Sainik Welfare	4					597
53	Settlement (Shimla)	21	13		2		926
54	Social Justice & Empowerment	10					770

55	Tribal Development	1					20
56	Technical Education	13					790
57	Tourism & Civil Aviation	14					1780
58	Town & Country Planning	101					10611
59	Transport	4					100
60	Treasuries	2					730
61	Urban Development	4					200
62	Youth Services & Sports	1					150
63	Mountaineering & Alied Sports	13		1		1	1500
64	Higher Education	59					2120
65.	Planning	16		1			680
	DY. COMMISSIONERS						
66	Shimla	23					1300
67	Solan	37					4135
68	Sirmour	31					5405
69	Kullu	21					899
70	Lahaul & Spiti	2					160
71	Kinnaur	28					975
72	Chamba	14					1090
73	Hamirpur	19					1330
74	Una	12					940
75	Kangra	67					3990
76	Bilaspur	48					2950
77	Mandi	52					5700
	CORPORATIONS						
78	Financial Corporation	25	7	2			2410
79	Forest Corporation	15		5	5		2153
80	General Industries Corporation	4	1				40
81	H.P.M.C.	4					340
82	HIMFED	4					519
83	State Industrial Development Corporation	8		1	1		1460
84	Tourism Development Corporation	20		1			1440
85	Road Transport Corporation	50	1				2668
86	Municipal Corporation, Shimla	221		9	3		22695
87	Civil Supplies Corporation	8					800

88	Coop.Milk Producers Federation	2					0
89	Himurja	1					10
90	Electronic Development Corporation	1					40
91	Handicrafts & Handloom Corporation	1					110
92	State Coop.Bank, Shimla	20	1				755
93	Small Industries & Export Corporation	6	1				780
94	Bus Stand Management & Development Authority	8					480
95	Houseing Federation	7					220
96	Agri.Rural Dev. Bank	8					1420
97	Jogindra central coop Bank	3					363
98	Apex Coop Society	2					157
	BOARDS						
99	Environment Protection & Pollution Control Board	31					1810
100	Khadi & Village Industries Board	8	1	1			1177
101	State Social Welfare Board	1					50
102	Marketing Board	2					170
103	Subordinate Services Selection Board	113	22	2			3130
104	Board of School Education	15					1575
105	HIMUDA	134		15	2		23656
106	HP Takniki Shiksha Board	2					120
107	HPSEB	46		5			6389
	Universities						
108	HP University, Shimla	4	2	1	1		1050
109	Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture & Forestry	25	1	7	1		3860
110	CSK HP Krishi Vishwa Vidyalaya Palampur	34	1	1	4		3819
	Total	**2654**	**119**	**127**	**32**	**4**	**234281**

5. The above table clearly shows that the Public Information Officers of various public authorities furnished the desired information to all the applicants except in 119 cases where the applications were rejected. Thus a little more than 4 percent of the total applications were rejected by the PIOs in the State. Most of these were rejected under section 8(1)(j) of the RTI Act, 2005. The number of first appeals is also slightly more than 4 percent of the total applications. The State Information Commission received 32 appeals against 127 first appeals filed with the designated Appellate Authorities. In addition, the Commission also received 52 complaints during the year for non-receipt or delayed response from the PIOs. Thus the Commission received a total of 84 appeals/complaints as against a total of 2654 RTI applications filed with various public authorities during the year. These figures show that response of the PIOs in the State to the requests for information received from the general public during the year under report have been quite satisfactory.

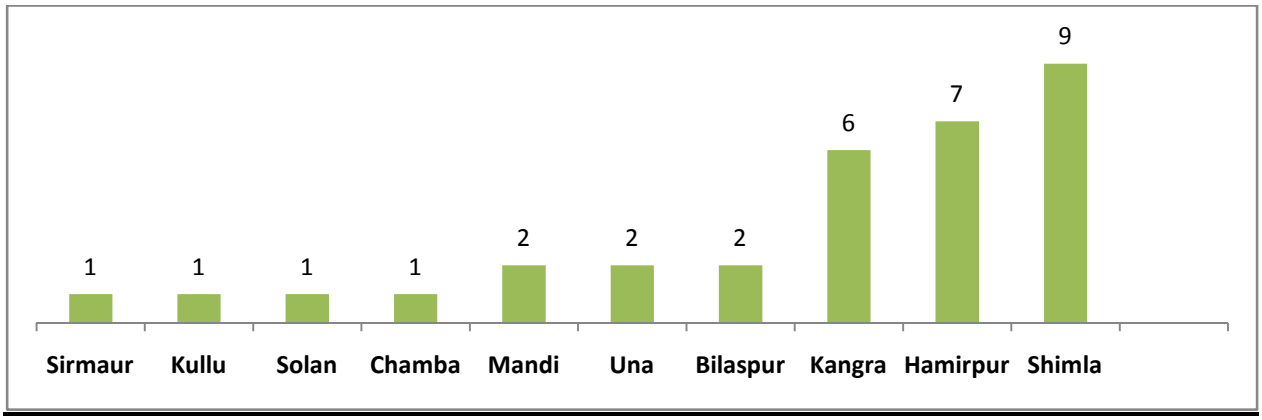
CHAPTER–5

IMPLEMENTATION OF THE ACT
(Disposal of appeals and complaints by the Commission)

Section 18 of the RTI Act, 2005 envisages that the State Information Commission shall receive and inquire into complaints from the general public regarding non-implementation of certain provisions of the Act like refusal of access to any information requested or non-receipt of any response within the time limit prescribed etc. Similarly the Commission is required to receive and decide second appeals under section 19 of the Act. Under this section, aggrieved appellants can file second appeal before the State Information Commission within 90 days of the receipt of decision of the First Appellate Authority. The Commission is empowered to condone delay in filling appeals in deserving cases.

2. During the period ending on 31.3.2007, the State Information Commission received 32 appeals from various appellants residing in 10 districts of the State against the decisions of Public Information Officers/First Appellate Authorities of 17 public authorities. Twenty two of these appeals were filed by the appellant from three districts of Shimla, Kangra and Hamirpur. The district wise status of appeals received in the Commission is given in the bar chart below:

District wise breakup of Appeals received in the Commission



3. Out of the 32 appeals received in the Commission, 24 appeals were decided during the year and only eight were pending for decision as on 31.3.2007. Out of the 24 appeals decided by the Commission, appeals were rejected only in 3 cases. In 21 cases, the PIOs were directed to provide the desired information within specified periods. The break up of appeals decided/pending is given in the table below:

(i) Break up of appeals received in the Commission

Total number of appeals received	32
Total number of appeals decided	24
Total number of appeals pending on 31.3.2007	8

(ii) Break up of appeals decided by the Commission

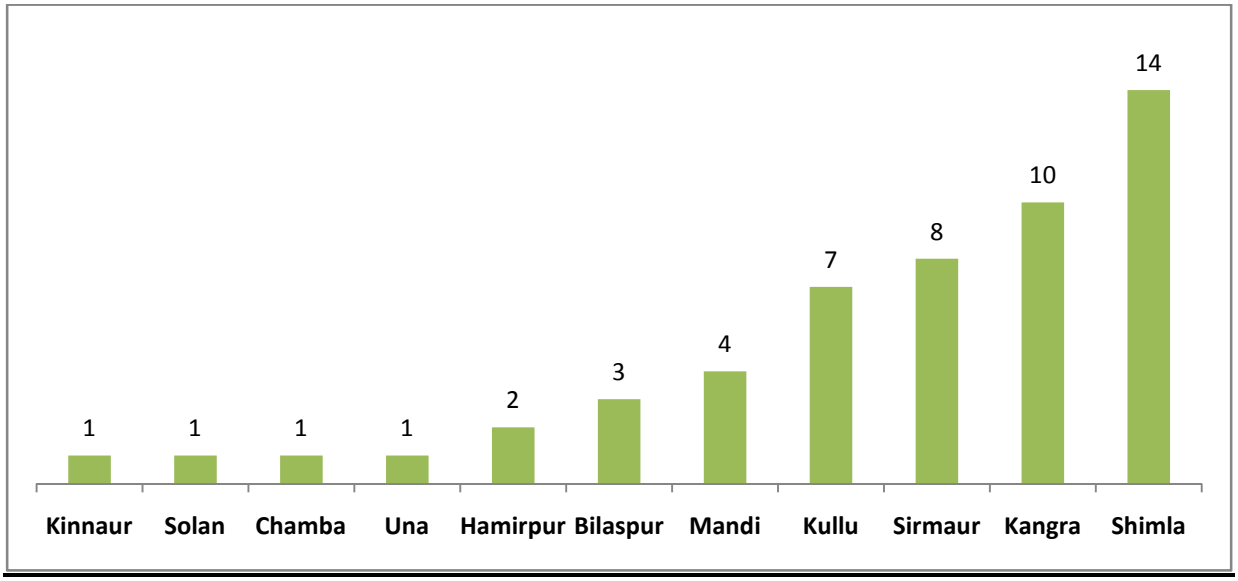
Decided in less than one month	16
Decided in more than one month but less than two months	6
Decided in more than two months	2

(iii) Break up of appeals pending on 31.3.2007

Pending for a period less than one month	4
Pending for a period from one month to two months	3
Pending for more than two months	1

4. During the year under report, the State Information Commission received 52 complaints under Section 18 of the Act from the applicants residing in 11 districts of the State. Thirty nine of these complaints were received from the complainants residing in four districts of the State namely Shimla, Kangra, Sirmour and Kullu. The district wise status of complaints received upto 31.3.2007 is given in the bar Chart below:

District wise breakup of Complaints received in the Commission



5. Out of the 52 complaints received, 47 complaints were decided by the State Information Commission during the year and only 5 were pending for desposal on 31.3.2007. Out of the 47 complaints decided, PIOs were directed to provide information in 43 cases. Complaints were rejected only in 4 cases. The periodwise breakup of the complaints received, decided and pending is given below:-

Break up of Complaints received, decided and pending on 31.3.2007

(i) Break up of complaints received and decided during the year

Number of complaints received	52
Number of complaints decided during the year	47
Number of complaints pending on 31.3.2007	5

(ii) Break up of complaints decided during the year

Decided in less than one month	26
Decided in more than one month but less than two months	21

(iii) Break up of complaints pending on 31.3.2007

Pending for period less than one month	2
Pending for period from one month to two months	2
Pending for more than two months	1

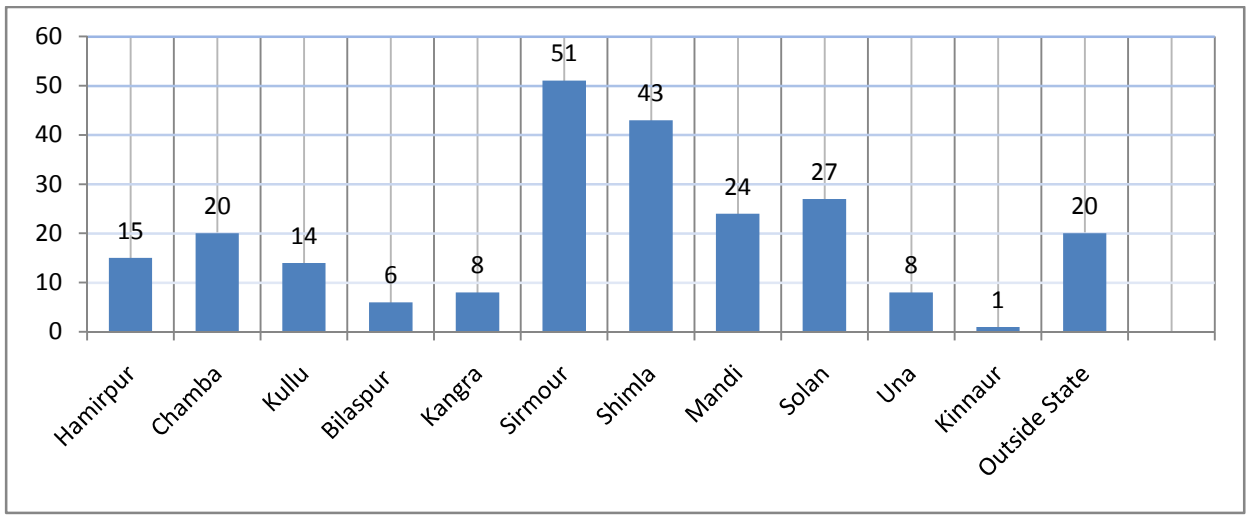
6. In four cases, the Public Information Officers were directed to compensate the complainants by way of payment of compensation to the tune of Rs. 3,452/- by the State Information Commission. However no penalty was imposed on any PIO and no disciplinary action was recommended to be taken against any PIO during the period under report.

7. In addition to the above appeals and complaints, the State Information Commission also received 257 miscellaneous applications/ representations during the period under the report which were forwarded to the Public Information Officers/Public Authorities concerned. The progress of these representation/applications was followed up with the concerned authority to ensure that the applicant received appropriate reply failing which some of these were taken up as complaints addressed to the Commission. The districtwise break up of these miscellaneous applications/representations received during the year is given in the table and Bar Chart below:—

Number of applications/representations received in the Commission, which were forwarded to the PIO's/Public Authorities concerned

Sr. No.	Name of district	Number of Applications/ representations received
1.	Hamirpur	15
2.	Chamba	20
3.	Kullu	14
4.	Bilaspur	6

5.	Kangra	8
6.	Sirmour	51
7.	Shimla	43
8.	Mandi	24
9.	Solan	27
10.	Una	8
11.	Kinnaur	1
12.	Outside State	20
	Total	257



CHAPTER – 6

TRAINING AND EDUCATION PROGRAMME

Sub-section (1) of section 26 of the RTI Act, 2005 envisages that the State Government would, to the extent of availability of financial and other resources:—

a) develop and organize educational programmes to advance the understanding of the public, in particular of disadvantaged communities as to how to exercise the rights contemplated under this Act;

b) encourage public authorities to participate in the development and organization of programmes referred to in clause (a) and to undertake such programmes themselves;

c) promote timely and effective dissemination of accurate information by public authorities about their activities; and

d) train Public Information Officers and produce relevant training materials for use by the public authorities themselves.

2. Pursuant to the above provisions of the Act, the Himachal Pradesh Institute of Public Administration Shimla conducted seventeen training programmes for the Public Information Officers and other officers of the State Government in the districts mentioned below:-

Sr. No.	Name of District	No. of Programmes conducted
1.	Shimla	6
2.	Kangra	3

3.	Chamba	1
4.	Kullu	1
5.	Una	2
6.	Hamirpur	1
7.	Mandi	1
8.	Kinnaur	2
	Total	17

3. The State Chief Information Commissioner, Himachal Pradesh visited nine districts of Hamirpur, Sirmour, Solan, Mandi, Kullu, Bilaspur, Kangra, Chamba and Una during the year 2006-07 and held meetings with the district level officers including the Public Information Officers and Assistant Public Information Officers. A similar meeting was also held with the district level officers of Shimla district. In these meetings, the officers were apprised of the salient features of the Right to Information Act, 2005 and the Rules framed under the Act by the State Competent Authorities. He also advised them to give adequate publicity among the general public during their field visits about the procedure to seek information under the Act. He impressed upon them the need to process the RTI applications received by them as per the provisions of the Right to Information Act, 2005 and to provide the desired information to the applicants within the prescribed time limits. Public Information Officers of the H.P. Secretariat and those designated by different administrative departments at the state headquarters were also apprised the salient features of the Right to Information Act, 2005 and the Rules by the State Chief Information Commissioner in two separate meetings held with them on 17th January, 2007 and 18th January, 2007.

CHAPTER – 7

OBSERVATIONS AND RECOMMENDATIONS

In the First Report submitted under section 25(1) of the RTI Act, 2005, the Commission had made certain recommendations for smooth and effective implementation of the RTI Act, 2005 by various public authorities under the purview of the State Government. The State Government has taken action on some of these recommendations. Annexure 'C' gives the details of action taken by the State Government on the observations and recommendations of the Commission. Some of the recommendations which require further action at the level of the State Government are being included as part of the observations and recommendations being made in this report.

2. The Commission is of the view that the implementation of the Act in the Himachal Pradesh during the period from 1.4.2006 to 31.3.2007 has been quite satisfactory. A total number of 2654 of applications were filed with 110 public authorities to seek information under the Act out of which requests were rejected only in 119 cases. 127 first appeals were filed before the designated appellate authorities and 52 complaints were received in the State Information Commission. The small number of first appeals and complaints indicate that the applicants were generally satisfied with the response of Public Information Officers. The Commission also received 32 second appeals indicating that the appellants were satisfied with the decisions of the designated appellate authorities. It was observed by the Commission that most of the complaints pertained to delay in receiving appropriate response from the PIOs. In number of cases, the delay was

attributed to the lack of awareness on the part of PIOs about the provisions of the RTI Act, 2005 and the Rules made thereunder. During the year, a sum of Rs. 2,34,281/- was received from the applicants as application fee and additional fee for furnishing the information.

3. As per provisions of section 5 of the RTI Act, 2005, public authorities were required to designate adequate number of Public Information Officers(PIOs) and Assistant Public Information Officers (APIOs) within one hundred days of the enactment of the Act. These authorities were also required to designate Appellate Authorities under section 19 of the Act. In pursuance of this provision, 159 public authorities have designated adequate number of PIOs, APIOs and Appellate Authorities for implementing provisions of the Act. No case was brought to the notice of the Commission where a public authority had not designated any PIO/APIO or the Appellate Authority. In fact the Panchayati Raj Department has designated PIOs and APIOs at the level of Panchayat Headquarters and Block Headquarters to enable the general public to file applications at Panchayat level itself. This is a commendable decision of the Panchayati Raj Department for the effective implementation of the Act.

4. Section 4(1)(b) of the Act envisages voluntary disclosure by a public authority on seventeen points about the working of that authority. It is also required to update the same periodically. Although a large number of public authorities at the state level have published the information under section 4(1)(b) of the Act yet the offices at district level of these authorities have not done the same. Most of the district level offices of the departments/Boards and Corporations have maintained that the voluntary disclosure by the Department/Board or the Corporation concerned at the state level provides the necessary information as envisaged in section

4(1)(b) of the Act. However, in order to implement the provisions of this section in letter and spirit, it is desirable that district level offices of the Departments/Boards/Corporations also publish the required information on the seventeen points pertaining to the district concerned and make it available in its field offices located in the district. Such a voluntary disclosure at district level is likely to reduce the number of RTI applications and will achieve the objective of bringing transparency as well as accountability in the working of public authorities at the grass root level. It is therefore, recommended that the district level offices of various Departments/Boards /Corporations be asked to publish the information as per provisions of Section 4(1)(b) of the Act.

5. In the first report, the Commission had recommended that complete details of PIOs/APIOs/Appellate Authorities at district level of a public authority may be kept in all the field offices of the districts concerned. It had also recommended that these details may be made available on notice boards at the district level offices of the public authority. The State Government have informed that the position has now changed as every Block in Himachal Pradesh has its PIO/APIO and Appellate Authority. No doubt, most of the public authorities have designated PIOs/APIOs/Appellate Authorities at District and Block level, as the case may be, yet their details are not available in all the offices of a public authority in the district concerned. Thus the implementation of this recommendation during the year has not been very satisfactory leading to lack of awareness among the general public about the names, designations and locations of PIOs, APIOs and Appellate Authorities of various public authorities. Hence the Commission would again recommend that complete details of the designated PIOs, APIOs and Appellate Authoritiies for a particular district of a public authority are made available in all its offices of the district

concerned. These details should also be displayed prominently on notice boards in the district offices of the departments/other public authorities.

6. Section 4(1) (a) of the Act stipulates that every Public Authority shall:—

- maintain all its records duly catalogued and indexed in a manner and the form which facilitates the right to information under the Act; and
- ensure that all records that are appropriate to be computerised are, within a reasonable time and subject to availability of resources, computerised and connected through a network all over the country on different systems so that access to such records is facilitated.

7. The above provision of the Act necessitates a critical review of the existing record management practices, record retention schedules for different categories of records and systems of indexing and numbering of records in various public authorities. It may also require changes in legal framework for record management, especially with regard to the creation and deletion of electronic records. The Commission is of the view that proper cataloguing and indexing of records is critically important for implementing various provisions of the Act pertaining to access to information under the RTI Act, 2005. Consequently it was recommended in the First Report that the State Government may take necessary steps including provision of adequate funds for computerising the records that are appropriate to be computerised and connecting them through a network all over the State in a phased manner within a specified time frame. In its reply, the State Government have informed that HIMSWAN is being set up, REFNIC is being implemented in the HP Secretariat, a new document management software is under preparation, Acts are being put on the website and Gazette notifications are on the website. These are welcome developments for implementing the aforesaid provision of section 4(1)(a) of

the Act. However, the records are required to be computerized by various public authorities in a time bound framework. Hence it is recommended that the State Government should take adequate steps for implementing provisions of section 4(1)(a) of the RTI Act, 2005 during the next financial year 2008-09.

8. During the interaction with the district level officers of different districts with the State Chief Information Commissioner in various meetings and also during the hearing of appeals and complaints, the Commission observed lack of awareness about various provisions of the RTI Act, 2005 and the Rules made thereunder amongst PIOs/APIOs which led to the delay, in some cases, in furnishing the required information to the applicants. Although the Himachal Pradesh Institute of Public Administration conducted seventeen training programmes for apprising the PIOs and APIOs about various provisions of the Act and the Rules, yet these programmes could cover only a small percentage of the total number of PIOs/APIOs in the State. In view of the large number of PIOs/APIOs and Appellate Authorities, HIPA may not be equipped to train all these officers within a specified time frame. Consequently the Commission had recommended in its First Report that other Training Institutions in the State should be involved in conducting training programmes covering the RTI Act, 2005 and the Rules for these functionaries. As observed above, there is still lack of awareness among the PIOs/APIOs/Appellate Authorities about the provisions of the Act and the Rules. Hence the aforesaid recommendation is reiterated for consideration of the State Government so that adequate number of training programmes are conducted for the officers during the next financial year.

9. The Panchayati Raj Department and the Department of Higher Education have designated a large number of PIOs and APIOs at Block level, Panchayat level and Senior Secondary School level. However, it has been observed by the Commission that these PIOs and APIOs lack awareness about various provisions of the RTI Act, 2005 and HPRTI Rules, 2006. This has generally led to delay in processing the RTI applications received by them. Such a lack of awareness has also been noticed among PIOs and APIOs posted at block or sub-division level of quite a few other Departments. Non-availability of the RTI Act, 2005 and HPRTI Rules 2006 in their offices have been cited by the PIOs/APIOs in a number of cases. At a number of places, the PIO/APIO concerned of a public authority does not have the facility of procuring copies of the Act/Rules from another PIO/APIO of the same or another public authority. School and College libraries also do not have copies of the Act and Rules. In these circumstance, the public authorities are expected to supply copies of the Act and the Rules to these functionaries so that they can process the RTI applications as per provisions of the Act and the Rules made under it. Consequently the State Government should direct all the public authorities to furnish copies of the RTI Act, 2005 and HPRTI Rules to all the PIOs, APIOs and Appellate Authorities. All the Libraries in the State may also be provided copies of the Act and the Rules.

10. HPRTI Rules, 2006 prescribe payment of fee of Rs. ten for inspection of documents for fifteen minutes or fraction thereof. The period of 15 minutes is too short for inspection. Moreover, Central Government has prescribed the time duration of one hour for inspection. This was examined and the Commission in the First Report had recommended reduction of fee prescribed for inspection of documents. However, the Action Taken Report submitted by the Department of Administrative Reforms is silent about the

action taken on this recommendation. It is again recommended that the Government may consider reduction in the fee prescribed for inspection of documents by increasing the duration of time prescribed in the Rules.

11. The Rules also envisage filing of RTI applications on a prescribed proforma. In a number of cases, the PIOs have rejected or returned the applications filed on plain paper even when these had clearly specified the information sought by the applicants. The Commission had to intervene on behalf of the applicants in such cases. The common masses are generally unaware of the requirement of filing RTI applications in prescribed formats and approach the Commission directly when an application is rejected or returned by the PIO concerned on this ground. In order to avoid such a situation, it is necessary that filing of RTI applicaitions on the prescribed format is made optional. It is, therfore, recommended that the HPRTI Rules may be suitably amended to remove the compulsory filing of RTI applications on prescribed format.

12. Sub section (1) of section 26 of the RTI Act, 2005 places certain responsibilities upon the State Government for propagating various provisions of the Act among the general public. The Government is expected to develop and organize educational programmes to advance the understanding of the public, in particular of disadvantaged communities as to how to exercise the rights contemplated under the Act. It is also required to promote timely and effective dissemination of accurate information by public authorities about their activities. The training of PIOs/APIOs/Appellate Authorities and production of relevant training material is also the responsibility of the State Government. Consequently the Commission had recommended in the First Report for drawing up a time bound action plan to implement the provisions of section 26 of the Act. The Himachal Pradesh Institute of Public Administration has conducted 17 training programs for the

officers during the year but no action plan has yet been prepared by the State Government for implementing the aforesaid recommendation of the Commission. It is, therefore, again recommended that a time bound action plan may be drawn up for implementing the provisions of section 26 of the RTI Act, 2005. Consequently educational programmes may be developed and organised for advancing the understanding of the public especially the disadvantaged communities on how to exercise the rights contemplated under the Act. The State Government should also promote timely and effective dissemination of accurate information by the public authorities about their activities. Seminars and Workshops are generally organized in various districts by different departments under different Schemes and Programmes from time to time. Similarly Festivals and Melas are celebrated at various places in the State where exhibitions are organized by a number of Departments/Boards/Corporations. These fora can be used for generating awareness among the common masses about the provisions of the RTI Act, 2005 and HPRTI Rules, 2006.

Annexure 'A'

STATUS OF APPEALS RECEIVED IN THE STATE INFORMATION COMMISSION UPTO 31.3.2007

Sr. No.	Name and address of the Appellant	Name and address of the PIO/Respondent	Date of appeal filed by the Appellant	Date of order passed by the Commission
	Shimla District			
1	Shri Ghanshyam Chand Thakur, Sr. Assistant, RD Branch, H.P. Sectt., Shimla.	Additional Secretary (SA) H.P. Secretariat, Shimla.	13.3.2006	19.7.2006 .
2	Smt. S.K. Chaudhary, The Mall, Shimla	Assistant Commissioner, Municipal Corporation, Shimla.	3.7.2006	21.7.2006
3	Shri Vinayak Kahol, Shimla.	PIO, H.P. State Industrial Development Corpn. Ltd, Shimla.	23.9.2006	18.10.2006
4	Shri Vinod Lakhanpal, Boileauganj, Shimla.	Assistant Commissioner, Municipal Corporation, Shimla.	20.10.2006	31.10.2006
5	Shri Padam Dev Sharma c/o Hemant Electricals, Totu, Shimla.	Additional Secretary (IPH), Govt. of H.P., Shimla.	22.12.2006	8.2.2007
6	Shri Vinod Lakhanpal, Boileauganj, Shimla.	Assistant Commissioner, Municipal Corporation, Shimla.	18.1.2007	19.4.2007
7	Sh. Anant Ram Negi S/o Shri Dhani Ram, R/o VPO Halaila, Kotkhai Shimla	The Superintendent of Police, Shimla	8.2.2007	23.2.2007.

8	Dr. Anupam Nanda S/o Sh. P.L. Nanda, C/o P.D. Nanda, Manager Marketing, SDA Complex, Shimla	The Registrar, HPU, Shimla-5	6.3.07	20.4.2007
9	Shri Ghanshyam Chand Thakur, Sr. Assistant, RD Branch, H.P. Sectt., Shimla.	Additional Secretary (SA)-cum-PIO H.P. Secretariat, Shimla.	7.2.07	20.4.07
	Sirmour District			
1	Shri Parveen Kumar, President, Sanjeevni Jan Kalayan Sewa Samiti (Regd.), Dadahu, Sirmour.	Deputy Secretary (Revenue) to the Govt. of H.P., Shimla.	22.1.2007	7.2.2007
	Kangra District.			
1	Shri S.D. Sankhayan, Palampur, Kangra.	Registrar, CSK, H.P. Krishi Vishvavidyalaya, Palampur, Kangra.	16.6.2006	18.7.2006
2	Shri B.R. Dhiman, Deputy Registrar, CSK, HPKV, Palampur, Kangra	Registrar, CSK, H.P. Krishi Vishvavidyalaya, Palampur, Kangra.	21.8.2006	13.9.2006
3	Shri Satish Chander, Dharamshala, Kangra.	District Panchayat Officer, Kangra at Dharamshala.	5.10.2006	1.11.2006 .
4	Shri S.D. Sankhyan, VPO Rajpur, Palampur, Kangra.	SDO (Civil), Dehra, District Kangra.	17.1.2007	8.2.2007
5	Shri B.R. Dhiman, Deputy Registrar, CSK, HPKV, Palampur, Kangra	Asstt. Registrar (Estt.)CSK, HPKV, Palampur, Kangra	21.1.2007	24.4.2007

6	Sh. Pardeep Kumar, Daily Paid Computer Operator, Deptt. of Agroforestry, CSK, HP KVV Palampur	In-charge (Rectt.), CSK HPKKV Palampur	21.3.07	7.5.2007
	Hamirpur District			
1	Shri Sukh Ram, Hamirpur	Panchayat Inspector, Bijhari Block, Hamirpur	13.10.2006	2.11.2006
2	Shri Onkar Singh, Hamirpur.	Divisional Manager, HP State Forest Corp. Hamirpur.	28.10.2006	22.11.2006
3	Shri Onkar Singh, Hamirpur.	Company Secretary, HP State Forest Corpn., Shimla.	28.10.2006	30.11.2006
4	Shri Onkar Singh, Partap Nagar, Hamirpur.	Manager (Admn) H.P. State Forest Corpn., Shimla.	20.12.2006	10.01.2007
5	Shri Onkar Singh, Partap Nagar, Hamirpur.	Divisional Manager, HP State Forest Corpn., Hamirpur.	20.12.2006	10.01.2007
6	Shri J.C. Kaith, Architectural & Engineering Services, 2nd Floor, Himachal Trading Co. Near Bus Stand Hamirpur, District Hamirpur.,	SE, HPPWD, 8th Circle, Hamirpur, District Hamirpur.	24.1.2007	14.3.2007
7	Sh. Onkar Singh, Hamirpur	Company Secretary, HPSFC, Shimla-9	13.3.07	10.5.2007
	Bilaspur			
1	Sh. Sanjeev Kumar, R/o Vill. Bhuwai, PO Swahan, Distt. Bilaspur	District Panchayat Officer, Bilaspur, Distt. Bilaspur	12.1.2007	1.2.07

2	Sh. Ram Dass Thakur, President, Blp. Truck Operator Truck Coop-Societies , Ltd., Barmana	Asstt. Registrar Coop-Societies Ltd,. Bilaspur	17.3.07	27.10.2007
	Chamba			
1	Smt. Sushma Kumari Dewal, Tissa (Chamba).	Deputy Director (Elementary Education), Chamba	28.11.2006	8.1.2007
	Una			
1	Shri Mohinder Singh, Gagret, Una.	Assistant Engineer, IPH, Sub-Division Gagret, at Dharamshala.	20.11.2006	1.2.2007
2	Dr. Rita Bherwal & Dr. S.O. Bherwal, Medical Officers, Regional Hospital Una, Distt. Una	The Chief Medical Officer, Una	23.2.07	7.5.07
	Mandi			
1	Sh. Harnam Singh Thakur, Bhiuli, Mandi	Executive Engineer, HIMUDA, Division, Mandi	1.12.2006	28.12.06
2	Sh. H.S. Thakur, President, Bhiuli Colony Nivasi Association Mandi	Executive Engineer, HIMUDA, Division, Mandi	12.1.2007	1.2.07
	Solan District			
1	Sh. Arun Singh, Jr. Asstt., O/o The Comptroller, UH&F Nauni, Solan	Registrar, Dr. YSP Uni. Nauni, Solan	7.2.2007	15.3.07.
	Kullu District			
1	Shri Hari Dutt Sharma, VPO Anni, District Kullu.	Deputy Director (Elementary Education)	3.1.2007	22.1.2007

Annexure 'B'

STATUS OF COMPLAINTS RECEIVED IN THE STATE INFORMATION COMMISSION UPTO 31.3.2007

Sr. No.	Name and address of the complainant	Name and address of the PIO/Respondent	Date of Complaint	Date of order by the Commission
	Shimla District			
1	Strawberry Hills Residential Welfare Association, Chhota Shimla.	Assistant Commissioner, Municipal Corporation Shimla.	14.7.2006	2.8.2006
2	Shri S.K. Chaudhary, The Mall, Shimla	SE (Works)o/o ENC, HPPWD, U.S. Club, Shimla.	31.7.2006	2.9.2006
3	Shri Ramesh Kumar, Kasumpti, Shimla	Directorate of Education, HP, Shimla.	12.8.2006	11.9.2006
4	Shri Virender Kumar, Shimla.	Chief Engineer (comm.), HPSEB, Shimla.	7.9.2006	3.11.2006
5	Shri Ravinder Kumar, New Delhi	Deputy Secretary (Home), Govt. of H.P., Shimla.	8.9.2006	27.10.2006
6	Sh. Ravinder Kumar, New Delhi	Er. R.S. Soni, Chief Engineer (Projects), State Electricity Board, Shimla	29.9.2006	27.10.2006
7	Shri Ram Lal Sharma, New Shimla, Shimla.	Assistant Commissioner, Municipal Corporation, Shimla.	6.10.2006	1.11.2006
8	Shri J.R. Azad, HIMUDA, Shimla.	Registrar, HP University Shimla.	13.10.2006	23.11.2006
9	Shri K.D. Verma, Shimla	District Panchayat Officer, Shimla.	16.10.2006	2.11.2006
10	Shri Jia Lal, ALM, HPSEB, Shimla.	SE (Operation Circle), HPSEB, Shimla.	4.11.2006	30.11.2006

11	Shri Inderjeet Verma, Shimla	Director of Health Services, HP	11.12.2006	9.1.2007
12	Sh. Rati Ram Sharma, S/o Late Sh. Sita Ram Sharma, Vill. Lajhoon, PO Chanog, Shimla	The Panchayat Inspector Mashobra, Block Mashobra Shimla	23.2.2007	13.3.2007
13	Sh. Bheem Sain Thakur, R/o Saini Bhawan near Govt. High School Khalini, Shimla-9	A.C. Municipal Corporation, Shimla-	23.2.2007	15.3.2007
14	Sh. K.S. Sisodia, Patwari, Assessment Branch, Directorate of Settlement , SDA Complex Kasumpti Shimla	Asstt. Settlement Officer, Shimla	13.3.2007	Complaint withdrawn on 30.3.2007.
	Sirmour District			
1	Jan Ekta Samiti, Paonta Sahib, Sirmour.	Environment Engineer, H.P. State Pollution Control Board.	22.7.2006	25.8.2006
2	Shri C.M. Madhur, Paonta Sahib, Sirmour.	Asstt.Settlement Officer, Shimla.	13.11.2006	12.12.2006
3	Shri Hemant Garg, Kala Amb, Sirmour.	Excise & Taxation Officer, Paonta Sahib, District Sirmour.	15.11.2006	6.12.2006
4	Shri Amar Jeet Singh Walia, Paonta sahib, Sirmour.	Asstt.Settlement Officer, Shimla.	16.11.2006	12.12.2006
5	Mrs. Anita Puri w/o Shri Rahul Puri, Sirmour.	Asstt.Settlement Officer, Shimla.	16.11.2006	12.12.2006

6	M/s IITT College of Engineering, Kala-Amb	Registrar, HPU, Shimla	22.11.2006	7.12.2006
7	Sh. Santosh Kumar, Principal (Retd.) Behind ITI Shamsherpur Paonta Sahib, Distt. Sirmour	Jt. Director, Hr. Edu. Lal Pani Shimla	6.2.2007	15.3.2007
8	Sh. Balraj Malhotra, H.NO. 79/1, W. No. 6, Near UBI, Paonta Sahib Sirmour	Dy. Director (Elementary Education) Sirmour at Nahan	13.3.2007	20.8.2007
	Solan District			
1	Shri Hitesh Verma, Arki, Solan	BDO, Kunihar, District Solan.	7.8.2006	27.9.2006
	Kangra District			
1	Shri Shanti Swarup Sharma, Palampur, Kangra.	Directorate of Industries, Himachal Pradesh, Shimla.	21.8.2006	10.10.2006
2	Shri B.R. Dhiman, Deputy Registrar, CSK, HPKVV, Palampur, Kangra.	Asstt. Registrar, CSK, HPKVV, Palampur, Kangra.	24.9.2006	13.11.2006
3	Shri Ravinder Kumar, New Delhi	Chief Judicial Magistrate, Kangra	25.9.2006	27.10.2006
4	Shri Chander Mohan, Fatehpur, Kangra.	Director of Health Services, HP	20.11.2006	9.1.2007
5	Shri Satish Bassi, Housing Board Colony, Kangra.	Secretary, HIMUDA, Shimla.	20.11.2006	6.12.2006

6	Shri Nardev Singh, Village Luthan, PO Sudhangal, Tehsil Dehra, District Kangra.	Jt. Director, Higher Education, Himachal Pradesh.	6.1.2007	23.1.2007
7	Shri Kanshi Ram, VPO Pathiar, District Kangra.	Law Officer, HPTDC Ltd., Ritz Annexe, Shimla.	22.1.2007	1.3.2007
8	Shri B.R. Dhiman, Dy. Registrar, CSK, HPKV, Palampur.	Assistant Registrar, CSK, HPKV, Palampur.	1.2.2007	24.4.07
9	Sh. Subhash Chander Tyagi, Asstt, Engineer(Retd.) Tyagi Niwas, V&PO Panchrukhi Palampur	Settlement Officer Kangra at Dharamshala	7.2.2007	19.5.07
10	Sh. Roop Singh S/o Late Sh. Rattan Chand, H. No. 22, Shyamnagar, Dharamshala Distt. Kangra	Secretary, Himachal Pradesh Takniki Shiksha Board Dharamshala, Kangra	14.3.2007	30.3.2007
	Kullu District			
1	Shri Faquir Chand, Anni, District Kullu.	SDO (Civil), Anni, Kullu.	26.9.2006	30.10.2006
2	Shri Faquir Chand, Anni, District Kullu.	SDO (Civil), Anni, Kullu.	26.9.2006	30.10.2006
3	Shri Faqir Chand Goswami, Nirmand, Kullu.	SDO (Civil), Anni, Kullu.	16.11.2006	29.12.2006
4	Shri Faqir Chand Goswami, Goswami, Kullu.	SDO (Civil), Anni, Kullu.	16.11.2006	29.12.2006

5	Shri Hari Dutt Sharma, VPO & Tehsil Ani, Near Hospital Ani, District Kullu, H.P.	Dy.Director (Elementary Education) Kullu, District Kullu,HP.	3.1.2007	22.1.2007
6	Shri Ram Lal Bhardwaj, Shastri, GMS Jalehar, Tehsil Ani, District Kullu,	Dy. Director (Elementary Education) Kullu, District Kullu,HP.	3.1.2007	22.1.2007
7	Sr. Chander Dev Sharma, Sr. Asstt. Directorate of Mount. & Allied Sports Manali	Directorate of Mountaineering & Allied Sports Manali.	27.1.2007	1.3.2007
	Kinnaur District			
1	Shri Kulwinder Sandhu, Kinnaur.	SDM, Kalpa, Reckong Peo, Kinnaur.	28.9.2006	19.10.2006
	Chamba District			
1	Shri Om Prakash, Chameshani, Chamba.	Director, Directorate of Elementary Education, Lal Pani, Shimla.	23.10.2006	13.11.2006 .
	Mandi District			
1	Smt. Narvda Kumari, Mandi	District Education Officer, Mandi.	20.11.2006	7.12.2006.
2	Shri Kashmir Singh Guleria, Mandi.	Distt. Controller, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Mandi.	23.11.2006	7.12.2006
3	Shri Bhushan Lal Sharma, Village Chhaprol, PO Gagal, Tehsil & District Mandi,HP	Supdt. o/o XEN, IPH, Division Sunder Nagar, Mandi.	11.1.2007	14.2.2007

4	Sh. Bharat Kumar, C/o Kumar Hotel, Old Bus Stand, Sundernagar, Distt. Mandi	The G.M. HP State Coop Bank Ltd., The Mall Shimla	1.2.2007	3.3.2007
	Bilaspur District			
1	Ms Bandna Kumari, VPO Gherwin, District Bilaspur,	District Panchayat Officer, Bilaspur	17.11.2006	27.12.2006.
2	Shri Prakash Singh s/o Shri Mansa Ram, Village Behran, PO & Tehsil Jhandutta, District Bilaspur.	BDO, Jhundatta, District Bilaspur, H.P.	11.1.2007	3.2.2007
3	Sh. Prakash Singh, S/o Sh. Mansa Ram, Vill. Beheren, P.O. Jhanduta, Distt. Bilaspur	The Block Development Officer, Jhanduta, Bilaspur	8.2.2007	15.3.2007
	Una District			
1	Sh. Surinder Pal Manhas, VPO Songhnai Via Ghaneri, Tehsil Amb, Distt. Una	Additional Secretary (IPH) HP Sectt.	23.2.2007	19.4.07
	Hamirpur District			
1	Sh. Tansen Kayastha, W. No. 9, VPO Sujanpur Tihra, Tehsil Sujanpur, Distt. Hamirpur	The Dy. Director (Elementry Edu.) Directorate of Elementry Education HP Lal Pani, Shimla-1	23.2.2007	14.3.2007
2	Sh. Onkar Singh, H. NO. 53, W. No. 3, Partap Nagar, Hamirpur	Manager (Admn.), HPSFC, SDA Complex Kasumpti	13.3.2007	10.5.2007

Annexure 'C'

Status Of Implementation Of Recommendations Made By The Commission In Its First Report

Sr. No.	Observations and Recommendations of the Commission made in the First Report	Action taken by the State Government
1.	As mentioned earlier in this report, the Right to Information Act, 2005 came into force on 12th October, 2005. However, certain provisions of the Act including the power to make rules came into force w.e.f. 15 June, 2005. Consequently, exercising the powers under the Act, the State Government and other Competent Authorities notified three sets of rules for implementing various provisions of the Act. The Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2006 were notified by the State Government on 21st January, 2006. The High Court of Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2005 were notified on 30th November, 2005 and the Himachal Vidhan Sabha Secretariat Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2006 were notified on 15th June, 2006. The State Information Commission was constituted by the State Government on 4th February, 2006 which started functioning from 1.3.2006. The delay in notification of the Rules prescribing the rates of fee to be paid under the Act may be one of the causes for filing of only a few applications under the RTI Act, 2005. Lack of adequate publicity about the provisions of the	The HP Right to Information Rules, 2006 were notified by the Government on 21st January 2006. It is true that the Rules were not publicized. However after 1st and 2nd amendments in the Rules the Director Public Relation was requested in February 2007 to give wide publicity to the Rules as well as fee structure of the Rules.

	Act could also be one of the factors for smaller number of applications filed under the Act.	
2.	The Commission observed that lack of awareness about provisions of the Act and the Rules amongst PIOs / APIOs led to delay, in some cases, in furnishing the information to the applicants. During the year, the Himachal Pradesh Institute of Public Administration had conducted four training programmes for apprising the PIOs and APIOs about various provisions of the Act and the Rules. However, these programmes could cover only a small percentage of the PIOs / APIOs in the State. In view of the large number of PIOs / APIOs and Appellate Authorities, the training facilities available at HIPA may not be adequate to train all these officers before the end of the financial year 2006-2007. Hence it is necessary that other Training Institutions in the State are also involved in conducting training programmes covering the Act and the Rules for these functionaries. Further, in order to increase general awareness about various provisions of the Act and the Rules thereunder, one training session can be devoted towards the Act and the Rules in all the Training Programmes especially those meant for elected representatives of Panchayati Raj Institutions (PRIs) and Urban Local Bodies (ULBs) being conducted by various Training Institutions in the State. This step is expected to spread awareness about the RTI Act, 2005 and the	Two workshops in Secretariat and one at HIPA on RTI Act were conducted for giving awareness about the provisions of the Act and Rules. We have again written to the Director HIPA enclosing a copy of recommendations of the Chief Information Commissioner, State Information Commission to conduct such workshops in future also.

	Rules thereunder amongst the general public in the State through the elected representatives of PRIs and ULBs. However, in the absence of adequate financial support, these Training Institutions including HIPA would find it difficult to conduct such training programmes. Hence the State Government should provide funds to HIPA and other Training Institutions for imparting necessary training to the PIOs / APIOs and the Appellate Authorities within a specified time frame so that these functionaries are properly equipped to process applications received under the RTI Act, 2005 within the period prescribed under the Act.	
3.	During the period covered in this report, the implementation of the provision relating to designation of PIOs / APIOs / Appellate Authorities by various public authorities under Sections 5 and 19 of the Act has been satisfactory to some extent. But the implementation of the provision pertaining to voluntary disclosure as envisaged in section 4(1)(b) of the Act has not been very satisfactory. The Government should, therefore, take necessary steps to ensure the completion of the updated voluntary disclosure work during the current year i.e. before 31.3.2007. It may also be ensured that every Public Authority in the State has designated adequate number of PIOs / APIOs and Appellate Authorities as per provisions of the	Every Public Authority except HP University has published the information as envisaged in Section 4(1)(b) of the RTI Act.

	Act.	
4.	It has come to the notice of the Commission that a number of field offices of a Public Authority do not have the list of PIOs / APIOs designated by that Public Authority. Consequently, the applicants have to contact the district level offices or the state level offices of these authorities and sometimes the office of the State Information Commission to know the names of the PIOs / APIOs for filing applications under the Act. The public authorities may, therefore, ensure that its field offices have complete details of the designated PIOs / APIOs/ Appellate Authorities. The departments / public authorities, having larger public interface, should ensure that these details in respect of a district are available on a notice board at its district level office.	The position has been changed now as every Block in HP has its PIO/APIO and Appellate Authority.
5.	It has been brought to the notice of the Commission that payment of prescribed fee under the Act through treasury challans is quite cumbersome and time consuming. The subsequent order of the State Government authorising payment of fee through demand draft has eased the situation. However, the high cost of a demand draft of Rs 10/- is being pointed out to the authorities by the applicants. The State Government may, therefore, consider payment of prescribed fee in cash or at least through Indian Postal Orders. The State Government may also consider issuing	Payment through IPO has been allowed/implemented vide notification No.Per(AR)-F(7)-2/98-Vol-I, dated 8th January, 2007.

	orders to enable the Drawing and Disbursing Officer (DDO) of a field office of a department/Public Authority to sign on the treasury challans in cases pertaining to other departments and public authorities who are not having a DDO at that station. This step is expected to provide relief to the applicants especially those residing in remote areas.	
6.	The fee for inspection of record/ document has been prescribed as Rs. 10/- per 15 minutes of inspection or fraction thereof in the notified Rules. Representations have been received from the public that the fee prescribed for inspection is on the higher side especially in view the rates prescribed by Government of India. The rate of inspection of record / document prescribed by the State Government works out to be Rs. 40/- for one hour of inspection as against Rs. 5/- being charged in the Central Government. For a meaningful inspection, there seems to be adequate justification for reviewing this provision. It is, therefore, recommended that the duration of inspection may be increased to at least 30 minutes or fraction thereof, from the present duration of 15 minutes or fraction thereof.	Cost has been kept keeping in view cost of collecting, cataloging, compling.
7.	Section 4(1) (a) of the Act stipulates that every Public Authority shall:—	HIMSWAN is being set-up. REFENIC is being

	• maintain all its records duly catalogued and indexed in a manner and the form which facilitates the right to information under the Act; and • ensure that all records that are appropriate to be computerised are, within a reasonable time and subject to availability of resources, computerised and connected through a network all over the country on different systems so that access to such records is facilitated. The above provision of the Act may necessitate a critical review of the existing record management practices, record retention schedules for different categories of records and systems of indexing and numbering of records in public authorities. It may also call for changes in legal framework for record management, especially with regard to the creation and deletion of electronic records. Proper cataloguing and indexing of records is critically important for implementing various provisions of the Act pertaining to access to information under the RTI Act, 2005 by the	implemented. A new document management software is under preparation. Acts are being put-up on the website. Gazette notifications are on the website.

	citizens of the country. The State Government may, therefore, take necessary steps including provision of adequate funds for computerising the records that are appropriate to be computerised and connecting them through a network all over the State in a phased manner within a specified time frame.	
8.	The public authorities are required to submit periodic returns as well as reports to the Department of Administrative Reforms in the State Government and the State Information Commission. In order to submit these returns and reports in time, a Public Authority will have to collect the information on prescribed formats from a number of PIOs and APIOs located in its field offices. This definitely necessitates the assignment of this work to a Nodal officer at the headquarters of the Public Authority. The institution of designating an officer as the Nodal officer is also expected to ensure a uniform approach by all the PIOs in processing applications received under the Act. It is also expected to ensure better coordination with the Administrative Department of the Public Authority, the Department of Administrative Reforms (the Nodal Department for RTI Act, 2005) and the State Information Commission. It would, therefore, be appropriate to designate an officer at the headquarters of a Public Authority as a Nodal Officer for implementing	We have suggested designating Appellate Authority as Nodal Officer vide letter No.Per(AR)F(7)-2/98-Vol.I, dated 19th April, 2006.

	the provisions of the Right to Information Act, 2005. For departments / public authorities having a large number of PIOs and APIOs, a cell may also be constituted at the headquarters of the departments/public authorities concerned to assist the Nodal officer.	
9.	The sub section (1) of section 26 of the RTI Act, 2005 places certain responsibilities upon the State Government for propagating various provisions of the Act among the general public. The State Government is required to develop and organize educational programmes to advance the understanding of the public, in particular of disadvantaged communities as to how to exercise the rights contemplated under the Act. The State Government is also required to promote timely and effective dissemination of accurate information by public authorities about their activities. The training of PIOs and production of relevant training material is also the responsibility of the State Government. It is, therefore, recommended that a time bound action plan may be drawn up by the State Government to implement the above provisions of section 26 of the Act.	We have directed Director, Institute of Public Administration vide letter No. Per(AR)-A(8)-1/2006, dated 3rd May, 2007 to take action on the first report of Himachal Pradesh State Information Commission relating to the training activities and funding arrangements with utmost endeavour.

द्वितीय
रिपोर्ट

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 का क्रियान्वयन
(अप्रैल 1,2006 से 31 मार्च,2007)

राज्य सूचना आयोग
हिमाचल प्रदेश

कमरा न0 222
आर्मजडेल भवन,
हि0 प्र0 सचिवालय,
शिमला-171002

दूरभाष : 0177-2621904
टेलिफैक्स : 0177-2621529
ई0 मेल : scic-hp@nic.in

विषय सूची

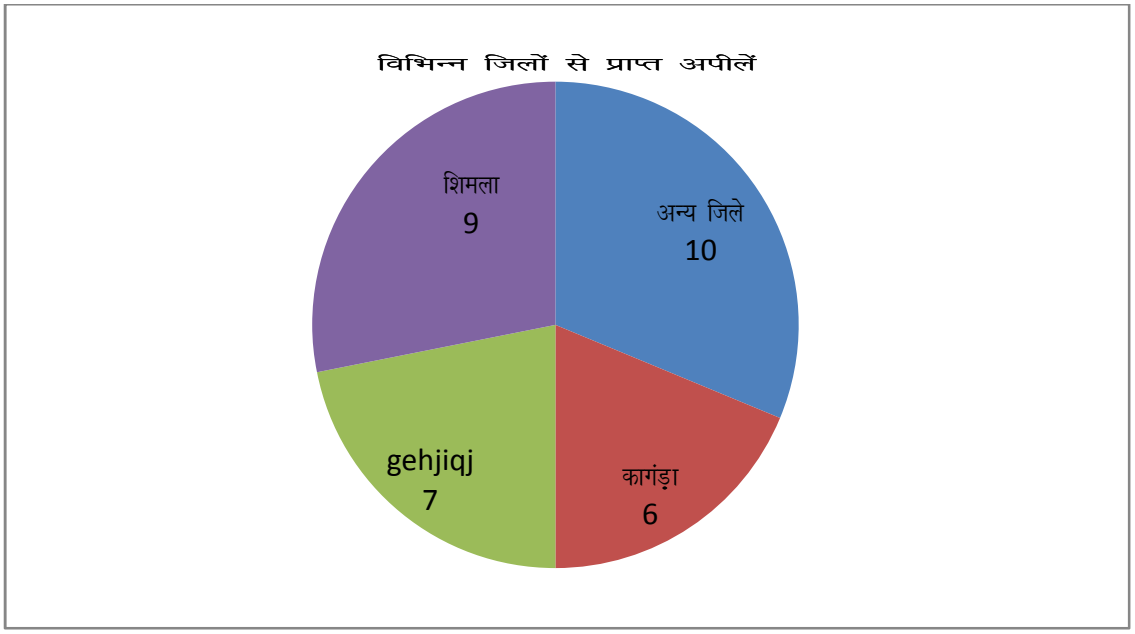
क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
	संक्षिप्त आंकडे	i-iv
	अध्याय	
1	परिचय	1-2
2	सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की मुख्य विशेषताएं तथा इसके अर्न्तगत तैयार किए गए नियम	3-6
3	हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग की भूमिका तथा उत्तरदायित्व	7-10
4	अधिनियम का क्रियान्वयन (सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा आवेदन का निपटान)	11-16
5	अधिनियम का क्रियान्वयन (आयोग द्वारा अपीलों तथा शिकायतों का निपटान)	17-21
6	प्रशिक्षण एवं शिक्षा कार्यक्रम	22-23
7	प्रेक्षण एवं संस्तुतियां	24-29
	परिशिष्ट 'क' राज्य सूचना आयोग में प्राप्त शिकायतों की स्थिति	30-34
	परिशिष्ट 'ख' राज्य सूचना आयोग में प्राप्त शिकायतों की स्थिति	35-41
	परिशिष्ट-'ग' राज्य सूचना आयोग द्वारा प्रथम रिपोर्ट में की गई संस्तुतियों के क्रियान्वयन की स्थिति	42-47

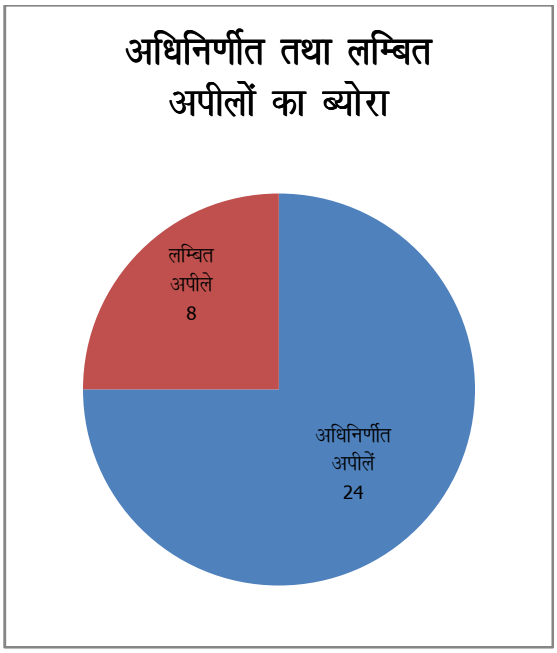
हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग
वार्षिक रिपोर्ट - संक्षिप्त आंकडे
(1.04.2006 से 31.03.2007)

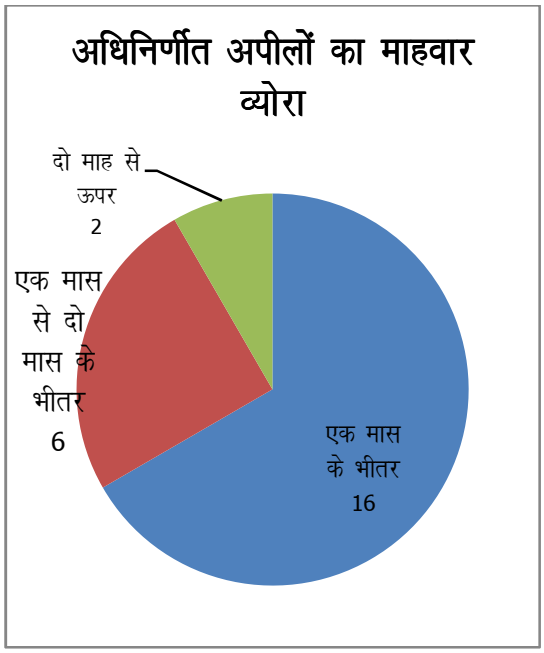
क	सार्वजनिक प्राधिकरणों की संख्या, जिन्होंने राज्य सूचना आयोग को वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की	110
ख	31.03.2007 तक सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों को प्रस्तुत किए गए आवेदनों की संख्या	2654
ग	सार्वजनिक प्राधिकरणों के सार्वजनिक सूचना अधिकारियों द्वारा अस्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या	119
घ	जन सूचना अधिकारियों द्वारा एकत्रित शुल्क तथा अतिरिक्त शुल्क की कुल रकम	रू02,34,281
ञ	वर्ष के दौरान दायर प्रथम अपीलों की संख्या	127
च	31.03.2007 तक सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19 के तहत राज्य सूचना आयोग में प्राप्त अपीलों की संख्या	32
छ	वर्ष के दौरान राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिनिर्णीत अपीलों की संख्या	24
ज	31.03.2007 तक सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 18 के तहत प्राप्त शिकायतों की संख्या	52
झ	वर्ष के दौरान राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिनिर्णीत शिकायतों की संख्या	47
ङ	मामलों की संख्या जिनमें आयोग द्वारा अपील/शिकायत कर्ताओं को मुआवजा दिलवाया गया	4

(ii)

राज्य सूचना आयोग में प्राप्त, अधिनिर्णीत तथा लम्बित अपीलों का ब्योरा

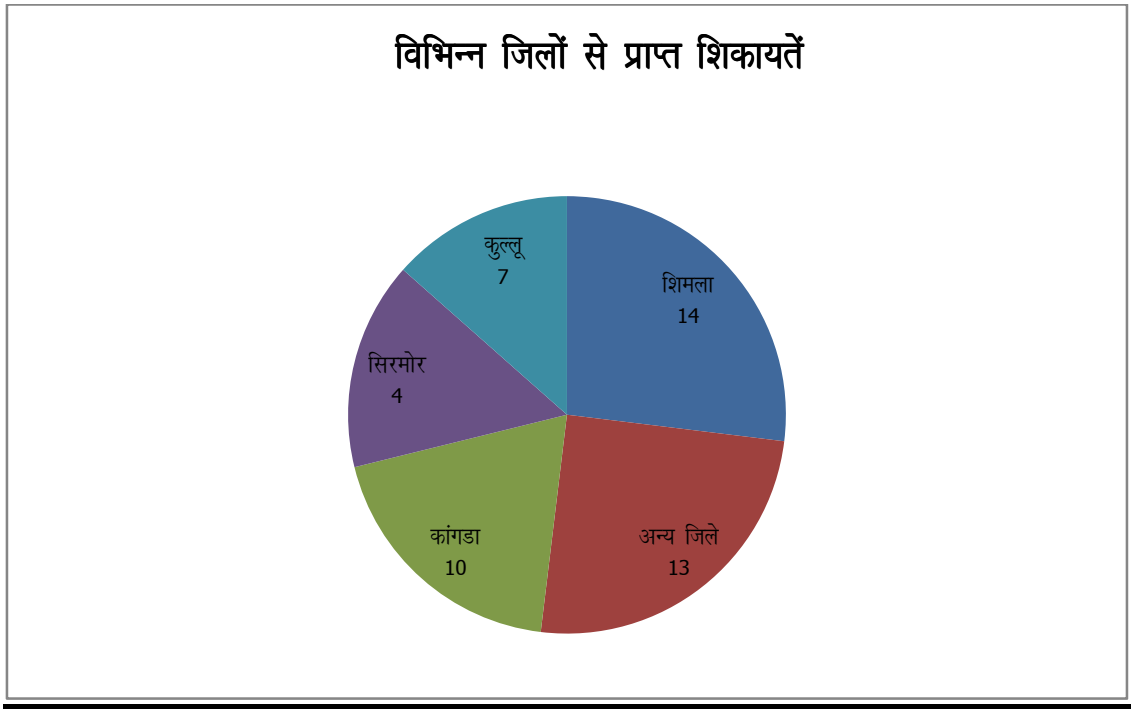


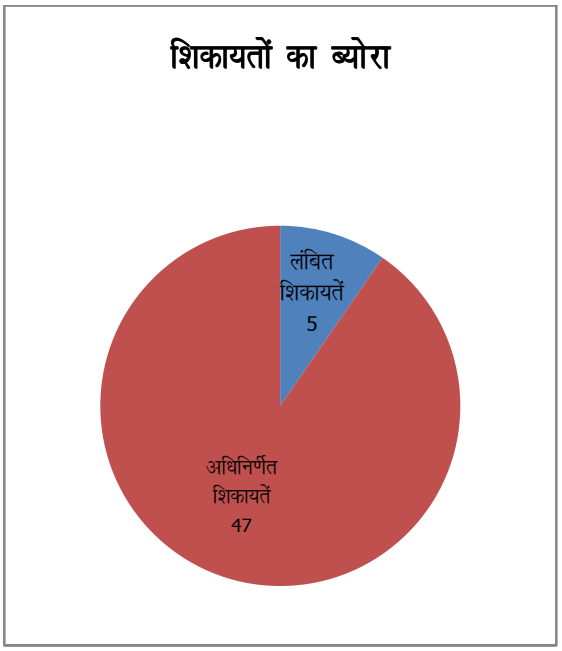


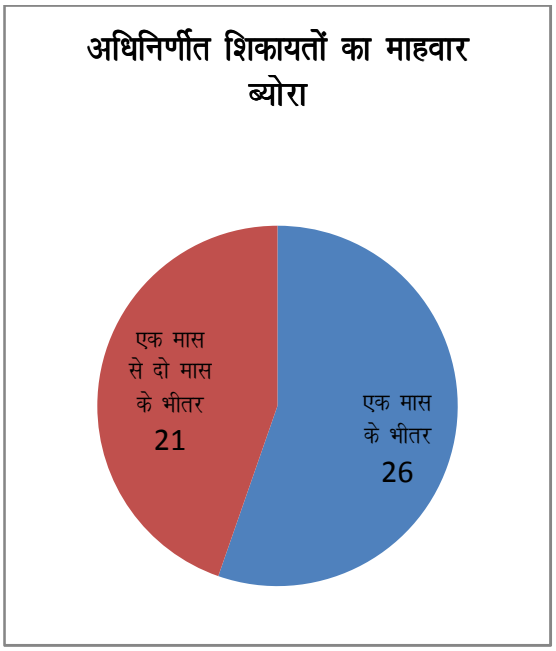


(iii)

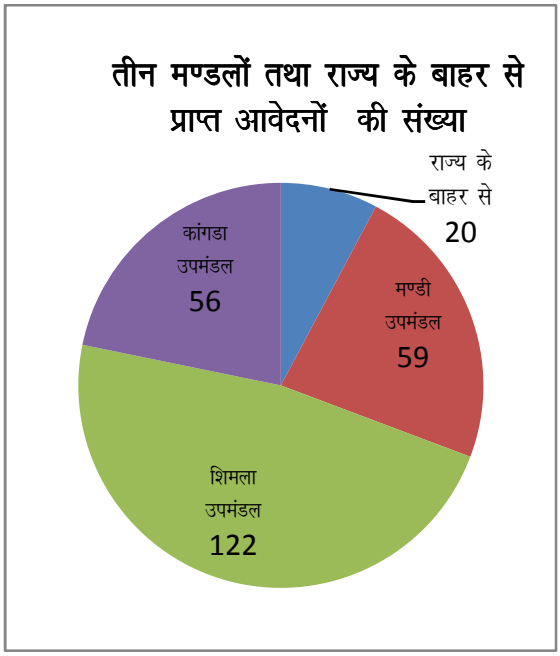
राज्य सूचना आयोग में प्राप्त, अधिनिर्णीत तथा लम्बित शिकायतों का ब्योरा

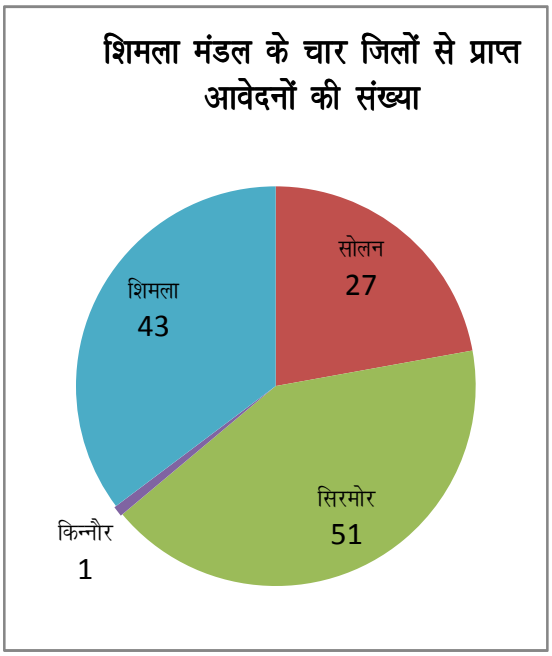


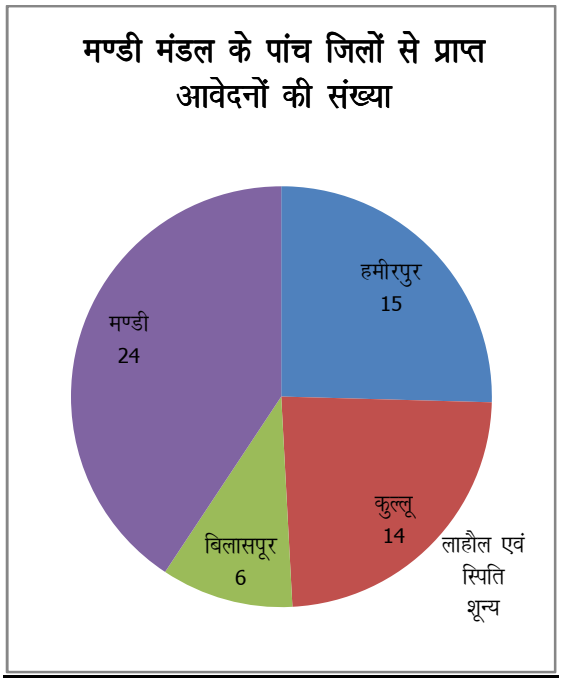


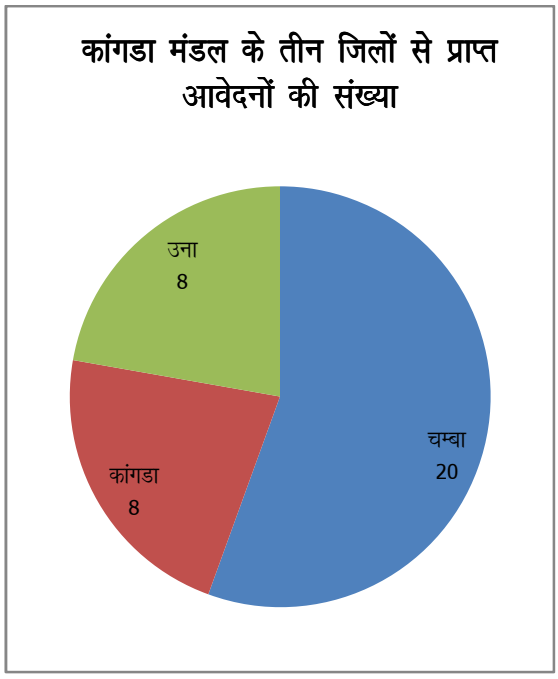


राज्य सूचना आयोग में प्राप्त आवेदनों/प्रतिवेदनों का ब्योरा









अध्याय-1

परिचय

सूचना का अधिकार तथा खुली सरकार आम तौर पर विश्व में प्रजातंत्र की दो मुख्य विशेषताएं मानी जाती हैं । कुछ समय से सभी सरकारों, सिविल सोसाईटी तथा आम जनता द्वारा किसी भी राष्ट्र की राजतंत्र प्रणाली में सूचना का अधिकार द्वारा निर्वहन की जा रही भूमिका के महत्व को मान्यता दी जाने लगी है । आम जनता के हाथ में सूचना का अधिकार एक ऐसा हथियार है जिससे देश में प्रजातंत्र तथा सुशासन को सुदृढ किया जा सकता है । इस तथ्य को स्वीकारते हुए भारत की संसद द्वारा जून,2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 अधिनियमित किया गया । इस प्रकार समस्त सरकारी एजेंसियों द्वारा आम जनता को सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए भारत वर्ष भी ऐसे 60 से अधिक देशों में शामिल हो गया जिन्होंने जनता को यह सुविधा प्रदान की है।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 को अधिनियमित किए जाने से पारदर्शी शासन का नया युग आरम्भ हुआ है और देश के नागरिकों को उन अधिकारियों तथा संस्थानों से और अधिक प्रभावी ढंग से संपर्क साधने की सुविधा प्राप्त हुई है जो जनता के कल्याणकारी विकास हेतु कार्यरत हैं । इस अधिनियम द्वारा सरकारी एजेंसियों का उत्तरदायित्व हो जाता है कि वे जनता को सूचना उपलब्ध करवाए । प्रत्येक नागरिक को इन संस्थानों से सूचना मांगने तथा प्राप्त करने का अधिकार मिल गया है । देश में कार्यरत प्रत्येक सरकारी अधिकारी की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता भी इस अधिनियम के तहत अपेक्षित है । विशेषज्ञों के अनुसार आम जनता सरकारी एजेंसियों द्वारा नीतियां निधार्रित करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने संबधी सूचना भी प्राप्त कर सकती है ।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम,12 अक्तूवर, 2005 (15 जून,2005 की अधिनियम तिथि के 120 दिनों के भीतर) को प्रवृत्त हुआ । परन्तु अधिनियम के कुछेक उपबन्ध जैसे कि सरकारी अधिकारियों के दायित्व, जन सूचना अधिकारियों/सहायक जन सूचना अधिकारियों को नमित करना, केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोंगों का गठन तथा नियम बनाने की शक्तियां तत्काल यथा 15 जून,2005 से लागू हो गए थे । इस अधिनियम का व्यापक कार्यक्षेत्र है । केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के विभाग एवं उपक्रम, पंचायती राज संस्थाए, शहरी स्थानीय निकाय, सरकार द्वारा गठित, शासित, स्थापित, नियंत्रित अथवा वित्तपोषित अन्य निकाय जिनमें गैर सरकारी संगठन भी शामिल है, इस अधिनियम के अर्न्तगत आती है । इस अधिनियम के अन्तर्गत विस्तृत सूचना प्राप्त की जा सकती है जिसमें न्यूनतम छूट दी गयी है ।

4. हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन 4 फरवरी,2006 को हुआ और इसने (हिमाचल प्रदेश सचिवालय, आर्मजडेल भवन के कमरा नं0 222 में) अपने शिमला स्थित मुख्यालय (हिमाचल प्रदेश सचिवालय, आर्मजडेल भवन के कमरा नं0 222) में पहली मार्च,2006 से कार्य करना आरम्भ किया । रिपार्टाधीन अवधि के दौरान आयोग ने एक सदस्यीय संस्था के रूप में कार्य किया । वर्ष के दौरान आयोग को आवश्यक सुविधाएं हि0 प्र0 सचिवालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई । तथापि, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कुछ पदों पर नई भर्ती के लिए कुछ स्थान किराए पर लिया गया है ।

5. सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित प्रकार से शक्तियां प्रदत्त की गई है : -

(i) सरकारी अधिकारियों द्वारा सूचना न देने पर शिकायतें प्राप्त करना तथा उनकी जांच करना ।

(ii) दोषी जन सूचना अधिकारियों को दण्डित करना तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाई की संस्तुति करना ।

(iii) प्रथम अपील प्राधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलों पर कार्रवाई तथा उनका निपटान करना ।

(iv) अक्षरथः अधिनियम के अनुरूप कार्य न करने वाले सरकारी विभागों को समुचित दिशा निर्देश देना जिसमें अधिनियम के अनुपालन में कार्य करने सम्बन्धी उठाए जाने वाले पगों बारे स्पष्ट अनुदेश दिए गए हैं ।

6. अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग को यह भी शक्तियां प्रदान की गई है कि आयोग प्रत्येक वर्ष अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वयन संम्बन्धी रिर्पोट तैयार करेगा और उसे राज्य विधान सभा पटल पर प्रस्तुत करने हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा । अतः यह रिर्पोट वर्ष 2006-07 के दौरान हिमाचल प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के क्रियान्वयन पर बनाई गई है ।

अध्याय-2

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की मुख्य विशेषताएं तथा इसके अर्न्तगत तैयार किए गए नियम

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अंतर्गत सरकारी अधिकारियों के नियंत्रण में किसी भी सूचना को प्राप्त करने हेतु प्रत्येक नागरिक के अधिकार को व्यवहार्य रूप प्रदान किया गया है । इस अधिनियम में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अधीन सभी सरकारी अधिकारियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता लाने हेतु देश की जनता को अधिकार प्रदान किए गए है । इस के अन्तर्गत सभी सरकारी अधिकारियों तथा अनेक जनसूचना अधिकारियों (पी0आई0ओ0)/ सहायक जन सूचना अधिकारियों (ए0पी0आई0ओस0), जिन्हें सभी सरकारी अधिकारियों द्वारा सूचना हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई हेतु प्राधिकृत किया गया है द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से सूचना प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है । केन्द्रीय सूचना आयोग (सी0आई0सी0) तथा राज्य सूचना आयोगों (एस0आई0सी0) का शिकायतों की जांच करने, द्वितीय अपीलों को सुनने तथा उनके अधीन सरकारी अधिकारियों को अधिनियम के क्रियान्वयन बारे मार्गदर्शन हेतु, गठन किया गया है ।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की मुख्य विशेषताएं संक्षेप में निम्न है : -

(i) कोई भी भारतीय नागरीक किसी भी सरकारी विभाग/संस्थान से बिना कोई कारण बताए कोई भी सूचना मांग सकता है ।

(ii) मांगी गई सूचना जन सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदान करनी होगी जिसे अधिनियम के अन्तर्गत उपबंधित छूट के तहत ही नकारा जा सकता है ।

(iii) अधिनियम सभी सरकारी विभागों, निगमों/बोर्डों, शहरी स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं तथा सरकार द्वारा स्थापित, गठित, नियंत्रित अथवा वित्तपोषित निकायों पर लागू होता है जिनमें गैर सरकारी संगठन भी शामिल है ।

(iv) सरकारी विभाग/संस्थान द्वारा उनके कार्यों सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर स्वेच्छा से सूचना के प्रकटीकरण को प्रतिवर्ष अद्यतन किया जाना अपेक्षित है ।

(v) सरकारी विभाग/संस्थान अपेक्षित मात्रा में जन सूचना अधिकारियों को सूचना देने के प्रयाजन से नामित करेंगे और उपमंडल अथवा उप जिला स्तर पर आवेदन प्राप्त करने तथा उन्हें जन सूचना अधिकारियों को अग्रेषित करने हेतु सहायक जन सूचना अधिकारियों को नामित करेंगें । अधिनियम की धारा 19 के तहत अपीलीय अधिकारियों को भी नामित करेंगें ।

(vi) जन सूचना अधिकारी, सूचना प्रदान करते अथवा आवेदनों को अस्वीकृत करते हुए सकारण पत्र व्यवहार करेंगें । इसी प्रकार अपीलीय अधिकारियों द्वारा भी सकारण एवं स्वतः स्पष्ट आदेश पारित किए जाने अपेक्षित होंगे ।

(vii) आयोग को केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर दोषी जन सूचना अधिकारी पर 250 रू0 प्रति दिन की दर से दण्ड लगाने की शक्ति होगी । यह राशि अधिक से अधिक 25000 रूपये तक हो सकती है, जहां दोषी जन सूचना अधिकारी द्वारा बिना युक्तियुक्त कारण के : -

- सूचना हेतु आवेदन को प्राप्त करने से इनकार हो अथवा
- निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना प्रदान न की हो अथवा
- सूचना हेतु किए गए आवेदन को अनुचित रूप से नकारा गया हो

अथवा

- जानबूझ कर गलत अधूरी अथवा गुमराह करने वाली सूचना प्रदान की गई हो अथवा
- जिस विषयक सूचना प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया हो उस सूचना को खुर्द-बुर्द किया गया हो अथवा
- सूचना को प्रदान करने में किसी प्रकार की बाधा डाली गई हो।

कुछेक मामलों में तो दोषी जनसूचना अधिकारी के खिलाफ आयोग अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति भी कर सकता है ।

(viii) इस अधिनियम में उपवंधित है कि सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 तथा किसी अन्य विधि जो वर्तमान में प्रवृत है अथवा इस अधिनियम को छोड किसी अन्य नियम के प्रभावी होने के बावजूद भी इस अधिनियम के प्रावधान प्रवृत होगें ।

(ix) अधिनियम की धारा 23 में विहित है कि कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत जारी किसी आदेश अथवा आवेदन या प्रक्रिया बारे कोई वाद स्वीकार नहीं करेगा तथा इस अधिनियम के अर्न्तगत की गई अपील के इलावा किसी प्रकार से आदेशों को चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत सम्बन्धित सरकारों तथा अन्य सक्षम अधिकारियों को इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी तथा सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु नियम बनाने की शक्तियां प्रदत है इसके अनुपालन में हिमाचल प्रदेश सरकार तथा अन्य सक्षम प्रधिकरणों यथा हिमाचल प्रदेश विधानसभा तथा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के तहत नियम अधिसूचित किए गए हैं । 'हिमाचल विधान सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (शुल्क एवं खर्च विनियम) नियम,2006' 15 जून,2006 को अधिसूचित किए गए तथा '' हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय सूचना का अधिकार नियम,2005,30 नबम्बर,2005 को अधिसूचित किए गए तथा हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम,2006 राज्य सरकार द्वारा 21 जनवरी,2006 को अधिसूचित किए गए । ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत हो गए हैं।

4. राज्य सरकार तथा अन्य सक्षम प्राधिकरणों द्वारा अधिसूचित नियम में अपेक्षित सूचना प्रदान करने हेतु आवेदन शुल्क तथा अतिरिक्त शुल्क आदि की दर एक समान रखी गई है । नियमों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है :-

(i) कोई भी व्यक्ति सूचना प्राप्त करने अथवा दस्तावेजों के निरीक्षण करने के लिए नियत शुल्क की अदायगी के प्रमाण सहित निधार्रित प्रपत्र पर सम्बन्धित प्राधिकरण के जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी को आवेदन करेगा ।

(ii) गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग के व्यक्तियों को आपेक्षित सूचना लेने तथा दस्तावेजों का निरीक्षण करने हेतु कोई शुल्क नहीं देना होगा ।

(iii) प्रत्येक विषय तथा प्रत्येक वर्ष की सूचना लेने के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा ।

(iv) आवेदक को प्रदान की गई सूचना के प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक का नाम लिखकर जन सूचना अधिकारी की मोहर तथा सतिथि प्रमाणीकृत किया जायेगा ।

(v) दस्तावेज प्रदान करने तथा उनके निरीक्षण हेतु निम्नलिखित शुल्क लिया जायेगा :-

क्रमांक	सूचना विवरण	मूल्य/शुल्क रूपयों में
1	आवेदन सहित शुल्क	रू0 10/- प्रति आवेदन
2	जहां सूचना समूल्य प्रकाशन के रूप में उपलब्ध हो	प्रकाशित मूल्य पर
3	समूल्य प्रकाशनों के अलवा	(i) ए-4 आकार या इससे कम के लिए रू0 10/- प्रति पृष्ठ (ii) बडे आकार की दशा में वास्तविक लागत अथवा रू020/- प्रति पृष्ठ जो भी अधिक हो ।
4	जहां सूचना इलैक्ट्रोनिक के रूप में उपलब्ध हो और इलैक्ट्रोनिक रूप यथा फलॉपी, सीडी आदि के रूप में प्रदान की जाती है ।	रू0 50/-प्रति फलॉपी, रू0 100/- प्रति सीडी
5	रिकार्ड/दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु	रू0 10/- प्रति 15 मिनट या उसके अंश के लिए ।

(vi) निधार्रित शुल्क की अदायगी मांग ड्रॉफट या इण्डियन पोस्टल ऑर्डर द्वारा संबधित सरकारी प्राधिकरण को की जा सकती है या ''0070-ओ0ए0एस,60-ओ एस,800- ओ आर, 11-सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अर्न्तगत प्राप्तियां '' लेखाशीर्ष में सरकारी खजाने मे जमा करवाया जा सकता है ।

5 इन नियमों के तहत नामित अपीलीय अधिकारी तथा राज्य सूचना आयोग में अपील दायर करने की प्रकिया का भी उल्लेख किया गया है । इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार अपील के ज्ञापन में अपीलकर्ता का नाम व पता, उस जन सूचना अधिकरी का नाम व पता जिसके निर्णय के विरूद्व अपील की जा रही हो तथा निर्णय का विवरण दिया जाना होगा । अपील ज्ञापन में अपील के सम्बन्ध में भी संक्षेप में तथ्य दिए जाने होंगे । आवेदन को नकारा गया समझे जाने की स्थिति में , आवेदन की विषयवस्तु, संख्या व तिथि, जन सूचना अधिकारी का नाम व पता जिसे आवेदन दिया गया था का उल्लेख अपील कर्ता द्वारा किया जाना होगा । अपीलकर्ता अपनी याचना अथवा राहत का उल्लेख तथा याचना या राहत के आधार का अपील ज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख करेगा ।

6 नामित अपीलीय अधिकारी या राज्य सूचना आयोग को इन नियमों के तहत यह भी शक्ति होगी कि यदि सुनवाई की तिथि पर अपील कर्ता व्यक्तिगत रूप में उपस्थित नहीं होता तो वे गुण दोष के आधार पर अपील पर एक तरफा निर्णय भी दे सकते हैं । अपील कर्ता किसी ऐसे आधार पर न तो कोई आपत्ति उठाएगा और न ही उसकी आपत्ति सुनी जाएगी, जिसका उल्लेख उस द्वारा अपील अधिकारी/आयोग को प्रस्तुत अपील ज्ञापन में न किया गया हो । तथापि नामित अपील अधिकारी/आयोग को अपील पर निर्णय लेते समय उन्हीं आधारों तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं जिनका उल्लेख अपील में किया गया हो । इन नियमों के तहत राज्य सूचना आयोग को अपनी दिन प्रतिदिन की कार्यवाही के सम्बन्ध में विनियम बनाने की शक्तियां भी प्रदत्त हैं ।

अध्याय-3

राज्य सूचना आयोग, हिमाचल प्रदेश, की भूमिका तथा उत्तरदायित्व

सरकारी कार्यों में पारदर्शिता तथा उत्तरदायिता के दृष्टिगत देश में सूचना के अधिकार को सुदृढता से लागू करने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अर्न्तगत केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग गठित करने का प्रावधान है । इन आयोंगों का गठन करना इस अधिनियम की एक विशेषता है । हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन हिमाचल सरकार द्वारा 4 फरवरी,2006 को किया गया । आयोग ने अपने मुख्यालय शिमला (कमरा न0 222 आर्मसडेल भवन हिमाचल प्रदेश सचिवालय) में दिनांक 1 मार्च,2006 को कार्य करना आरम्भ किया जब श्री पी0 एस0 राणा ने हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त का कार्यभार ग्रहण किया । आयोग को राज्य सचिवालय के आर्मसडेल भवन में जगह प्रदान की गई तथा वर्ष के दौरान राज्य सरकार के सचिवालय प्रशासन द्वारा आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई । इस वर्ष के दौरान आयोग ने एकल सदस्य निकाय के रूप में कार्य किया । यद्यपि, वर्ष 2007-08 के दौरान राज्य सूचना आयुक्त का एक पद सर्जित कर आयोग को और अधिक सशक्त किया गया तथा तत्कालीन मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार श्री एस0एस0 परमार आई0ए0एस0 (हिमाचल प्रदेश 1971)को दिनांक 29.06.2007 को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया । श्री परमार ने राज्य सूचना आयुक्त का कार्यभार 02.07.2007 को ग्रहण किया ।

2 राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी प्राधिकारियों से सूचना संबधी प्राप्त शिकायतों की जांच पड़ताल के उद्देश्य से राज्य सूचना आयुक्त को इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त है तथा त्रुटि करने वाले जन सूचना अधिकारियों के विरूद्व जुर्माना लगाने और अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए भी सशक्त है । आयुक्त नामित अपीलीय प्रधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों के विरूद्व अपील के निपटान के लिए भी सशक्त है । आयोग अधिनियम के उपबन्धों को अक्षरशः पालन न करने वाले सरकारी अधिकारियों को इस आशय की संस्तुति कर सकता है तथा ऐसे अनुपालन के दृष्टिगत उठाए जाने वाले पगों के लिए विर्निर्दिष्ट कर सकता है । इसके अतिरिक्त आयोग राज्य में अधिनियम के उपवंधों के लागू करने हेतु एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसकी एक प्रति राज्य विधान सभा के सभा पटल पर प्रस्तुत करने हेतु राज्य सरकार को भेजेगा ।

3 हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के उददेश्य से वर्ष के दौरान 23 पद सृजित किए गए । इन पदों का विवरण इस प्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	सृजित पदों की संख्या
1	मुख्य सूचना आयुक्त	30000भत्ते	1
2	सचिव आयोग एच0ए0एस0/आई0ए0एस0	अपने वेतनमान में	1
3	सिस्टम एनालिस्ट	7880-11660	1
4	रीडर कम एहलमद	7220-11660	1

5	अनुभाग अधिकारी	7220.11660	1
6	वरिष्ठ सहायक	5800.9200	2
7	लिपिक कम कम्पयूटर आपरेटर	3120.5160 प्रारंभिक वेतनमान 3220	2
8	निजी सचिव	7220.11660	1
9	निजी सहायक	6400.10640	2
10	कनिष्ठ वेतनमान स्टेनोग्राफर	4400.7000	2
11	चालक	3330.6200	2
12	प्रोसेस सर्वर	2720.4260	1
13	चौकीदार	2520.4140 2620 प्रारंभिक वेतनमान	1
14	सेवादार	2520.4140 2620 प्रारंभिक वेतनमान	3
15	फ्रास कम माली	2520.4140 2620 प्रारंभिक वेतनमान	1
16	सफाई कर्मचारी	2520.4140 2620 प्रारंभिक वेतनमान	1
		कुल	23

4 राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निम्नलिखित शक्तियां है :-

क्रमांक	पदनाम	शक्तियां एवं कर्तव्य
1	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयोग के कार्यों/गतिविधियों की सामान्य देखरेख, निर्देशन तथा प्रबधन । अपीलों तथा शिकायतों का निपटान
2	सचिव एवं रजिस्ट्रार	आयोग का प्रशासनिक प्रबधन, वित्तीय नियन्त्रण तथा राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की कार्य निपटान में सहायता करना
3	निजी सचिव,	सचिवालीय सहायता तथा राज्य सूचना आयुक्त द्वारा

	राज्य सूचना आयुक्त	प्रदत्त कार्यों का निष्पादन
4	रीडर कम एहलमद	आयोग में प्राप्त अपीलों शिकायतों को प्रक्रिया में लाना तथा राज्य सूचना आयुक्त द्वारा प्रदत्त कार्य करना
5	अनुभाग अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रार	आयोग के प्रशासनिक, वित्तीय तथा अन्य कार्यों के निपटान में सचिव एवं रजिस्ट्रार की सहायता करना
6	अधीनस्थ कर्मचारी	आयोग के अधिकारियों की सहायता करना तथा निरीक्षण अधिकारियों द्वारा प्रदत्त कार्य करना

5 सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 18 के अर्न्तगत आयोग को शिकायतें प्राप्त होती है । शिकायतें प्राप्त होने पर राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या तो जांच के आदेश दे सकता है अथवा उचित कार्यवाही करने के आदेश दे सकता है । सरकारी अधिकारी तथा / अथवा जन सूचना अधिकारी जिसके विरूद्व शिकायत की गई हो, सें टिप्पणी मांग सकता है तथा जन सूचना अधिकारी और शिकायतकर्ता को अवसर प्रदान कर अधिनियम के उपबधों के अन्तर्गत उचित कार्यवाही कर सकता है । आयोग अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत भी अपीलें प्राप्त करता है । राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, जन सूचना अधिकारी से टिप्पणी प्राप्त कर तथा अपील में उठाए गए मुददों पर सुनवाई कर उन अपीलों का निपटान करता है । आयोग द्वारा किसी अपील पर अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व आवेदक को सामान्यतः अपना मामला प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर दिया जाता है । यद्यपि आयोग में प्राप्त अपीलों तथा शिकायतों के निपटान हेतु अधिनियम में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है फिर भी, आयोग इनका निपटान तेजी से कर रहा है । आयोग का प्रयास रहता है कि आयोग में प्राप्त अपीलों एवं शिकायतों का निपटान अधिकतम तीन मास की अवधि में कर दिया जाये । आयोग द्वारा अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलकर्ता या शिकायतकर्ता को सामान्यतः एक अवसर प्रदान किया जाता है जिससे वह व्यक्तिगत रूप में या किसी प्रधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अपना मामला आयोग के सम्मुख प्रस्तुत कर सके ।

6 हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यों का र्निवहन करता है जिसे हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम,2006/ हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत विनियम) नियम,2006/हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय सूचना का अधिकार नियम,2005 पढा जाए । आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के उपबन्धों तथा राज्य सरकार द्वारा वनाये गए संगत नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत ही प्रशासनिक कार्यों, प्रक्रिया तथा अन्य सेवाओं को कार्यनिवत करता है ।

7 राज्य सूचना आयोग की प्रशासनिक तथा अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित वर्ष 2006-07 के लिए 59,61,000 रू के वार्षिक वजट का प्रावधान किया है वर्ष के लिए स्वीकृत बजट तथा व्यय (शीर्षवार) निम्न प्रकार से है :-

क्रमांक	उपशीर्ष	स्वीकत बजट	व्यय
1	वेतन	40,00,000	1167092
2	मजदूरी	20,000	.
3	यात्रा व्यय	1,10,000	74551
4	कार्यालय व्यय	5,16,000	475525
5	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	60,000	28195
6	किराया दर एवं शुल्क	1,10,000	97931
7	आतिथ्य/सत्कार	20,000	4160
8	रखरखाव	25,000	.
9	वाहन	9,00,000	.
10	साजसज्जा	2,00,000	199500
	कुल	59,61,000	20,46,954

8 उप शीर्ष वेतन के खर्चे में बचत इसलिए हुई क्योंकि वित वर्ष के दौरान सभी स्वीकत पद नहीं भरे जा सके । इसके अतिरिक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को सचिवालीय सहायता हिमाचल प्रदेश सचिवालय द्वारा प्रदान की गई । उपशीर्ष 'वाहन' के अन्तर्गत बचत इसलिए हुई क्योंकि मुख्य सूचना आयुक्त को चालक सहित वाहन राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उपलब्ध करया गया तथा कोई नया वाहन नहीं खरीदा गया । इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा स्वीकृत बजट के अन्य उपशीर्षों के अन्तर्गत खर्च में पर्याप्त मितव्ययिता की गई ।

अध्याय 4

अधिनियम का कार्यान्वयन
सरकारी प्रधिकारियों द्वारा आवेदनों का निपटान

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत सभी सरकारी विभागों/संस्थानों की गतिविधियों में पारदार्शिता लाने तथा उन्हें जन साधारण के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए प्रावधान किए गये है । अधिनियम सरकारी ऐजेंसियों/अधिकारी द्वारा अपने विकाधिकार के दुरूपयोग को रोकने के लिए तैयार किया गया है तथा उनसे अपेक्षा रहेगी कि वे अपनी कुछ गतिविधियों के अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) के अन्तर्गत प्रकाशित और अद्यतन करें । पिछले वर्ष, राज्य सरकार के अधीन कुछ ही प्राधिकारियों द्वारा इस धारा के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट सूचना प्रकाशित की थी परन्तु चालू वित वर्ष के दौरान धारा 4 (1) (ख) के उपबंधों का क्रियान्वयन काफी हद तक सन्तोषजनक रही है । 158 सार्वजनिक प्रधिकारिणों द्वारा विनिर्दिष्ट सूचना प्रकाशित की गई है।

2 सरकारी विभागों इत्यादि से अपेक्षा रहेगी कि व नामित जन सूचना अधिकारी के माध्यम से जन साधारण को उनके द्वारा मांगी गई सूचना निर्धारित अवधि में उपलब्ध करवायें । वर्ष 2006-07 के दौरान इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार के 110 सार्वजनिक प्रधिकारिणों को सूचना प्राप्त करने के दृष्टिगत लोगों से 2654 आवेदन प्राप्त हुए । अन्य सार्वजनिक प्रधिकारिणों को कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ । इनमें से, 6 सार्वजनिक प्रधिकारिणों को (प्रत्येक को) 100 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए तथा 11 प्रधिकारिणों को (प्रत्येक को) 51 से 100 आवेदन प्राप्त हुए । अवधि के दौरान शेष सार्वजनिक प्रधिकारिणों को (प्रत्येक को) 50 से कम आवेदन प्राप्त हुए । इससे यह प्रतीत होता है कि कुल प्राप्त 2654 आवेदनों में 1592 आवेदन 17 सार्वजनिक प्रधिकारिणों को प्राप्त हुए जो राज्य में दायर आवेदकों का 60 प्रतिशत है । इसी अवधि के दौरान सार्वजनिक प्रधिकारिणों द्वारा 2,34,281 रू0 का शुल्क प्राप्त हुआ ।

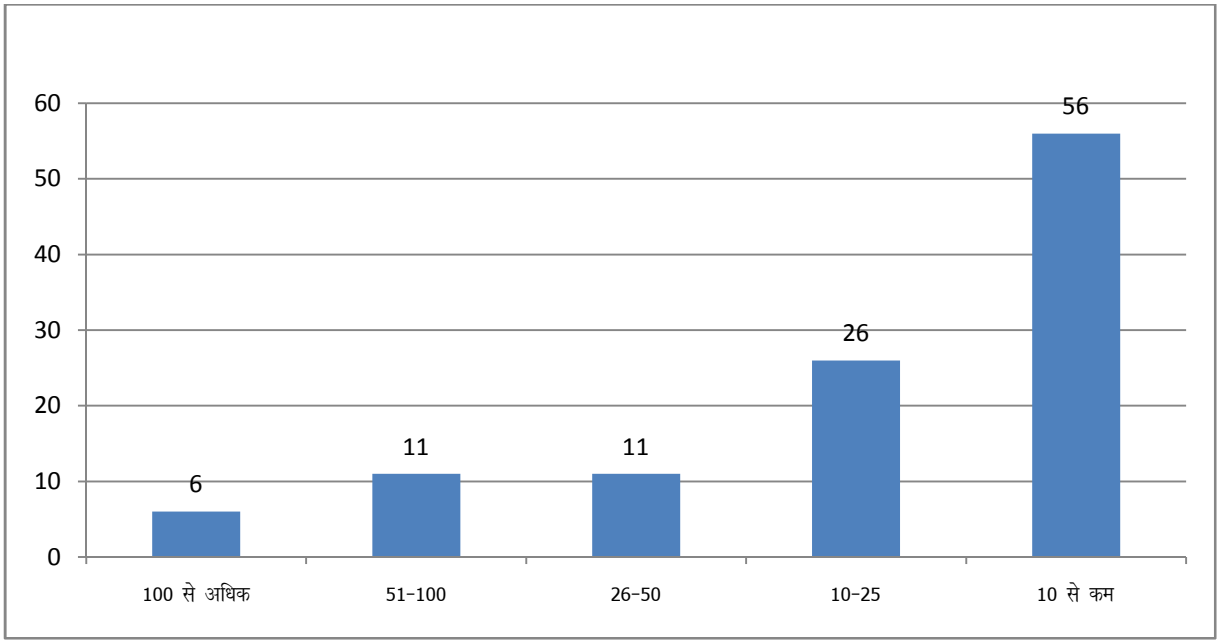
3 एक सौ दस सार्वजनिक प्रधिकारिणों द्वारा प्राप्त आवेदनों की विवरण सारणी निम्न प्रकार है:-

<u>विभिन्न सार्वजनिक प्रधिकारिणों द्वारा प्राप्त आवेदन</u>

i	सार्वजनिक प्रधिकारिणों जिन्हें 100 से अधिक सूचना का अधिकार आवेदन पत्र प्राप्त हुए	6
ii	सार्वजनिक प्रधिकारिणों जिन्हें 51 से 100 तक सूचना का अधिकार आवेदन पत्र प्राप्त हुए	11
iii	सार्वजनिक प्रधिकारिणों जिन्हें 26 से 50 तक सूचना का अधिकार आवेदन पत्र प्राप्त हुए	11
iv	सार्वजनिक प्रधिकारिणों जिन्हें 10 से 25 तक सूचना का अधिकार आवेदन पत्र प्राप्त हुए	26
v	सार्वजनिक प्रधिकारिणों जिन्हें 10 से कम सूचना का अधिकार आवेदन पत्र प्राप्त हुए	56

v i कुल सार्वजनिक प्रधिकारिणों जिन्हें आवेदन पत्र प्राप्त हुए 110

विभिन्न सरकारी अधिकारियों द्वारा प्राप्त आवेदन



4 विभिन्न सार्वजनिक प्रधिकारिणों द्वारा प्राप्त आवेदनों/रदद किए गए आवेदनों, दायर अपीलों, प्राप्त शुल्क इत्यादि का विवरण इस प्रकार है :-

क्रमांक	सरकारी अधिकारी का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या	जितने मामले जन सूचना अधिकारीयों द्वारा रदद किए गए	प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास दायर अपीलें	राज्य सूचना आयोग के पास दायर अपीलें	ऐसे मामले जहां आयोग द्वारा क्षतिपूर्ति के आदेश दिए	प्राप्त राशी रूपये
1	राज्यपाल सचिवालय	2					140
2	आवसीय आयुक्त नई दिल्ली	1					10
3	विधान सभा सचिवालय	7					130
4	लोक सेवा आयोग	84	9	1			2620

5	लोकायुक्त कार्यालय	2					870
6	महिला राज्य आयोग	7	2				346
7	मण्डलायुक्त शिमला	11					800
8	मण्डलायुक्त कांगडा	13					315
9	हि0प्र0उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय	9	1	1			152
	हि0प्र0 सचिवालय						
10	प्रशासनिक सुधार	2					510
11	कृषि	1					65
12	पशुपालन	4		4			350
13	वन	2					20
14	सामान्य प्रशासन	32					3155
15	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	62					4343
16	वगवानी	1					30
17	गृह	5	2				1120
18	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	15			2	1	3342
19	कार्मिक	25	9	3			2820
20	राजस्व	21			1		1450
21	सचिवालय प्रशासन	4	1	2	2		380
22	नगर एवं ग्रामीण योजना	2					250
23	पर्यटन	15	2				3440
24	परिवहन	2					790
	प्रशासनिक विभाग						0
25	कृषि	10	1	1			1990
26	पशुपालन	9					300
27	आयुर्वेद	4					150
28	होम गार्ड एवं नागरिक सुरक्षा	2					90
29	पुलिस	140	17	3	1		9070
30	सहकारिता	52		2	1		3842
31	प्रारंभिक शिक्षा	89	2	2	2		5309
32	चुनाव	8					924
33	संपदा कार्यालय	1					30
34	आवकारी एवं कराधान	6	1	1			350
35	मत्स्य	3					720
36	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	34	8				1673
37	विज्ञान एवं तकनीक	1					160

38	वन कृषि एवं सरंक्षण	30					840
39	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	62			1	1	4343
40	दन्त स्वास्थ्य सेवायें	2	1				290
41	वागवानी	10				1	410
42	चिकित्सा शिक्षा	20					300
43	उद्योग	65					12540
44	विज्ञान एवं तकनीक	1					160
45	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	55		14			10943
46	श्रम एवं रोजगार	8					1170
47	भू एकत्रीकरण एवं जोत	2					1190
48	मुद्रण एवं सामग्री	6					280
49	सूचना एवंज न संपर्क	2					835
50	ग्रमीण विकास	84	10	17			1929
51	पंचायती राज	169	2	24	3		11481
52	राज्य सैनिक कल्याण	4					597
53	भू समेकन शिमला	21	13		2		926
54	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	10					770
55	जनजातीय विकास	1					20
56	तकनीकी शिक्षा	13					790
57	पर्यटन एवं नागरिक विमानन	14					1780
58	नगर एवं ग्रामीण नियोजन	101					10611
59	परिवहन	4					100
60	कोष	2					730
61	शहरी विकास	4					200
62	युवा सेवायें एवं खेल	1					150
63	पर्वतारोहण एवं संबद्व सेवायें	13		1		1	1500
64	उच्च शिक्षा	59					2120
65	योजना	16		1			680
	जिलाधीश						
66	शिमला	23					1300
67	सोलन	37					4135
68	सिरमौर	31					5405
69	कुल्लू	21					899
70	लाहुल स्पीति	2					160
71	किन्नौर	28					975

72	चम्बा	14					1090
73	हमीरपुर	19					1330
74	ऊना	12					940
75	कांगडा	67					3990
76	विलासपुर	48					2950
77	मण्डी	52					5700
	सहकारिता/निगम						
78	वित्तीय निगम	25	7	2			2410
79	वन निगम	15		5	5		2153
80	सामान्य उद्योग निगम	4	1				40
81	एच0पी0एम0सी0	4					340
82	हिमफैड	4					519
83	राज्य उद्योग विकास निगम	8		1	1		1460
84	पर्यटन विकास निगम	20		1			1440
85	पथ परिवहन निगम	50	1				2668
86	नगर निगम शिमला	221		9	3		22695
87	नागरिक आपूर्ति निगम	8					800
88	सहकारिता दुग्ध उत्पादक संघ	2					0
89	हिमऊर्जा	1					10
90	इलैक्ट्रानिक विकास निगम	1					40
91	हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम	1					110
92	राज्य सहकारिता बैंक शिमला	20	1				755
93	लघु उद्योग एवं निर्यात निगम	6	1				780
94	बस अडडा प्रबंधन एवं विकास प्रधिकरण	8					480
95	आवासीय संघ	7					220
96	कृषि ग्रामीण विकास बैंक	8					1420
97	जोगिन्द्रा सेन्द्रल सहकारी बैंक	3					363
98	अपेक्ष सहकरिता समिति	2					157
	बोर्ड						
99	पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड	31					1810
100	खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड	8	1	1			1177
101	राज्य सामाजिक कल्याण बोर्ड	1					50

102	विपणन बोर्ड	2					170
103	अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड	113	22	2			3130
104	स्कूल शिक्षा बोर्ड	15					1575
105	हिमुडा	134		15	2		23656
106	हि0प्र0 तकनीकी शिक्षा	2					120
107	हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड	46		5			6389
	विश्वविद्यालय						
108	हि0प्र0 विश्वविद्यालय शिमला	4	2	1	1		1050
109	डा0 यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय	25	1	7	1		3860
110	चौ0 श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर	34	1	1	4		3819
	कुल	**2654**	**119**	**127**	**32**	**4**	**234281**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट प्रतीत होता है कि विभिन्न सार्वजनिक प्रधिकारिणों के लोक सूचना अधिकारियों द्वारा सभी आवेदकों को अपेक्षित सूचनायें प्रेषित कर दी गई है परन्तु 119 मामलों में आवेदकों को सूचनाएं प्रेषित नहीं की गई क्योंकि उन के आवेदन पत्र रदद कर दिए गए थे । इस प्रकार राज्य में 4 प्रतिशत से कुछ अधिक आवेदन जन सूचना अधिकारी द्वारा रदद किए गए । उनमें से अधिकतर आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 $(1)(i)$ के अन्तर्गत रदद किए गए थे । पहली अपीलों की संख्या भी कुल प्राप्त अपीलों के 4 प्रतिशत से कुछ अधिक है । नामित अपीलीय प्राधिकारियों पास दायर प्रथम 127 अपीलों के विरूद्व राज्य सूचना आयोग को 32 अपीलें प्राप्त हुई । इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान जन सूचना अधिकारी से जबाब न मिलने या देर से मिलने के विरूद्व आयोग को 52 शिकायतें प्राप्त हुई । इस प्रकार, वर्ष के दौरान विभिन्न सार्वजनिक प्रधिकारिणों के पास सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दायर कुल 2654 आवेदनों के विरूद्व आयोग को कुल 84 अपीलें/शिकायतें प्राप्त हुई । इन आंकडो से पता चलता है कि इस वर्ष के दौरान जन साधारण द्वारा मांगी गई सूचनाओं के प्रति जन सूचना अधिकारी का प्रत्युत्तर काफी सन्तोष जनक रहा ।

अध्याय-5

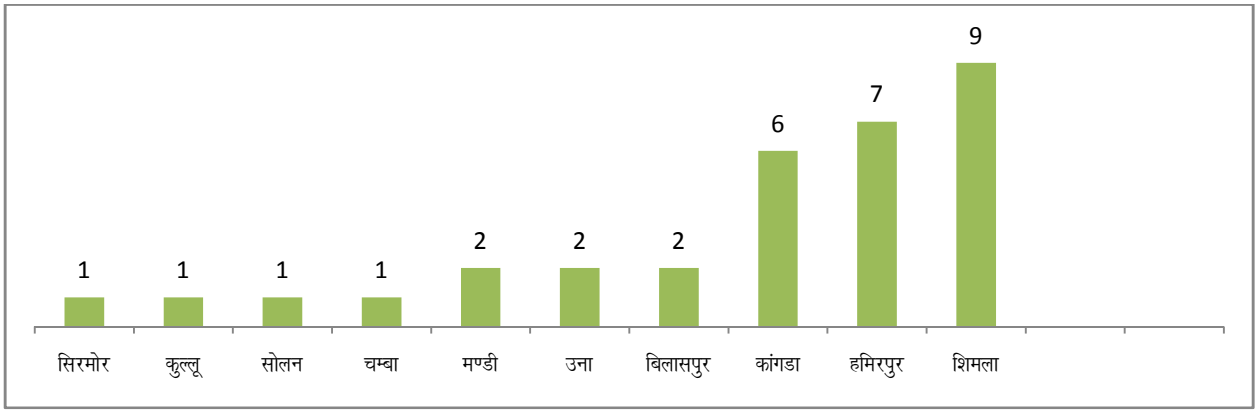
अधिनियम का कार्यान्वयन

(आयोग द्वारा अपीलों तथा शिकायतों का निपटान)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अन्तर्गत राज्य आयोग जनसाधारण से प्राप्त ऐसी शिकायतें प्राप्त कर जांच पड़ताल करेगा यथा अधिनियम के तहत कुछ आवधानों का परिपालन न हुआ हो-- जैसे मांगी गई सूचना प्रदान न करना, अथवा निर्धारित समय के भीतर कोई जवाब न देना इत्यादि । इसी प्रकार अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत आयोग दूसरी अपील प्राप्त कर उसका निर्णय करेगा । इस धारा के अन्तर्गत असन्तुश्ट अपीलकर्ता प्रथम अपीलय प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्णय प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर राज्य सूचना आयोग के पास दूसरी अपील दायर कर सकता है । उपयुक्त मामलों की अपील दायर करने में विलम्ब को माफ करने हेतु आयोग सशक्त है ।

2. 31.3.2007 तक समाप्त होने वाली अवधि के दौरान 17 सरकारी प्राधिकारियों के प्रथम अपीलय प्राधिकारी के विरूद्व राज्य के 10 जिलों के विभिन्न अपीलकर्ताओं से आयोग को 32 अपीले प्राप्त हुई । इन में 22 अपीलें शिमला, कांगड़ा तथा हमीरपुर जिलों से सम्बन्धित अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई थी । आयोग में प्राप्त जिलावार अपीलों का विवरण निम्न चार्ट में दिया गया है :-

आयोग में जिलावार प्राप्त अपीलों का विवरण



3. आयोग में प्राप्त कुल 32 अपीलों में से वर्ष के दौरान 24 अपीलों का निपटान कर दिया गया तथा 31.3.2007 तक केवल आठ अपीलें ही निर्णय के लिए लम्बित थीं । आयोग द्वारा निर्णीत 24 अपीलों में से केवल 3 अपीलें रद्द की गई। 21 मामलों में निर्धारित समय के भीतर अपेक्षित सूचना

उपलब्ध कराने के दृश्टिगत पी.आई.ओ. को निर्देश दिए गए, निर्णीत/लम्बित अपीलों का विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

1) आयोग में प्राप्त अपीलों का विवरण

कुल प्राप्त अपीलें	32
निर्णीत अपीलें	24
31.3.2007 को लम्बित अपीलें	8

2) आयोग द्वारा निर्णित अपीलों का विवरण

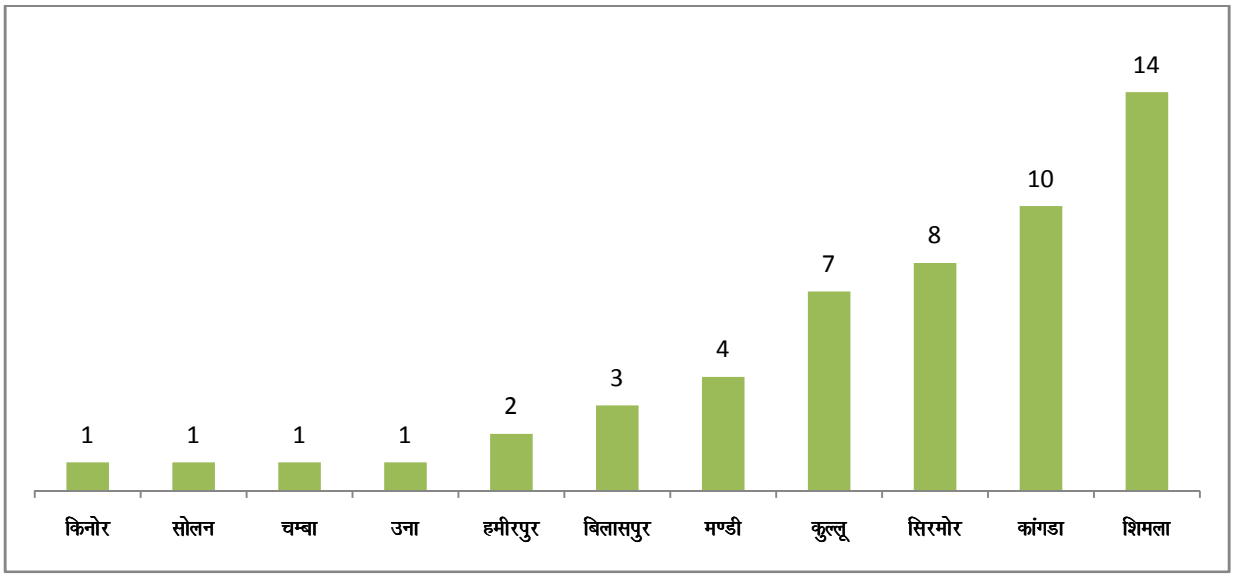
एक मास से कम अवधि में निर्णित	16
एक मास से अधिक परन्तु दो मास से कम अवधि में निर्णित	6
दो मास से अधिक अवधि में निर्णित	2

3) 31.3.2007 को लम्बित अपीलें

एक माह से कम अवधि तक लम्बित	4
एक माह से दो माह तक लम्बित	3
दो मास से अधिक लम्बित	1

4) विबेचित वर्श के दौरान, राज्य सूचना आयोग को अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत राज्य के 11 जिलों के आवेदकों से 52 शिकायतें प्राप्त हुईं । इनमें से 39 शिकायतें शिमला, कांगड़ा, सिरमौर तथा कुल्लू जिला के शिकायतकर्ताओं से प्राप्त हुई । 31.3.2007 तक प्राप्त जिलावार शिकायतों का विवरण निम्नलिखित चार्ट में दिया गया है :-

आयोग में प्राप्त शिकायतों का जिलावार विवरण



5. वर्ष के दौरान राज्य सूचना आयोग द्वारा प्राप्त 52 शिकायतों में से 47 शिकायतों का निपटारा किया गया और 31.3.2007 तक केवल 5 शिकायतें निपटानी बकाया रही । जिन कुल 47 शिकायतों को निपटाया गया उनमें से 43 मामलों में जन सूचना अधिकारियों की सूचना उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए । केवल 4 मामलों में शिकायतें अस्वीकृत की गई थी । कुल प्राप्त की गई शिकायतें, निपटाई गई शिकायतें तथा लम्बित की गई शिकायतों का समय के अनुसार विवरण निम्न प्रकार से है :-

31-3-2007 तक कुल प्राप्त, निपटाई गई तथा लम्बित शिकायतों का विवरण

(i) वर्ष के दौरान प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों का विवरण :-

कुल प्राप्त शिकायतें	52
वर्श के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	47
31.3.2007 को लम्बित शिकायतों की संख्या	5

(ii) वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों का विवरण :-

एक माह से कम अवधि में निपटाए गए मामले	26
एक माह से अधिक परन्तु 2 माह से कमं अवधि में निपटाए गए मामले	21

(iii) 31.3.2007 को लम्बित शिकायतों का विवरण :-

एक मास से कम अवधि के लिए लम्बित	2
एक मास से लेकर 2 मास तक के लिए लम्बित मामले	2
दो मास से अधिक समय के लिए लम्बित मामले	1

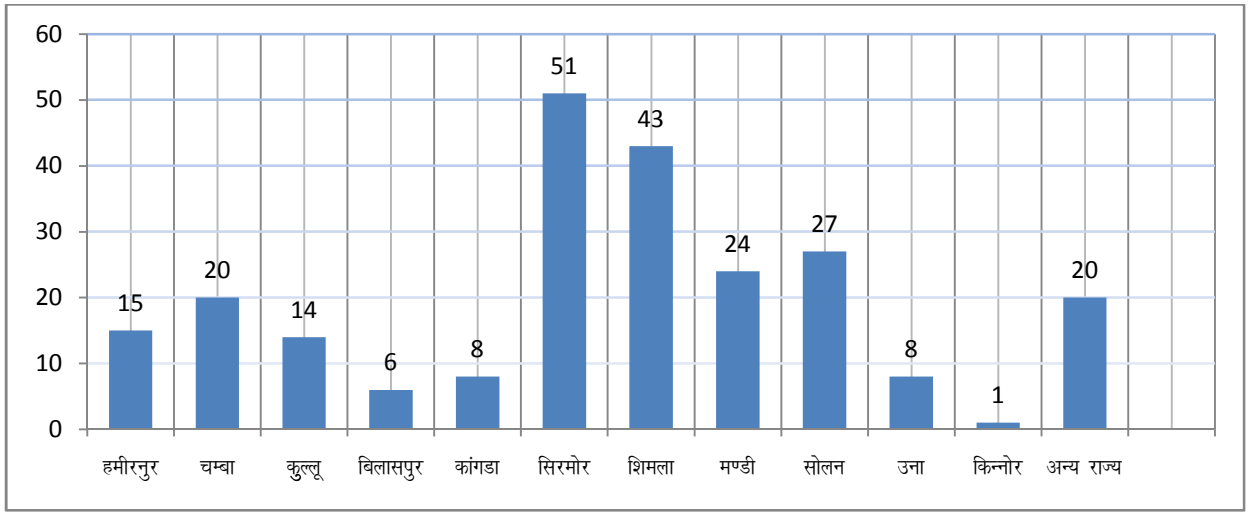
6. राज्य सूचना आयोग द्वारा चार मामलों में जन सूचना अधिकारियों को रू 3452/- तक की राशि के मुआवजे की अदायगी शिकायत कर्ताओं की क्षतिपूर्ति करने के निर्देश दिए गए थे । रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि के दौरान किसी भी जन सूचना अधिकारी के विरूद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई और न ही कोई दोषी ठहराया गया ।

7. उपर दी गई अपील तथा शिकायतों के अतिरिक्त राज्य सूचना आयोग में रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 257 विविध आवेदनपत्र/प्रतिवेदन प्राप्त हुए जो कि सम्बन्धित जन सूचना अधिकारियों/प्राधिकृत अधिकारियो को अग्रेशित कर दी गई थीं । इन आवेदन पत्रों/प्रतिवेदनों की प्रगति की सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा अनुपालन की गई तथा सुनिश्चित किया गया कि आवेदक को समुचित उत्तर प्राप्त हो गया है। जिन आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाहीं नहीं की गई उन्हें आयोग को भेजी गई शिकायतें माना गया । इस वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसे विविध आवेदन पत्रों/प्रतिवेदनों का विवरण जिलावार तालिका में दिया गया है :-

आयोग में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों/प्रतिवेदनों की संख्या जो जन सूचना अधिकारियों/सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारियों को अग्रेशित किए गए

क्रमांक	जिला का नाम	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या
1.	हमीरपुर	15
2.	चम्बा	20
3.	कुल्लू	14
4.	बिलासपुर	6
5.	कांगड़ा	8
6.	सिरमौार	51
7.	शिमला	43
8.	मण्डी	24
9.	सोलन	27
10.	ऊना	8
11.	किन्नौर	1
12.	राज्य के बाहर से प्राप्त	20

	कुल जोड़	257



अध्याय-6

प्रशिक्षण तथा शिक्षा कार्यक्रम

सूचना अधिकार अधिनियम की धारा-26, उपधारा-1 के अन्तर्गत राज्य सरकार वित्तीय तथा अन्य साधन निम्न प्रकार से उपलब्ध करवाएगी :-

कः लोगों में जागरूकता लाने के लिए शिक्षा दायक कार्यक्रम आयोजित करना, विशेशकर ऐसे समुदायों के लिए जिन्हें अभी तक इस अधिनियम का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है । इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अधिकारों का प्रयोग करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं।

ख अधिनियम की धारा क में संदर्भित है कि ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए तथा इनका प्रचार करने में भाग लेने के लिए जनप्राधिकारियों को प्रोत्साहित करें तथा इस प्रकार के कार्यक्रमों को स्वंय आयोजित करने का संकल्प लेना चाहिए ।

ग जन प्राधिकारियों द्वारा उनकी गतिविधियों के सम्बन्ध में सही सूचना का प्रभावी ढंग से प्रचार व समय पर आगे बढ़ाना तथा

घ जन प्राधिकारियों द्वारा स्वंय जन सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित करना तथा प्रशिक्षण के लिए प्रयोग की जाने वाली उपयुक्त सामग्री उपलब्ध करवाना ।

2. अधिनियम के उक्त उपबन्धों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के लोक प्रशासन संस्थान द्वारा जनसूचना अधिकारियों के लिए और राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों के लिये 17 प्रशिक्षण कार्यक्रम जिलों में निम्न प्रकार से करवाए गए ।

क्रमांक	जिला का नाम	किए गए कार्यक्रमों की संख्या
1.	शिमला	6
2.	कांगड़ा	3
3.	चम्बा	1
4.	कुल्लू	1
5.	ऊना	2
6.	हमीरपुर	1
7.	मण्डी	1
8.	किन्नौर	2
	कुल	17

3. हिमाचल प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त ने वर्ष 2006-2007 के दौरान हमीरपुर, सिरमौर, सोलन, मण्डी, कुल्लू, बिलासपुर, कांगड़ा, चम्बा तथा ऊना आदि 9 जिलों का निरीक्षण किया तथा जिला स्तर के अधिकारियों, जन सूचना अधिकारियों और सहायक जन सूचना अधिकारियों के साथ बैठकें की । इसी तरह की बैठक जिला शिमला के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ की गई । इन बैठकों में राज्य के सक्षम प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की विशेषताओं के विषय में अधिकारियों को जानकारी दी गई । उन्होंने अधिकारियों को परामर्श दिया कि अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के विषय में अधिकारी वर्ग अपने क्षेत्रीय प्रवास के समय सामान्य लोगों को पर्याप्त जानकारी दें । उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उपबन्धों के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रक्रिया की आवश्यकता के सम्बन्ध में जानकारी देने पर बल दिया तथा आवेदनों को अपेक्षित सूचना निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध करवाने की जानकारी दी । राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा हिमाचल प्रदेश सचिवालय के जनसूचना अधिकारियों तथा राज्य मुख्यालय में विभिन्न प्रशासनिक विभागों द्वारा नामित किए गए जन सूचना अधि।कारियों को भी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की विशेषताओं तथा नियमों के समबन्ध में दो अलग अलग बैठकों में जानकारी दी । जो बैठकें 17 जनवरी, 2007 तथा 18 जनवरी, 2007 को आयोजित की गई थी।

अध्याय 7

प्रेक्षण और संस्तुतियां

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई प्रथम रिपोर्ट में आयोग ने राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले विभिन्न जन प्राधिकारियों द्वारा आर टी आई अधिनियम 2005 को समरूप तथा प्रभाव पूर्ण ढंग से लागू करवाने के लिए कुछ सिफारिशें की थी। राज्य सरकार द्वारा ऐसी सिफारिशों पर कार्यवाही की गई । आयोग की सिफारिशों तथा अभिमत पर राज्य सरकार द्वारा जो कार्यवाही की गई उसका विवरण परिशिश्ट "ग' पर दिया गया है । कुछ ऐसी सिफारिशें जिन पर कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर पर की जानी अपेक्षित हैं उन्हें इस रिपोर्ट में प्रेक्षण और संस्तुतियों के कुछ भाग में शामिल किया जा रहा है ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य में 1-4-2006 से 31-3-2007 की अवधि के दौरान इस अधिनियम का कार्यान्वयन अत्यन्त संतोशजनक रहा । अधिनियम के अन्तर्गत 110 सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए कुल 2654 आवेदन पत्र प्राप्त किए गए जिसमें से केवल 119 प्रकरण अस्वीकृत किए गए। मनोनीत अपील प्राधिकारियों के सम्मुख प्रथम 127 अपीलें प्रस्तुत की गई तथा राज्य सूचना आयोग में 52 शिकायतें प्राप्त हुई । पहली अपील तथा शिकायातों से पता चलता है कि सामान्यतः आवेदक जन सूचना अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही से संतुष्ट रहे। आयोग को 32 दूसरी अपीलें भी प्राप्त हुईं जिसमें अपील करने वाले आवेदक अपील प्राधिकारियों द्वारा दिए गए निर्णय से असंतुष्ट थे। आयोग ने पाया कि अधिकतर शिकायतों में जनसूचना अधिकारियों द्वारा कार्यवाही उचित समय पर नहीं की गई थी । यह विलम्ब जन सूचना अधिकारियों को आर टी आई अधिनियम 2005 और इसके नियमों के प्रति पूर्ण जागरूकता न होने के कारण पाया गया। वर्ष के दौरान रूपये 2,34,281 की राशि आवेदकों से आवेदन शुल्क तथा अतिरिक्त शुल्क सूचना प्राप्त करने के कारण प्राप्त हुई।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उपबन्धों के अनुसार सार्वजनिक प्राधिकरणों को इस अधिनियम के एक सौ दिन के भीतर समुचित संख्या में अपेक्षित जन सूचना अधिकारी व सहायक जन सूचना अधिकारी नामित करने होंगे। इन प्राधिकारियों को अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील अधिकारी नामित करने होंगे । इस उपबन्ध के अनुसरण में 159 प्राधिकारियों ने पर्याप्त मात्रा में जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी तथा अपील अधिकारियों को इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने हेतु नामित कर दिया गया है । आयोग के ध्यान में ऐसा कोई भी प्रकरण नहीं लाया गया है जहां प्राधिकारियों द्वारा जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी तथा अपील अधिकारी को नामित नहीं किया गया हो। वस्तुतः पंचायती राज विभाग ने साधारण जनता को पंचायत स्तर पर आवेदन

दायर करने के उद्देश्य से पंचायत मुख्यालय एवं ब्लाक मुख्यालय स्तर पर जन सूचना अधिकारी एवं सहायक जन सूचना अधिकारी नामित कर दिए हैं । इस अधिनियम को प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए पंचायती राज विभाग का यह एक सराहनीय कदम है।

4. अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में यह व्यवस्था है कि जन प्राधिकारी इस प्राधिकरण की कार्यशैली की स्वेच्छिक घोशणा अधिनियम में वर्णित 17 बिन्दुओं के अनुरूप करें । यह भी अपेक्षित है कि इसे समय समय पर अद्यतन किया जाए । हालांकि बहुत से सार्वजनिक प्राधिकरणों ने अधिनियम की धारा (1)(ख) के तहत राज्य स्तर पर सूचना का प्रकाशन किया है लेकिन फिर भी इन प्राधिकरणों के जिला स्तर पर कार्यालयों में ऐसा नहीं किया है । अधिकतर विभागों, बोर्डों तथा निगमों के जिला स्तर के कार्यालयों की यह धारणा है कि अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के तहत स्वैच्छिक घोशणा सम्बन्धित विभाग, बोर्ड या निगम के राज्य स्तर के कार्यालय द्वारा दी जानी हैं । इस धारा के उपबन्धों को अक्षरशः लागू करने हेतु यह वाछिंत है कि विभागों, बोर्डों व निगमों के जिला स्तरीय कार्यालय भी अपने जिला से सम्बन्धित सूचना 17 बिन्दुओं के अनुरूप प्रकाशित करके अपने जिला के क्षेत्रीय कार्यालयों को उपलब्ध करवाए । जिला स्तर पर ऐसी स्वेच्छिक घोशणा से सूचना के अधिकार के तहत जिला स्तर पर आवेदनों की संख्या कम होगी तथा इससे जन अधिकारियों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने का उद्वेश्य भी पूरा होगा । अतः अधिनियम की धारा4(1) बी के उपबन्धों के अनुरूप यह संस्तुति की जाती है कि विभिन्न विभागों, बोर्डों/निगमों के जिला स्तरीय कार्यालयों को ऐसी सूचना प्रकाशित करने को कहा जाए ।

5. आयोग ने अपनी प्रथम रिपोर्ट में यह संस्तुति की थी कि जिला स्तरीय जन सूचना अधिकारियों, सहायक जन सूचना अधिकारियों/अपील प्राधिकारियों की सूचना सम्बन्धित जिला के क्षेत्रीय कार्यालयों में रखी जाए। यह भी संस्तुति की गई कि इस विवरण को जन अधिकारियों के जिला स्तरीय सूचना पट्टों पर लगाया जाए। राज्य सरकार ने सूचित किया कि अब परिस्थिति बदल गई है तथा हिमाचल प्रदेश के हर विकास खण्ड में अपने जनसूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी/अपील प्राधिकारी है । निःसंदेह अधिकतर जन अधिकारियों ने जिला व ब्लाक स्तर पर जन सूचना अधिकारी/ सहायक जन सूचना अधिकारी/अपील प्राधिकारी नामित कर दिए है अपितु इनका विवरण सम्बन्धित जिलों के सभी जन सूचना अधिकारियों के कार्यालयों में उपलब्ध नहीं है । इस प्रकार इस संस्तुति का वर्श के दौरान क्रियान्वयन बहुत अधिक संतोशजनक नहीं रहा क्योंकि जनसाधारण के पास इन विभिन्न जन अधिकारियों के जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी तथा अपील प्राधिकारियों के नाम, पदनाम तथा स्थान के बारे में जानकारी नहीं थी । अतः आयोग पुनः यह संस्तुति करता है कि प्रत्येक जिला विशेष के जन अधिकारी के नामित जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी तथा अपील प्राधिकारियों का पूर्ण विवरण सम्बन्धित जिला के सभी कार्यालयों में उपलब्ध करवाया जाए । यह विवरण विभागों/अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अपने सूचना पट्ट पर प्रमुखता से दर्शाया जाए ।

6. अधिनियम की धारा 4(1)(क) में प्रत्येक जन सूचना अधिकारी के लिए अनुबन्धित है कि :-

- अपना सारा रिकार्ड वर्गीकृत तथा सूचीकृत तरीके से व्यवस्थित करें ताकि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सुविधाजनक हो तथा
- यह सुनिश्चित किया जाए कि समस्त रिकार्ड कम्पयूट्रीकृत करने हेतु उचित समय तथा संसाधनों की उपलब्धता ध्यान में रखी जाए। इस रिकार्ड को कम्प्यूट्रीकृत करके देश के विभिन्न नैटवर्क से जोड़ा जाए ताकि ऐसे रिकार्ड तक पंहुच सुविधाजनक हो ।

7. अधिनियम के उपर्युक्त उपबन्धों से वर्तमान रिकार्ड प्रबन्धन व्यवस्था के विवेचनात्मक पुनरीक्षण, रिकार्ड का प्रतिधारण, विभिन्न श्रेणी के रिकार्ड को श्रेणीवद्व करना तथा विभिन्न जन प्राधिकारियों के रिकार्ड का सूचीकरण एवं क्रमाक्रन आवश्यक हो जाता है । इसके लिए रिकार्ड प्रबन्धन में विशेशकर ईलेक्ट्रानिक रिकार्ड के बनाने व निरस्त करने के संदर्भ में न्यायायिक ढांचे में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ सकती है आयोग का यह विचार है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न उपबन्धों की पंहुच हेतु अभिलेखों का समुचित सूचीकरण व अनुक्रमणीकरण अति आवश्यक है । इसी कारण आयोग द्वारा अपने पहले प्रतिवेदन में यह संस्तुति किया गया था कि राज्य सरकार पर्याप्त समुचित धन सहित ऐसी व्यवस्था करे जिससे कम्प्यूट्रीकरण करके उसे एक नेटवर्क के माध्यम से एक निश्चित समयावधि से चरणवद्व तरीके से पूरे प्रदेश में लागू किया जा सके। सरकार ने सूचित किया है कि हिमसवान की स्थापना की जा रही है तथा हिमाचल प्रदेश सचिवालय में रैफनिक को लागू किया जा रहा है । इसके प्रबन्धन हेतु एक नया दस्तावेज प्रबन्धन साफटवेयर तैयार किया जा रहा है । अधिनियमों को बैवसाईट पर रखा गया है तथा राजपत्र अधिसूचनाएं वैबसाईट पर उपलब्ध है । यह अधिनियम की धारा 4(1)(क) को लागू करने हेतु एक स्वागत योग्य कदम है । फिर भी, विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए यह आवश्यक है कि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण एक निश्चित समयावधि के भीतर करें। अतः यह संस्तुतित किया जाता है कि राज्य सरकार आगामी वित्त वर्श में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू करने हेतु समुचित पग उठाए।

8. राज्य सूचना आयोग द्वारा विभिन्न जिलों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न बैठकों के दौरान विचारविमर्श तथा विभिन्न शिकायतों व अपीलों की सुनवाई के दौरान आयोग नें यह पाया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा इसके अन्तर्गत बने विभिन्न नियमों की जानकारी के अभाव में जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी निर्णय लेने में देरी करते हैं । हालांकि हिमाचल प्रदेश लोक संस्थान ने जन सूचना अधिकारी तथा सहायक जन सूचना अधिकारियों को विभिन्न अधिनियमों व नियमों के उपबन्धों से परिचित करवाने हेतु 17 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए लेकिन यह कार्यक्रम

प्रदेश के समस्त जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी में से कुछ प्रतिशत को ही सम्मिलित कर पाए। जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी तथा अपील प्राधिकारियों की बहुत अधिक संख्या होने के कारण हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान इन सभी अधिकारियों को एक निशिचित समय सीमा में प्रशिक्षित करने में सक्षम नहीं है। अतः आयोग ने अपने प्रथम प्रतिवेदन में संस्तुतित किया था कि इन अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा नियम के दायरे में लाने हेतु प्रदेश के अन्य प्रशिक्षण संस्थानों को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु :ाामिल किया जाए । जैसा कि उपर भी उल्लेख किया गया है कि अभी भी जन सूचना अधिकारियों/सहायक जन सूचना अधिकारियों/अपील प्राधिकारियों में अभी भी अधिनियम के उपबन्धों के बारे में जागरूकता की कमी है। अतः उपर्युक्त संस्तुति राज्य सरकार के विचारार्थ फिर से प्रस्तुत की जा रही है ताकि आगामी वित्त वर्श में पर्याप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा सके ।

9. पंचायती राज विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग में बहुत से जन सूचना अधिकारी/ सहायक जन सूचना अधिकारियों को खण्ड स्तर पर, पंचायत स्तर पर तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्तर पर नामित किया है। आयोग द्वारा यह पाया गया है कि यह राज्य जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी सूचना के अधिकार, 2005 तथा एच. पी. आर. टी. आई, 2006 के विभिन्न उपलबन्ध से वाकिफ नहीं है । इसके फलस्वरूप इनके पास आने वाले सूचना के अधिकार सम्बन्धी प्रतिवेदनों के निश्पादन में विलम्ब हो रहा है । कुछ दूसरे विभागों के खण्ड या उपमण्डल स्तर पर तैनात जन सूचना अधिकारी एवं सहायक जन सूचना अधिकारियों में भी इस प्रकार की जागरूकता का अभाव ध्यान में आया है । बहुत से मामलों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा एच. पी. आर. टी. आई. नियम, 2006 की अनउपलब्धता का उल्लेख भी जन सूचना अधिकारी/सहायक सूचना अधिकारियों द्वारा किया गया है। जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी के पास बहुत सी जगहों पर उसी जन प्राधिकारी या अन्य जन प्राधिकारी के जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी से अधिनियम व नियमों की प्रतियां प्राप्त करने की सुविधा नहीं है। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में भी अधिनियम/नियमों की प्रतियां उपलब्ध नहीं है। इन परिस्थितियों में जन अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सूचना के अधिकार के तहत बनाए गए अधिनियमों व नियमों के क्रियान्वयन हेतु इन अधिकारियों को अधिनियमों व नियमों की प्रतियां उपलब्ध करवाए । अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में राज्य सरकार को चाहिए कि वह सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 तथा हिमाचल प्रदेश सूचना के अधिकार के नियम, 2006 की प्रतियां सभी जन सूचना अधिकारियों/सहायक जन सूचना प्राधिकारियों व अपील अधिकारियों को प्रदान करने के निर्देश दें। प्रदेश के सभी पुस्तकालयों को भी इस अधिनियम व नियमों की प्रतियां प्रदान की जाए ।

10. हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 में यह व्यवस्था है कि किसी भी दस्तावेज की 15 मिनट तक या उसके एक भाग तक निरीक्षण हेतु दस रूप्ये शुल्क देय होगा । निरीक्षण हेतु 15 मिनट का समय बहुत ही कम है । यद्यपि केन्द्र सरकार ने निरीक्षण हेतु एक घण्टे की समय सीमा तय की है । इसका परीक्षण किया गया तथा आयोग ने अपने प्रथम प्रतिवेदन में दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु तय शुल्क में कमी करने का सुझाव दिया था। अपितु प्रशाससनिक सुधार विभाग द्वारा प्रस्तुत कार्यावाही रिपोर्ट इस सुझाव के बारे में खामोश है । पुनः यह संस्तुति की जाती है कि सरकार नियमों दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु समय सीमा को बढ़ाकर तय शुल्क कम करने पर विचार करें ।

11 नियमों में यह व्यवस्था है कि सूचना के अधिकार सम्बन्धी प्रार्थनापत्र एक निर्धारित प्रपत्र पर भरा जाए । बहुत से मामलों में सूचना अधिकारियों द्वारा सादे कागज पर दिए गए प्रार्थना पत्रों को रद्द कर दिया जाता है या फिर वापिस कर दिया जाता है हालांकि प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना का स्पश्ट उल्लेख होता है । आयोग को प्रार्थियों की ओर से ऐसे प्रकरणों में हस्ताक्षेप करना पड़ता है। सम्बन्धित जन सूचना अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्र को अस्वीकृत करने या वापिस करने पर आवेदक सीधे आयोग के पास आते है क्योंकि जन साधारण सामान्यतः सूचना के अधिकार की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित प्रपत्रों से अनभिज्ञ होते हैं । इस स्थिति के निराकरण हेतु यह आवश्यक है कि सूचना के अधिकार के निर्धारित प्रपत्रों को ऐच्छिक कर दिया जाए । इन परिस्थितियों में यह संस्तुति की जाती है कि हिमाचल प्रदेश सूचना अधिकार नियमों में सुविधाजनक संशोधन किया जाए ताकि सूचना के अधिकार सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों को निर्धारित पत्रों में भरने की अनिवार्यता को दूर किया जा सके ।

12. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 26 की उप धारा (1) में राज्य सरकार पर कुछ दायित्व निश्चित किया गया है कि वह जन साधारण में अधिनियम की विभिन्न व्यवस्थाओं का प्रचार करें । सरकार से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह जन साधारण में विशेषकर कमजोर वर्गों के लिए ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम विकसित करें ताकि वह अधिनियम के तहत अपने अपेक्षित अधिकारों का प्रयोग कर सके । जन सूचना अधिकारी द्वारा अपने क्रियाकलापों का समयवद्व व प्रभावकारी प्रदाय व स्टीक सूचना प्रदान करना सुनिश्चित किया जाए। जन सूचना अधिकारियों/सहायक जन सूचना अधिकारियों व अपील प्राधिकारियों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण सम्बन्धी सामग्री तैयार करना भी राज्य सरकार का दायित्व है । फलतः आयोग ने अपने प्रथम प्रतिवेदन में अधिनियम की धारा 26 के उपबन्धों को लागू करने हेतु एक समयवद्व कार्य योजना बनाने की सिफारिश की थी। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान में वर्श के दौरान अधिकारियों के लिए 17 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए लेकिन राज्य सरकार ने आयोग की उपर्युक्त संस्तुतियों को लागू करने हेतु कोई भी कार्य योजना नहीं बनाई । अतः पुनः यह संस्तुति की जाती है कि अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित अधिकारियों के प्रयोग हेतु जनसाधारण विशेषकर बचित समुदाय हेतु

शैक्षणिक कार्यक्रम विकासित तथा आयोजित किए जाए ताकि इनमें भी इसका प्रसार हो । राज्य सरकार द्वारा जन सूचना अधिकारियों के कार्यक्रमों के प्रभावशाली व स्टीक सूचना समयवद्व सूचना को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। विभिन्न विभाग अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत जिला स्तर पर समय समय पर सेमिनारों तथा कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। इसी प्रकार उत्सव तथा मेलों का आयोजन राज्य के विभिन्न स्थानों में विभिन्न विभागों, बोर्डों/निगमों द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनियों में किया जा रहा है। इन मेलों का प्रयोग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार अधिनियम, 2006 के उपबन्धों के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु किया जा सकता है ।

परिशिष्ट "क"

31.3.2007 तक राज्य सूचना आयोग में प्राप्त अपीलों की अद्यतन स्थिति

क्र0संख्या	अपील कर्ता का नाम व पता	पी आई ओ/ प्रतिवादी का नाम व पता	अपील कर्ता द्वारा दायर अपील की तिथि	आयोग द्वारा आदेश पारित करने की तिथि
	जिला शिमला			
1.	श्री घनश्याम चन्द ठाकुर, वरिश्ठ सहायक, आर0डी0 शाखा, हि0प्र0, सचिवालय शिमला ।	अतिरिक्त सचिव, एस0ए0, हि0प्र0, सचिवालय, शिमला ।	13.3.2006	19.7.2006
2.	श्रीमती एस0के0चौधरी, दी माल शिमला ।	सहायक आयुक्त, नगर निगम, शिमला ।	3.7.2006	21.7.2006
3.	श्री विनायक कहोल, शिमला ।	पी0आई0ओ0, हि0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम समिति, शिमला ।	23.9.2006	18.102006
4.	श्री विनोद लखनपाल, बालूगंज, शिमला	सहायक आयुक्त, नगर निगम, शिमला ।	20.10.2006	31.20.2006
5.	श्री पदम देव :ार्मा, द्वारा हेमन्त इलेकट्रिक्स, टूटू, शिमला ।	अतिरिक्त सचिव (आई0पी0एच0), हि0प्र0 सरकार, शिमला ।	22.12.2006	8.2.2007
6	श्री विनोद लखनपाल, बालूगंज, शिमला ।	सहायक आयुक्त, नगर निगम, शिमला ।	18.1.2007	19.4.2007
7	श्री अनंत राम नेगी, पुत्र श्री धनी राम, निवासी गांव व डा0 हलैला, कोटखाई, शिमला ।	पुलिस अधीक्षक, शिमला ।	8.2.2007	23.2.2007

8	डा0 अनूपम नन्दा, पुत्र श्री पी0एल0 नन्दा, द्वारा पी0डी0 नन्दा, प्रबंधक, विपणन,एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, शिमला ।	रजिस्ट्रार, हि0प्र0 विश्वविद्यालय, शिमला-5 ।	6.3.2007	20.4.2007
9	श्री घनश्याम चन्द ठाकुर, वरिश्ठ सहायक, आर0डी0 शाखा, हि0प्र0, सचिवालय ।	अतिरिक्त सचिव (एस0ए0), हि0प्र0 सचिवालय, शिमला ।	7.2.2007	20.4.2007
	जिला सिरमौर ।			
1	श्री प्रवीण कुमार, प्रधान, संजीवनी जन कल्याण सेवा समिति (पंजीकृत) ददाहू, सिरमौर ।	रजिस्ट्रार, सी एस के हि0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, कांगडा ।	16.6.2006	18.7.2006
	जिला कांगडा ।			
1	श्री एस0डी0 सांख्यान, पालमपुर, कांगडा ।	रजिस्ट्रार, सी0एस0के, हि0प्र0, कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, कांगडा ।	16.6.2006	18.7.2006
2	श्री बी0 आर0 धीमान, उप-रजिस्ट्रार, सी0एस0के0, एच0पी0के0वी0, पालमपुर, कांगडा ।	रजिस्ट्रार, सी0एस0के, हि0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, कांगडा ।	21.8.2006	13.9.2006
3	श्री सतीश चन्द्र, धर्मशाला, कांगड़ा ।	जिला पंचायत अधिकारी, धर्मशाला स्थित, कांगडा ।	5.10.2006	1.11.2006

4	श्री एस0डी0 सांख्यान, गांव व व डा0 राजपुर, पालमपुर, कांगडा ।	एस0डी0ओ0 (नागरिक), देहरा, जिला कांगडा ।	17.1.2007	8.2.2007
5	श्री बी0 आर0 धीमान, उप-रजिस्ट्रार, सी0एस0के0, एच0पी0के0वी0, पालमपुर, कांगडा ।	सहायक रजिस्ट्रार (स्थापना), सी0एस0के0, एच0पी0के0वी0, पालमपुर, कांगडा ।	21.1.2007	24.4.2007
6	श्री प्रदीप कुमार, दैनिक वेतन भोगी, कम्पयूटर प्रचालक, कृशि वानिकी विभाग, सी0एस0के, हि0प्र0के0 वी0वी0, पालमपुर	प्रभारी (भर्ती), सी0एस0के, एच0पी0के0वी0, पालमपुर ।	21.3.2007	7.5.2007
	जिला हमीरपुर ।			
1	श्री सुख राम, हमीरपुर	पंचायत निरीक्षक, बीझडी खण्ड, हमीरपुर ।	13.10.2006	2.11.2006
2	श्री ओकार सिंह, हमीरपुर ।	मण्डल प्रबन्धक, हि0प्र0 राज्य वन निगम, शिमला ।	28.10.2006	22.11.2006
3	श्री ओकार सिंह, हमीरपुर ।	कम्पनी सचिव, हि0प्र0 राज्य वन निगम, शिमला ।	28.10.2006	31.11.2006
4	श्री ओकार सिंह, प्रताप नगर, हमीरपुर ।	प्रबंधक (प्रशासन), हि0प्र0 राज्य वन निगम, शिमला ।	20.12.2006	10.1.2007
5	श्री ओकार सिंह, प्रताप नगर, हमीरपुर ।	मण्डल प्रबंधक, हि0प्र0 राज्य वन निगम, शिमला ।	20.12.2006	10.1.2007

6	श्री जे0सी0 कैथ, वस्तु एवं अभियांत्रिकी सेवाएं, द्वितीय तल, हिमाचल ट्रेड कम्पनी, नजदीक बस अड्डा, हमीरपुर, जिला हमीरपुर ।	एस0ई0, हि0प्र0, पी0डब्ल्यू0डी0, 8 वी वृत, हमीरपुर, जिला हमीरपुर ।	24.1.2007	14.3.2007
7	श्री ओंकार सिंह, हमीरपुर ।	कम्पनी सचिव, हि0प्र0 राज्य वन निगम, शिमला-9 ।	13.3.2007	10.5.2007
	जिला विलासपुर ।			
1	श्री संजीव कुमार, निवासी गांव, भूवाइ	जिला पंचायत, अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर ।	12.1.2007	1.2.2007
2	श्री रामदास ठाकुर, प्रधान, बिलासपुर ट्रक प्रचालक, ट्रक सहकारी संघ, समिति बरमाना ।	सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सभाव, सीमित, बिलासपुर ।	17.3.2007	27.102007
	जिला चम्बा ।			
1	श्रीमती सुशमा कुमारी देवाल, तीसा (चम्बा)	उप-निदेशक, (प्रारम्भिक शिक्षा) चम्बा ।	28.11.2006	8.1.2007
	जिला ऊना ।			
1	श्री मोहिन्द्र सिंह, गगरेट, ऊना ।	सहायक अभियन्ता, आई0पी0एच0, उप-मण्डल, गगरेट, धर्मशाला ।	2.11.2006	1.2.2007
2	डा0 रीता भरवाल एवं डा0 एस0ओ0 भरवाल, चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय अस्पताल, ऊना ।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊना ।	23.2.2007	7.5.2007

	जिला मण्डी ।			
1	श्री हरनाम सिंह ठाकुर, भियुली, मण्डी ।	कार्यपालक अभियन्ता, हिमुडा, मण्डल, मण्डी ।	1.12.2006	28.12.2006
2	श्री एच0एस0 ठाकुर, प्रधान, भियुली कलोनी, निवासी संघ, मण्डी ।	कार्यपालक अभियन्ता, हिमुडा, मण्डल मण्डी ।	12.1.2007	1.2.2007
	जिला सोलन ।			
1	श्री अरूण सिंह, वरिश्ठ सहायक, कार्यालय लेखा नियन्त्रक, यू0एच0 एवं एफ नौणी, सोलन	रजिस्ट्रार, डा0 वाई0एस0 परमार विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन ।	7.2.2007	15.3.2007
	जिला कुल्लू ।			
1	श्री हरी दत्त :ार्मा, गांव व डा0 अन्नी, जिला कुल्लू ।	उप-निदेशक (प्राराम्भिक शिक्षा)	3.1.2007	22.1.2007

31.3.2007 तक राज्य सूचना आयोग में प्राप्त शिकायतों की अद्यतन स्थिति ।

क्र0सं0	शिकायत कर्ता का नाम व पता	पी0 आई0ओ/ प्रतिवादी का नाम व पता	शिकायत करने की तिथि	आयोग द्वारा आदेश पारित करने की तिथि
	जिला शिमला			
1	स्ट्राबेरी हिल आवास कल्याण संघ, छोटा शिमला ।	सहायक आयुक्त, नगर निगम, शिमला ।	14.7.2006	2.8.2006
2	श्री एस0के0 चौधरी, दी माल, शिमला ।	एस0इ0 (निर्माण) ओ/ओ इ0एन0सी0, हि0प्र0 पी0डब्ल्यू0डी0, यू0सए0 क्लब, शिमला ।	31.7.2006	2.9.2006
3	श्री रमेश कुमार, कुसुम्पटी, शिमला ।	शिक्षा निदेशालय, हि0प्र0, शिमला ।	12.8.2006	11.9.2006
4	श्री वीरेन्द्र कुमार, शिमला ।	मूख्य अभियन्ता (वाणिज्य), हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड, शिमला ।	7.9.2006	3.11.2006
5	श्री रविन्द्र कुमार, नई दिल्ली ।	उपसचिव (गृह), हि0प्र0 सरकार, शिमला ।	8.9.2006	27.10.2006
6	श्री रविन्द्र कुमार, नई दिल्ली ।	अभियन्ता आर.एस. सोनी, प्रमुख्य अभियन्ता (परियोजना) राज्य विद्युत बोर्ड, शिमला ।	29.9.2006	27.10.2006
7	श्री राम लाल शर्मा, न्यू-शिमला,	सहायक आयुक्त, नगर निगम, शिमला ।	6.10.2006	1.11.2006

8	श्री जे0आर0 आजाद, हिमुडा, शिमला ।	रजिस्ट्रार, हि0प्र0 विश्वविद्यालय, शिमला ।	13.10.2006	23.11.2006
9	श्री के0डी0 वर्मा, शिमला ।	जिला पंचायत अधिकारी, शिमला ।	16.10.2006	2.11.2006
10	श्री जिया लाल, ए0एल0एम0, हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड, शिमला ।	एस0ई0 (परिचालन वृत्त), हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड, शिमला ।	4.11.2006	30.11.2006
11	श्री इन्द्रजीत वर्मा, शिमला ।	निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हि0प्र0 ।	11.12.2006	9.1.2007
12	श्री रतिराम शर्मा, पुत्र स्व0 श्री सीता राम शर्मा, गांव लजदून, डा0 चनोग, शिमला ।	पंचायत निरीक्षक, मशोबरा, खण्ड मशोबर, शिमला ।	23.2.2007	13.3.2007
13	श्री भीमसेन ठाकुर, निवासी सैनी भवन, नजदीक राजकी उच्च विद्यालय खलीनी, शिमला-9 ।	सहायक आयुक्त, नगर निगम, शिमला ।	23.2.2007	15.3.2007
14	श्री के0एस0 सिसोदिया, पटवारी, निर्धारण शाखा, बन्दोबस्त निदेशालय एस0डी0ए0 कम्प्लैक्स, कुसुम्पटी, शिमला ।	सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, शिमला ।	13.3.2007	30.3.2007 को शिकायत वापिस ली ।
	जिला सिरमौर			
1	जन एकता समिति, पौंटा साहिब, सिरमौर।	पर्यावरण अभियन्ता, हि0प्र0 राज्य प्रदूशण नियन्त्रण बोर्ड ।	22.7.2006	25.8.2006
2	श्री सी0एम0 मधुर, पौंटा साहिब, सिरमौर ।	सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, शिमला ।	13.11.2006	12.12.2006
3	श्री हेमन्त गर्ग, काला अम्ब, सिरमौर ।	आबकारी एवं कराधान अधिकारी, पौंटा साहिब,	15.11.2006	6.12.2006

		जिला सिरमौर ।		
4	श्री अमरजीत सिंह वालिया, पौंटा साहिब, सिरमौर ।	सहायक बन्दोबस्त, अधिकारी, शिमला।	16.11.2006	12.12.2006
5	श्रीमती अनीता पुरी, पत्नी श्री राहुल पुरी, सिरमौर ।	सहायक बन्दोबस्त, अधिकारी, शिमला ।	16.11.2006	12.12.2006
6	एम0/एस0आई0आई0टी0 टी0, अभियान्त्रिकी कालेज, काला अम्ब ।	रजिस्ट्रार, हि0प्र0 विश्वविद्यालय, शिमला ।	21.11.2006	27.12.2006
7	श्री सन्तोश कुमार, प्रिंसीपल (सेवानिवृत) आई0टी0 आई0 के पीछे शमशेरपुर पौंटा-साहिब, जिला सिरमौर ।	संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा, लाल पानी, शिमला ।	6.2.2007	15.3.2007
8	श्री बलराज मल्होत्रा, मकान न0-79/1, बार्ड न0- 6, नजदीक यू0बी0आई0 पौंटा साहिब, सिरमौर ।	उप-निदेशक, (प्रारम्भिक शिक्षा) नाहन स्थित, जिला सिरमौर ।	13.3.2007	20.8.2007
	जिला सोलन			
1	श्री हितैश वर्मा, अर्की, सोलन ।	बी0डी0ओ0, कुनिहर, जिला सोलन ।	7.8.2006	27.9.2006
	जिला कांगडा			
1	श्रीशान्ति स्वरूप शर्मा, पालमपुर, कांगडा ।	उद्योग निदेशालय, हि0प्र0, शिमला ।	21.8.2006	10.10.2006
2	श्री बी0आर0 धीमान, उप-रजिस्ट्रार, सी0एस0के0, एच0पी0के0वी0वी0, पालमपुर, कांगडा ।	सहायक रजिस्ट्रार, सी0एस0के0, एच0पी0के0वी0वी0, पालमपुर, कांगडा ।	24.9.2006	13.11.2006
3	श्री रविन्द्र कुमार, नई दिल्ली ।	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कांगडा ।	25.9.2006	27.10.2006

4	श्री चन्द्र मोहन, फतेहपुर, कांगडा ।	निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं, हि0प्र0 ।	2011.2006	9.1.2007
5	श्री सतीश बस्सी, आवास बोर्ड कालोनी, कांगडा ।	सचिव, हिमुडा, शिमला।	20.11.2006	6.12.2006
6	श्री नरदेव सिंह, गांव लुठान, डा0 सुधांगल, तह0 देहरा, जिला कांगडा ।	संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा, हिमाचल प्रदेश ।	6.1.2007	23.1.2007
7	श्री कांशी राम, गांव व डा0 पठियार, जिला कांगडा ।	विधि अधिकारी, एच0पी0टी0डी0सी0 (सीमित), रीटज ऐनक्सी, शिमला ।	22.1.2007	1.3.2007
8	श्री बी0आर0 धीमान, उप-रजिस्ट्रार, सी0एस0के0, एच0पी0के0वी0, पालमपुर ।	सहायक रजिस्ट्रार, सी0एस0के0, एच0पी0के0वी0, पालमपुर ।	1.2.2007	24.4.2007
9	श्री सुभाश चन्द्र त्यागी, सहायक अभियन्ता (सेवानिवृत), त्यागी निवास, गांव व डा0 पंचरूखी, पालमपुर	बन्दोबस्त अधिकारी, धर्मशाला स्थित कांगडा ।	7.2.2007	19.5.2007
10	श्री रूप संहि, सुपुत्र स्व0 श्री रतन चन्द, मकान न0-22, श्याम नगर, धर्मशाला, जिला कांगडा ।	सचिव, हि0प्र0 तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, कांगडा ।	14.3.2007	30.3.2007
	जिला कुल्लू			
1	श्री फकीर चन्द, आनी, जिला कुल्लू ।	एस0डी0ओ0 (नागरिक) , आनी, कुल्लू ।	26.9.2006	30.10.2006
2	श्री फकीर चन्द, आनी, जिला कुल्लू ।	एस0डी0ओ0 (नागरिक) , आनी, कुल्लू ।	26.9.2006	30.10.2006

3	श्री फकीर चन्द गोस्वामी, निर्मण्ड, जिला कुल्लू ।	एस0डी0ओ0 (नागरिक) , आनी, कुल्लू ।	16.11.2006	29.12.2006
4	श्री फकीर चन्द गोस्वामी, निर्मण्ड, जिला कुल्लू ।	एस0डी0ओ0 (नागरिक) , आनी, कुल्लू ।	16.11.2006	29.12.2006
5	श्री हरिदत्त शर्मा, गंव व डा0 तहसील आनी, नजदीक आनी अस्पताल , जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ।	उप-निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ।	3.1.2007	22.1.2007
6	श्री रामलाल भारद्वाज, शास्त्री, जी0एम0एस0 जलेहत, तह0 आनी, जिला कुल्लू ।	उप-निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ।	3.1.2007	22.1.2007
7	श्री चन्द्र देव शर्मा, वरिश्ठ सहायक, पर्वतारोहण एवं समवर्गी खेलकूद, निदेशालय, मनाली ।	पर्वतारोहण एवं समवर्गी खेलकूद निदेशालय, मनाली ।	27.1.2007	1.3.2007
	जिला किन्नौर			
1	श्री कुलविन्द्र संधू, किन्नौर ।	एस0डी0एम, कल्पा, रिकांग-पिओ, किन्नौर ।	28.9.2006	19.10.2006
	जिला चम्बा			
1	श्री ओम प्रकाश, चमेशनी, चम्बा ।	निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय लालपानी, शिमला ।	23.10.2006	13.11.2006
	जिला मण्डी			
1	श्रीमती नर्वदा कुमारी, मण्डी ।	जिला शिक्षा अधिकारी मण्डी ।	20.11.2006	7.12.2006

2	श्री कश्मीर सिंह, गुलेटिया, मण्डी ।	जिला नियन्त्रक खाद्य, नागरिक आपूर्वित एवं उपभोक्ता मामले, मण्डी ।	23.11.2006	7.12.2006
3	श्री भूशण लाल शर्मा, गांव छपरोल, गांव गगल, तहसील व जिला मण्डी, हि0प्र0 ।	अधीक्षण ओ/ओ एकस इ0एन0, आई0पी0एच0, सुन्दरनगर खण्ड, मण्डी ।	11.1.2007	14.12.2007
4	श्री भरत कुमार, द्वारा कुमार होटल, पुराना बस अडडा, सुन्दरनगर, हि0प्र0 ।	जी0एम0, हि0 प्र0 राज्य सहकारिता बैंक (समिती), दी माल, शिमला ।	1.2.2007	3.3.2007
	जिला बिलासपुर			
1	सुश्री बंदना कुमारी, गांव व डा0 गेहडवीं, जिला बिलासपुर ।	जिला पंचायत अधिकारी, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 ।	17.11.2006	27.12.2006
2	श्री प्रकाश सिंह, सुपुत्र श्री मनसा राम, गांव बेहरन, डा0 व तह0 झण्डूता, जिला बिलासपुर ।	बी0डी0ओ0 झण्डूता, जिला बिलासपुर, हि0प्र0।	11.1.2007	3.2.2007
3	श्री प्रकाश सिंह, सुपुत्र श्री मनसा राम, गांव बेहरन, डा0 व तह0 झण्डूता, जिला बिलासपुर ।	खण्ड विकास अधिकारी, झाण्डूता, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 ।	8.2.2007	15.3.2007
	जिला ऊना			
1	श्री सुरेन्द्र पाल मन्हास, गंव व डा0 सोघनाई, वाया घनेडी, तह0 अम्ब, जिला ऊना ।	अतिरिक्त सचिव (आई0पी0एच0), हि0प्र0 सचिवालय ।	23.2.2007	19.4.2007

	जिला हमीरपुर			
1	श्री तानसेन कायस्थ, वार्ड न0-9, गांव व डा0 सुजानपुर टीहरा, तह0 सुजानपुर, जिला हमीरपुर ।	उप-निदेशक, (प्रारम्भिक शिक्षा), हि0प्र0 प्रारम्भिक शिक्षा, निदेशालय, लालपानी, शिमला ।	23.2.2007	14.3.2007
2	श्री ओंकार सिंह, मकान न0-53, वार्ड न-3, प्रताप नगर, हमीरपुर ।	प्रबंधक (प्रशासन) एच0पी0एस0एफ0सी, एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, कुसुम्पटी ।	13.3.2007	10.5.2007

राज्य सूचना आयोग द्वारा प्रथम रिपोर्ट में की गई संस्तुतियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

क्रमांक	आयोग की पहली रिपोर्ट में तैयार गई संस्तुतियॉं और (सम्प्रेक्षण)	राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई
1.	12 अक्तूबर 2005 को अधिकार सूचना अधिनियम लागू हुए जैसा कि इस रिपोर्ट में पहले ही उल्लिखित है, तथापि अधिनियम कुछ उपबंधों में जिनमें नियम बनाने की शक्तियां निहित है 15 जून 2005 को लागू हुई । इसके फलस्वरूप इस अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार और अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु नियमों के तीन सैट अधिसूचित किए गए हैं । हि0प्र0 अधिकार सूचना नियम 2006 को राज्य सरकार द्वारा 21 जनवरी 2006 को अधिसूचित किए थे । हि0प्र0 के उच्च न्यायालय ने अधिकार सूचना नियमों को 30 नवम्बर, 2005 में अधिसूचित किया था और हि0 प्र0 विधान सभा सचिवालय द्वारा अधिकार सूचना नियम (शुल्क और लागत का विनियम) 2006, 15 जून 2006 को अधिसूचित किए थे । राज्य सरकार द्वारा राज्य सूचना आयोग का गठन 4 फरवरी, 2006 को किया था, जिसने 1.3.2006 से कार्य करना प्रारम्भ किया । नियमों की अधिसूचना में विलम्ब, जिसमें नियम के अन्तर्गत शुल्क की दरें निर्धारित हैं, अधिकार सूचना अधिनियम 2005 के अन्तर्गत केवल कम आवेदनों को भरने का एक कारण हो सकता है । इस अधिनियम के अन्तर्गत कम मात्रा में आवेदन पत्र भरे जाने का एक कारण अधिनियम के उपबन्ध के बारे में पर्याप्त प्रसार का अभाव हो सकता है ।	सरकार द्वारा हि0प्र0 अधिकार सूचना अधिनियम 2006 को 21 जनवरी 2006 को अधिसूचित किया गया था। यह सत्य है कि नियमों का सही प्रचार प्रसार नहीं हो पाया तथापि नियमों में प्रथम तथा द्वितीय संशोधनों के पश्चात् निदेशक लोक सम्पर्क विभाग से फरवरी, 2007 में नियमों के साथ नियमों के शुल्क ढांचे के व्यापक प्रसार करने के लिए निवेदन किया था ।
2.	आयोग ने यह पाया कि कुछ मामलों में अधिनियम के उपबन्धों के बारे में और पी0आई0ओ0/ए0पी0आई0ओ0 के नियमों में जानकारी के अभाव के कारण, आवेदक को सूचना को प्रस्तुत	अधिनियम और नियमों के उपबन्धों को जागरूकता प्रदान करने

	करने में विलम्ब होता है । वर्श के दौरान हि0प्र0 लोक प्रशासन संस्थान द्वारा पी0आई0ओ0 और ए0पी0आई0ओ0को अधिनियम और नियमों के विभिन्न उपबन्धों के बारे अवगत करवाने के लिए चार प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए । तथापि इन कार्यक्रमों में राज्य में पी0आई0ओ0/ए0पी0आई0ओ0 की कम प्रतिशतता रही । पी0आई0ओ0/ए0पी0आई0ओ0 और अपील प्राधिकारियों की बडी संख्या को देखते हुए हिप्पा में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाएँ, इन सभी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए वित्तीय वर्श 2006-2007 की समाप्ति से पहले पर्याप्त नहीं हो सकी । इसलिए यह आवश्यक है कि राज्य के अन्य प्रशिक्षण संस्थानों को भी इन पदाधिकारियों के अधिनियम और नियमों के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए शामिल किया जाए । इसके अतिरिक्त अधिनियम और नियमों के अधीन विभिन्न उपबन्धों के बारे आम जागरूकता बढ़ाने हेतु अधिनियम और नियम के अन्तर्गत सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विषेशकर जो पंचायती राज संस्थाओं (पी0आर0आईस0) और शहरी स्थानीय निकायों (यू0एल0बीस0)के चयनित प्रतिनिधियों को राज्य के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा एक प्रशिक्षण सत्र लगाया जा सकता है । इस पग से आर0टी0आई0 अधिनियम, 2005 और उसके अन्तर्गत नियमों के बारे में राज्य में पी0आर0आईस और यू0एल0बीस0 के चयनित प्रतिनिधियों के माध्यम से आम जनता में जागरूकता के प्रचार होने की प्रत्याशा है तथापि वित्तीय सहायता के पर्याप्त अभाव से, इन प्रशिक्षण संस्थानों में जिसमें हिप्पा भी सम्मिलित है को ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करने में कठिनाई आ रही है । अतः राज्य सरकार को हिप्पा तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थानों को पी0आई0ओस0/ए0पी0आई0ओस0 और अपील प्राधिकारियों को विर्निश्ट समय के भीतर आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निधि का प्रावधान करना चाहिए यह पदाधिकारी आर0टी0आई0 अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण करें ।	हेतु आर0टी0आई0 अधिनियम पर दो कार्यशालाए सचिवालय और एक कार्यशाला हिप्पा में लगाई । हमने मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग की संस्तुतियों की प्रति संलग्न कर भविश्य में इस प्रकार की कार्यशालाएं संचालन करने के लिए पुनः हिप्पा के निदेशक को लिखा हैं ।
3.	इस अधिनियम की धारा 5 और 19 के अन्तर्गत इस रिपोर्ट में	हि0प्र0 विश्वविद्यालय

	तय अवधि के दौरान पी0आइ0ओ0एस0 / ए0पी0आई0ओ0एस0, अपील पदाधिकारियों के पदनाम सम्बन्धी उपबन्ध के कार्यान्वयन को कुछ सीमा तक सन्तोशजनक पाया है । परन्तु स्वैच्छिक प्रकरीकरण से सम्बंधित उपबन्ध के कार्यान्वयन पर, जो कि इस अधिनियम की धारा 4 (1) ख में है को सन्तोश जनक नहीं पाया गया है । इसलिए सरकार को चालू वर्श के दौरान अर्थात 31.3.2007 से पूर्व अद्यतन स्वैच्छिक प्रकरीकरण कार्य को पूर्ण करने की सुनिश्चिता के लिए आवश्यक पग उठाने चाहिए । यह भी सुनिश्चित किया जाए कि राज्य में प्रत्येक जन प्राधिकारी पी0आई0ओ0/ए0पी0आई0ओ0 और अपील प्राधिकारियो, जैसा कि अधिनियम के प्रत्येक उपबन्धों के अनुसार है को पर्याप्त संख्या में नामित किया है।	के अलावा प्रत्येक जन प्राधिकारी आर0टी0आई0 अधिनियम की धारा 4 (1) ख में संकलित सूचना को प्रकाशित करें ।
4.	आयोग के ध्यानार्थ यह बात आई है कि जन प्राधिकारी के क्षेत्रीय कार्यालयों में जनप्राधिकारी द्वारा नामित पी0आई0ओस/ए0पी0आई0ओस0 की सूची उपलब्ध नहीं है । इसके फलस्वरूप आवेदकों को इन प्राधिकारियों को जिला स्तर के कार्यालयों अथवा राज्यस्तरीय कार्यालयों से सम्पर्क करना पड़ता है और किसी समय राज्य सूचना आयोग के कार्यालय से पी0आई0ओ0एस0 /ए0पी0आई0ओस के नामों की जानकारी इस अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन भरने के लिए लेनी पड़ती है । जन प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें की उनके क्षेत्रीय अधिकारी नामित पी0आई0ओस/ ए0पी0आई0ओस /अपील प्राधिकारियों का पूर्ण विवरण रखें । विभागों/जनप्राधिकारियों के पास बड़ी मात्रा में अंतरापृश्ठ है । वह यह सुनिश्चित करे कि जिलों का यह विवरण जिलास्तरीय कार्यालयों के नोटिस बोर्ड में उपलब्ध हो ।	स्थिति में अब परिवर्तन आया है कि हि0प्र0 के प्रत्येक खण्ड में पी0आई0ओ/ ए0पी0ओ0 और अपील प्राधिकारी नियुक्त हैं ।
5.	यह आयोग के ध्यानार्थ लाया गया है कि अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का भुगतान ट्रेजरी चालान के माध्यम से होता है जो कि भारी और समय नष्ट करने वाला है । राज्य सरकार की अनुवर्ती आदेश के अनुसार शुल्क का डीमाण्ड ड्राफट के माध्यम से अनुमोदित भुगतान स्थिति को सरल करता है तथापि, उच्च लागत के रू0 10/- डीमाण्ड ड्राफट के बारे में भी आवेदको	आई0पी0ओ0 द्वारा भुगतान की अनुमति/कार्यान्वित दिनांक 8 जनवरी 2007 की अधिसूचना संख्या पी0ई0 आर0

	द्वारा प्राधिकारियों को संकेत किया गया है । इसलिए राज्य सरकार निर्धारित शुल्क का भुगतान नकद अथवा कम से कम भारतीय पोस्टल आर्डर के माध्यम से करने पर विचार कर सकती है । राज्य सरकार उन विभागों /जनप्राधिकारियों जिनके पास क्षेत्रीय कार्यालयों में उस स्थान पर आहरण एवं वितरण अधिकारी नहीं है ऐसे मामलों में दूसरे विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी को चालान हस्ताक्षरित करने का अधिकार जारी करने के लिए विचार भी कर सकता है । इस पग को उठाने से विशेशकर पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे आवेदकों को राहत मिलने की अपेक्षा है ।	(ए0आर0)-एफ(7)-2 /98-खण्ड-I में देखें ।
6.	रिकार्ड / दस्तावेज के निरीक्षण का शुल्क 10 रू0 प्रति 15 मिन्ट के निरीक्षण अथवा विखण्डन के लिए अधिसूचित नियमों के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है विषेशकर भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण के लिए निर्धारित शुल्क अधिक है । इस सम्बंध में जनता से प्रतिवेदन प्राप्त हुए है । राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रिकार्ड / दस्तावेज की निर्धारित दर एक घण्टा निरीक्षण के लिए 40 रूपये है इसके मुकाबले भारत सरकार द्वारा 5 रूपये प्रभार लिया जा रहा है । अर्थपूर्ण निरीक्षण इस उपबन्ध के पुनरीक्षण के लिए पर्याप्त औचित्य प्रतीत होता है । इसलिए सिफाारिश की जाती है कि निरीक्षण की अवधि को कम से कम 30 मिन्ट और उसके विघटन को वर्तमान 15 मिन्ट की अवधि से बढाया जाए ।	एकगण/सूचीवद्ध/ संलग्न को ध्यान में रखते हुए लागत रखी गई ।
7.	अधिनियम 4 (1) क में अनुबन्ध किया है प्रत्येक जन प्राधिकारी निम्न कार्य करेंगे । इसके समस्त रिकार्ड को व्यवस्थित, विधिवत रूप में इस क्रम से रखा जाए जिससे इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना की प्राप्ति सरल हो । यह सुनिश्चित किया जाए कि समस्त रिकार्ड जो कम्पयूटरीकरण के लिए उपयुक्त है, उसे समुचित समय तथा संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार, कम्पयूटरीकरण करवा दिया जाए तथा नेटवर्क के माध्यम से देश की विभिन्न कम्पयूटर पद्धतियों द्वारा ऐसे रिकार्ड को प्राप्त करने में सरलता हो। अधिनियम के उपर्युक्त उपबन्धों से यह आवश्यक हो जाता है कि रिकार्ड प्रबन्धन की विमान पद्धतियों, विभिन्न वर्गों के रिकार्डों	हिमस्वान को स्थपित किया जा रहा है रैफनिक को कार्यान्वित किया जा रहा है नया दस्तावेज प्रबंधन साफट-व्येर तैयार किया जा रहा है अधिनियमों का वैवसाईट बनाया जा रहा है । राजपत्रित

	को रखने की अनुसूची एवं सूचि करण पद्धतियां और रिकार्डो की संख्या का जनप्राधिकारियों द्वारा समीक्षात्मक पुनरीक्षण हों । इस अधिनियम के कारण रिकार्ड प्रबन्धन के कानूनी ढॉचे में विषेशता इलैक्ट्रोनिक रिकार्ड के सर्जन और विलोपन के बारे में बदलाव लाने की आवश्यकता पड़ सकती है । देश के नागरिकों द्वारा आर0टी0आई0 अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना मांगने के विशय पर विभिन्न उपबन्धो के कार्यान्वयन में रिकार्ड का उचित सूचीपत्र और सूचीवद्ध महत्वपूर्ण होगा । इसलिए राज्य सरकार ऐसे आवश्यक कदम उठाए जिसमें रिकार्ड के कम्पयूट्रीकरण के लिए प्र्याप्त निधि का प्रावधान हो जिससे रिकार्ड समुचित रूप से कम्प्यूट्रीकृत हो और प्रदेश में नेटवर्क के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से विनिर्दिश्ट समय में जोड़ा जाए ।	अधिसूचना वैवसाईट पर लाई जा रही है ।
8.	राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग तथा राज्य सूचना आयोग को नियत कालीन रिटर्न और रिपोर्टस जनप्राधिकारियों को प्रस्तुत करनी अपेक्षित है । इन रिटर्नस और रिपोर्टस को समय पर प्रस्तुत करने पर, जनप्राधिकारी क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित पी0आई0ओस/ए0पी0आई0ओस से सूचना को निर्धारित प्रपत्र पर एकत्रित करेगा । यह निश्चित रूप से इस कार्य को जनप्राधिकारी के मुख्यालय के नोडल अधिकारी को आवंटित करेगा । नोडल अधिकारी को नामित करने की प्रथा से यह वांछित है कि अधिनियम के अन्तर्गत आए आवेदनों को समस्त पी0आई0ओ0 सही नीति से निपटाए । इससे यह भी वांछित है कि जन प्राधिकारी के प्रशासनिक विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग (आर0टी0आई0 अधिनियम 2005 के अन्तर्गत (नोडल विभाग) और राज्य सूचना आयोग के बीच में उन्नत समन्वय सुनिश्चित होगा । इसलिए यह उचित होगा कि जनप्राधिकारी के मुख्यालय में एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाए जो अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उपबन्धों का कार्यान्वयन करें । जिन विभागों/जनप्राधिकारियों के अन्तर्गत बहुत से पी0आई0ओस/ए0पी0आई0ओस हैं वहां सम्बंन्धित विभागों/ जनप्राधिकारियों में नोडल अधिकारी कों सहायता के लिए सेल भी बनाया जा सकता है । ।	अपील प्राधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करने का सुझाव पत्र संख्या पी0ई0आर0 (ए0आर0)एफ (7)-2/98-खण्ड-I दिनांक 19 अप्रैल 2006 को देखें ।

9.	धारा 26 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार पर अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों को आम जनता में प्रचार-प्रसार के दायित्व सौंपे गए हैं । राज्य सरकार से यह अपेक्षित है कि वह जन-जन में विषेशतः पिछड़े समुदाओं में अधिनियम के बारे में जानकारी बढाने के लिए विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों का विकास एवं आयोजन करें को राज्य सरकार से यह भी अपेक्षित है कि वह जनप्राधिकारियों द्वारा समयबद्ध एवं सही सूचना को जन-जन में प्रसारित करने को प्रोत्साहन दें । राज्य सरकार का यह भी दायित्व है कि वह पी0आई0ओस को प्रशिक्षित करें तथा प्रासंगिक प्रशिक्षण सामग्री को बनवाए इसलिए यह संस्तुति की जाती है कि अधिनियम की धारा 26 के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार एक समयबद्ध कार्य योजना बनाएं ।	हमने निदेशक लोक प्रशासन संस्थान को निर्देश दिए कि पत्र संख्याःपी0ई.आर0 (ए0आर0)ए (8)-11/2006 दिनांक 3 मई 2007 को देखें कि वह हि0प्र0 राज्य आयोग की पहली रिपोर्ट पर कार्यवाही करें जो प्रशिक्षण से सम्बंन्धित है और राशि उपलब्ध करवाने का प्रयत्न करें ।